

Press note

Nutraceuticals Regulations


The Food Authority has notified the Food Safety and Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional Food and Novel Food) Regulations, 2016 in the Gazette of India on 23rd December 2016.

These regulations cover eight categories of foods, namely, Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Specialty Food containing plant or botanicals, Foods containing Probiotics, Foods containing Prebiotics and Novel Foods. Requirements for such foods as detailed in these regulations pertain to essential composition; claims and labelling etc. The regulations do not allow the use of hormones or steroids or psychotropic ingredients in any of the articles of food.

These regulations include various Schedules detailing provisions relating to vitamins, minerals and amino acids; botanical ingredients; nutraceutical ingredients; food additives; probiotics and prebiotics. One of the schedules lists 400 ingredients of plant or botanical origin which can be used as ingredients in the foods covered under these regulations.

These regulations not only open a window for such food products in the domestic market, as was the demand of various stakeholders for over a year now, but also strengthens the food safety authorities to effectively regulate such products (both domestically produced and imported) while ensuring their food safety and efficacy.

The above regulation will come into force on the date of their publication in the Official Gazette. However, the obligation of Food Business Operator to comply with the provision of the said regulation will be effective from 1st January, 2018.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2016/पौष 5, 1938

No. 465]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/ PAUSA 5, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016

सं. 1-4/न्यूट्रास्युटिकल/एफएसएसएआई-2013.-खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियमावली, 2015 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. 1-4/न्यूट्रास्युटिकल/एफएसएसएआई-2013 दिनांक 30 जुलाई, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने कि संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विस्तृत राजपत्र कि प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 11 सितंबर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जनता से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियाँ और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 की 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात : -

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियमावली, 2016 हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे तथा खाद्य कारोबार प्रचालकों को 1 जनवरी, 2018 से इन नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

2. **परिभाषाएं:** इन विनियमों में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) अधिनियम से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है।

(ख) खाद्य प्राधिकरण से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(ग) “विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य” से, खाद्य अधिनियम की धारा 22 में इसके दिये गये अर्थ अभिप्रेत है।

(घ) विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य से निम्लिखित के लिए असायित खाद्य अभिप्रेत है —

(i) विशिष्ट आहार पथ्य उपयोग विशेषताएं प्रसंस्कृत या तैयार किया गया है;

(ii) व्यक्तियों का पथ्य प्रबंधन जो चिकित्सा सलाह के अधीन ही उपयोग किया गया हो।

(iii) सामान्य खाद्य पदार्थों या उनमें अंत विष्ट कतिपय पोषक तत्वों या उपापचर्या को ग्रहण करने, पचाने, अवशोषण करने या उपापचय करने या उत्सर्जित करने की सीमित विकृत या क्षुब्ध क्षमता वाले व्यक्तियों का अनन्य या आंशिक पोषण या

(iv) अन्य चिकित्सीय रूप से अवधारित पोष्टिक तत्व की अपेक्षाएँ, जिनको पथ्य प्रबंधन सामान्य आहार के उपांतरण द्वारा, विनिर्दिष्ट उपयोग के खाद्य पदार्थ द्वारा या उनके सम्मिश्रण द्वारा नहीं किया जा सकता है।

(ड) प्रोवाइयोटिक खाद्य अंशों का खाद्य में मिश्रण से ऐसा खाद्य अभिप्रेत है जिसमें प्रोवाइयोटिक तत्व मिश्रित है जो कि अव्यवहार्य खाद्य घटक है तथा जो अंतर्झी माइक्रोवायोटा के अनुकूलन द्वारा उपभोक्ता को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं।

(च) प्रोवायोटिक अंशों का खाद्य में मिश्रण से ऐसा खाद्य अभिप्रेत है जिसमें सूक्ष्म अवयव पाये जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद है तथा जो एकमात्र रूप में अथवा जीवाणुओं के मिश्रण के रूप में मानवों को विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभों के लिये पर्याप्त रूप में अन्तर्ग्रहित किये जाते हैं।

(छ) “वृत्तिमूलक खाद्य” से अधिनियम की धारा 22 में इसके दिये ये अर्थ से अभिप्रेत है।

(ज) “स्वास्थ्य पूरक” से अधिनियम की धारा 22 में इसके दिये ये अर्थ से अभिप्रेत है।

(झ) अखाद्य से वह अंश अथवा तत्व अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट खाद्य में नहीं है।

(ञ) “नूतन खाद्य” से अधिनियम की धारा 22 में इसके दिए गए अर्थ अभिप्रेत है।

(ट) “न्यूट्रास्युटिकल्स” से अधिनियम की धारा 22 में इसके दिए गए अर्थ अभिप्रेत है।

(ठ) “भोजन के पोषक तत्व” से अनुसूची के VA से VF में दिये गये खाद्य अनुसूची में उस रूप में पैक किये हैं और जिनकी उपलब्धि केवल फुटकर उपभोक्ता के लिये नहीं है, बल्कि जिनका उपभोग संसाधित रूप से उत्पादित पदार्थों के रूप में विभिन्न विनियमों की विभिन्न प्रवर्गों में डाला गया है अथवा उन प्रवर्गों में डाला गया है जिनको खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम 2011 में निर्दिष्ट किया गया है।

(ड) “पोषक तत्व” से विटामिन, खनिज तथा अमीनोए सिड अभिप्रेत है जिनको अनुसूची I और अनुसूची II में निर्दिष्ट किया गया है।

(ढ) “पूर्व मिश्रण” से योजकों के बिना अथवा इनके साथ विनिर्दिष्ट समानुपात में जिनको सूचियों में निर्दिष्ट किया है, दो अथवा अधिक अंशों के मिश्रण अभिप्रेत है जो इन विनियमों के किसी प्रवर्गों के अधीन अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) अधिनियम 2011 के अधीन संसाधित कर पैक किया गया हो तथा जिनका इस प्रकार उपभोग किया जाना है।

(ण) “पादप अथवा वनस्पति के अंशों में अंतर्विष्ट विशिष्ट खाद्य” से वह खाद्य अभिप्रेत है जिसको पादप अथवा वनस्पति के योग से बनाया गया है, तथा जिसका उपयोग इतिहास में सुरक्षित है।, तथा

(ल) “अनुसूची” से विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है।

(3) साधारण अपेक्षाएं :

(1) खाने की वस्तुएं अगर कैप्सूल में बेंची जाती हैं, जो मुलायम अथवा कठोर हैं अथवा मांसाहारी हैं, तो उनकी साधारण बिक्री के लिये विनिबन्ध तथा गुण संबंधी अपेक्षाओं, जिनको भारतीय औषध-कोश ने विनिर्दिष्ट किया है, का देना अनिवार्य होगा, परन्तु खाद्य का व्यापारी मान्य रंगों तथा योजकों को प्रयोग में लाता है जिनके बारे में सूची वी. एफ. में प्रमाणित किया गया है।

परन्तु यह और कि खाद्य का व्यापार चलाने वाला प्राकृतिक स्वाद का अथवा प्राकृतिक स्वाद जैसे स्वाद का अथवा कृत्रिम स्वाद का उपयोग खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के नियमों के अनुसार कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) को ध्यान में रखते हुए खाद्य का व्यापार करने वाला ऐसी वस्तुओं के लेबल पर खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग एण्ड पैकिंग) विनियम 2011 के उपबंधों के अनुसार स्वाद के योग को घोषित कर सकता है।

(3) गोली, कैप्सूल तथा सीरप, भारतीय औषध-कोश अथवा ब्रिटिश औषध-कोश अथवा अमेरिका औषध-कोश के द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं तथा मानकों के अनुसार, साधारण गुणवत्ता की पूर्ति करेंगे।

(4) इंडिया काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सिफारिश कि गई दैनिक अनुमति से अधिक पोषण तत्वों की मात्रा नहीं होगी और यदि किसी भी मानक नहीं है तो अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय, जैसा कि कोडेक्स एलीमेंटारियस कमीशन द्वारा अधिकारित मानकों के अन्तर्गत खाद्य वस्तुओं में पोषक अंशों की मात्रा अधिक नहीं होगी।

(5) उस स्थिति में जब खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य पूरक प्रवर्ग श्रेणी में पाये जाते हैं, तो पृथक पोषण मात्रा अनुमोदित दैनिक अनुमति से 15 प्रतिशत से कम नहीं होगी। परन्तु यह कि यदि पोषण मात्रा का दावा अधिक किया जाता है, तो पोषण मात्रा दैनिक अनुमति से 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(6) खाने की वस्तुओं में जो इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट है, खाद्य प्राधिकरण, खाद्य व्यापार चलाने वाले को आज्ञा दे सकता है, खाद्य रंगों का प्रयोग कर सकता है बशर्ते कि उन प्रतिबन्धों पर कायम रहा जाए जिनका उल्लेख खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में किया गया है।

(7) इण्डियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के दिशा निर्देशों के आधार पर खाद्य वस्तुएं जो पोषण परिपूर्ण हैं अथवा पोषण के आधार पर जिनका निर्माण किया गया है, सूत्रों से युक्त होगी जिसके द्वारा दर्शाया गया होगा कि यह संबंधित आयु-वर्ग, लिंग तथा शारीरिक अवस्था को ध्यान में रखकर, कितनी शक्ति, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज की प्रतिपूर्ति करती है।

(8) इन विनियमों के अधीन आने वाले विभिन्न प्रवर्गों में खाद्य पदार्थों में प्रयोग में लाने वाले अंशों की शुद्धता तय की जायेगी और मापदंड की सूचना खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित की जायेगी।

(9) उस स्थिति में जब यह मानक विनिर्दिष्ट नहीं किये जाते हैं तो शुद्धता की मापदंड औषध-कोश, जैसे भारतीय औषध-कोश, भारतीय आयुर्वेद औषध-कोश, संबंधित ब्यूरो आफ इण्डियन मानक स्फेंसीफिकेशनस, क्वालिटी मानक आफ इण्डियन मेडिसिनल प्लांट्स, इण्डियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, ब्रिटिश औषध-कोश, यूनाइटेड स्टेट्स आफ औषध-कोष, फूड-केमिकल कोडेक्स, ज्वाइंट्स फूड एण्ड एग्रीकल्चर आरगोनाईजेशन अथवा वर्ल्ड हेल्थ आरगोनाईजेशन एक्सपर्ट कमेटी आन फूड ऐंडीटिव्स अथवा कोडेक्स एलीमेंटारियस द्वारा स्वीकार किया जायेगा तथा खाद्य व्यापार चलाने वाला इसे अंगीकार कर लेगा।

(10) खाद्य व्यापार चलाने वाला खाद्य प्राधिकरण को सूचित करेगा कि उसने अंशों की शुद्धता के मापदंड को जिसमें परिवर्तन भी सम्मिलित है, अंगीकार कर लिया है।

(11) यदि, तैयार पदार्थों के नमूने के विश्लेषण के दौरान विनियमों से आच्छादित खाद्य पदार्थ के रूपान्तरण पर समय सीमा, लेबिल पर घोषित पोषक तत्व अथवा पोषण अंशों की मात्रा के मामले में, (-) दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(12) इन विनियमों के अधीन आने वाले अंशों तथा माल का निर्माण प्रतिपादित अच्छी निर्माण प्रक्रिया अनुपालन के आधार पर किया जायेगा।

(13) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए अनुसूची I, अनुसूची II, अनुसूची III, अनुसूची VI, अनुसूची VII तथा अनुसूची VIII में विनिर्दिष्ट अंशों का खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जा सकता है और इसके लिये अनुसूची VA से अनुसूची VF तक उल्लेखित श्रेणियों में अनुप्रयोज्य योजकों का उपयोग किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण 1

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, खाद्य अथवा अंशों, जोकि खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 में निर्दिष्ट है और जिनके लिये मानक प्रदान किये गये हैं और पादप तथा वनस्पतियों, जो इन विनियमों की सूची IV में विनिर्दिष्ट है और जिनको सामान्य अथवा प्राकृतिक रूप में प्रदान किया गया है, को स्वास्थ्यपूरक, अथवा न्यूट्रासियोटिकल, अथवा विशिष्ट चिकित्सीय रूप में खाद्य, नहीं माना जायेगा।

स्पष्टीकरण 2

केवल खाद्य, जैसे कि सब्जियां ' भिण्डी, करेला तथा अन्य सब्जियां, दाले-रागी, ज्वार, बाजरा तथा अन्य दालें, फलियां-राजमा तथा अन्य फलियां, मसाले-कालीमिर्च, जीरा, हल्दी तथा अन्य मसालें, फल- आवंला, जामुन, अंगूर तथा अन्य फल तथा अन्य पदार्थ अथवा वनस्पतियों-कम संशोधित (साफ की गई, छांटी गई, चुनी गई, सुखसा दी गई अथवा पीस दी गई) ताकि जूस निकाला जा सके अथवा पका दिया जाये, स्वास्थ्यपूरक न्यूट्रासियोटिकल अथवा विशिष्ट पत्थर के लिये खाद्य अथवा विशिष्ट चिकित्सीय उद्देश्य के रूप में खाद्य नहीं माने जायेंगे।

(14) खाद्य पदार्थों के नुस्खे, समर्थ औषधि के सिद्धान्त पर अथवा पोषण के रूप में तथा जो जहां भी चाहा जाए, वैधीकृत वैज्ञानिक आंकड़ों द्वारा पुष्टीकृत होंगे, आधारित होंगे।

(15) इन विनियमों में उल्लिखित खाद्य पदार्थों में कोई भी हार्मोन अथवा स्टेरायड्स अथवा साइकोट्रोपिक अंश नहीं मिलाये जायेंगे।

(16) खाद्य पदार्थ के लेबल पर लिखा होगा कि इसका उद्देश्य क्या है ? उपभोक्ता वर्ग का लक्ष्य, किस बीमारी में इसका प्रयोग करना है, कितने समय तक अनुमोदित है तथा प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ के लिये वर्गीकरण की आवश्यकता के लिये लेबल क्यों लगाया गया ?

(17) लेबल, जिसके साथ विज्ञप्ति अथवा अन्य दूसरा लेबल तथा प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ के विज्ञापन साथ है जिनका उल्लेख इन विनियमों में संदर्भित है तथा खाद्य पदार्थ की प्रकृति तथा उपयोग क्या है तथा विस्तृत निर्देशों के साथ इसके उपयोग में क्या सावधानी अपेक्षित है, तथा सूचना का तरीका जो संबंधित उपभोक्ता के लिये पर्याप्त है, सूचना प्रदान करेगा।

(18) खाद्य पदार्थों को जिसको किसी विशिष्ट रूप से परिवर्तित नहीं किया गया है परन्तु इसके प्राकृतिक संरचना के कारण पथ्यापथ्य नियमों में विशिष्ट रूप में अनुकूलन पाया जाता है, स्वास्थ्यपूरक अथवा विशिष्ट रूप में दैनिक आहार अथवा आहार-संबंधी अथवा अन्य किसी पारिभाषिक शब्द से मिलता-जुलता नहीं माना जायेगा और ऐसा खाद्य पदार्थ पर ऐसा लेबल लगा होगा कि 'यह खाद्य, अपनी प्रकृति के अनुसार X', (X' से अभिप्रेत आवश्यक, प्रतिष्ठित चरित्र है जैसा कि सामान्य रूप से प्राप्त वैज्ञानिक आंकड़ों द्वारा प्रदर्शित किया गया है), परन्तु यह है कि ऐसा कथन उपभोक्ता को संशय में न डाल दे।

(19) खाद्य प्राधिकरण ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री को स्थगित अथवा सीमित कर सकता है जिनको बाजार में भेजा जा चुका है तथा जो सामान्य खाद्य पदार्थों से प्रभेद नहीं करते, तथा जो दावों के बावजूद भी पोषण के उद्देश्य हेतु अनुकूल नहीं है अथवा, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं।

(20) खाद्य प्राधिकरण किसी भी समय, खाद्य के व्यापार करने वालों को निर्देशित कर सकता है जो इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को बेचता है तथा उनका उत्पादन करता है कि नवीन अथवा मिलाये गये परिवर्तित अंशों के उपयोग का इतिहास से संबंधित विवरण प्रदान करे तथा इसके सुरक्षात्मक विकास को बताये।

(21) गोली, कैप्सूल अथवा सीरप में केवल विटामिनों तथा खनिजों को मिलाने से यह सब इन विनियमों के प्रवर्गों में सम्मिलित नहीं किये जा सकते, इसके अलावा कि विटामिन्स तथा खनिज को खाद्य पदार्थों में मिलाया जाए।

(22) खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाना खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग तथा लेबलिंग), विनियम 2011 तथा इन विनियमों द्वारा प्रदत्त विशिष्ट लेबल लगाने की आवश्यकताओं के अनुसार होगा।

(23) खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा और मानक (कान्टामिनेंटस, टाक्सिन एण्ड रेसीड्यूएस) रेगुलेशन, 2011 से समरूप होंगे।

(24) कोई भी व्यक्ति इन विनियमों में निर्दिष्ट सभी अगर वह इन विनियमों द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन नहीं करते, खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं करेंगे, न पैक करेंगे, न बेचेंगे, न बेचने के लिए देगे, बाजार में नहीं भेजेंगे अथवा न बाटेंगे और न ही आयात करेंगे।

(25) जो कोई भी इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह अधिनियम के अध्याय IX के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।

(4) दावे :

- (1) प्रत्येक खाद्य का व्यापार करने वाला खाद्य पदार्थ के संबंध में पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी दावा कर सकता है।
- (2) उप-विनिमय (i) के उद्देश्यानुसार पोषक का दावे में खाद्य पदार्थ की संरचना में अंश (पुष्टिकर अथवा पौषणिक) सम्मिलित होंगे बशर्ते कि सूची I, सूची II, सूची III, सूची IV, सूची VI में उल्लिखित पौषणिक पूरकता की आवश्यकता चाही जाये।
- (3) इन विनिमय के उद्देश्यानुसार स्वास्थ्य के दावे से अनिवार्य है। खाद्य पदार्थ के मामले में कोई प्रस्तुतीकरण अभिव्यक्त करता है, संकेत करता है अथवा समाविष्ट करता है कि पोषक अथवा पौषणिक स्वास्थ्य तथा विशिष्ट रोग दशाओं के बीच एक रिश्ता पाया जाये।
- (4) किसी खाद्य पदार्थ की बाबत स्वास्थ्य के दावे में निम्नलिखित दो घटक पाये जाने आवश्यक है :
- (i) पोषक अथवा पौषणिक अंश तथा
- (ii) स्वास्थ्य से संबंधित लाभ
- (5) किसी खाद्य पदार्थ के मामले में स्वास्थ्य के दावे में निम्नलिखित प्रकार पाये जाये लेकिन सीमित न हो :
- (i) अंश (पोषक अथवा पौषणिक) के प्रकार्य दावे
- (ii) प्रकासर्य दावों में बढ़ोत्तरी
- (iii) रोग जोखिम में कमी के दावे
- (iv) स्वास्थ्य अनुरक्षण के दावे
- (v) असंक्रामकता के दावे — प्रतिरोधन में बढ़ोत्तरी (वैक्सीन सम्मिलित नहीं है।)
- (vi) वृद्ध अवस्था में रोग के दावे
- (6) किसी भी खाद्य पदार्थों के संबंध में अन्य दावे, जो दवा के दावे नहीं है, स्वीकार किये जा सकते है, बशर्ते कि खाद्य प्राधिकरण ने पहले से ही स्वीकृति दे दी है।
- (7) एक खाद्य पदार्थ के बारे में स्वास्थ्य दावें प्रलेखन के पर्याप्त आधार तथा प्रमाणिक सबूत जिनको खाद्य प्राधिकरण द्वारा पुनरावलोकन हेतु, , अगर प्राधिकरण चाहता है, उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) बढ़े हुए प्रकार्य तथा रोग के जोखिमों में कमी होने पर खाद्य पदार्थ के अंशों, पोषक अथवा पौषणिक पर स्वास्थ्य दावे को प्रस्तुत करने के लिए समझना होगा :
- (i) दावे जिन्होंने अंशों (पोषक अथवा पौषणिक) के लिए रास्ता खोला
- (ii) प्राप्य वैज्ञानिक साहित्य, जिसमें राजकीय परम्परागत किताबें तथा पश्च बाजार आंकड़े अथवा उपभोक्ता विश्लेषण अथवा खाने के तरीके तथा स्वास्थ्य लाभ के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय तथा देशीय जानपदिक रोगविज्ञान के आंकड़ों पर सहगण अथवा पूर्वव्यापी अध्ययन तथा अन्य अच्छे प्रकार के प्रलेखन आंकड़े सम्मिलित है '।
- (iii) सहमति—जन्य समनुरूप तथा सहयोगी प्रमाणिक के अध्ययन
- (iv) साहित्य तथा मानवीय क्षमता तथा पोषक सुरक्षा आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य प्रोत्साहन तथा रोग के जोखिमों में कमी।
- (v) क्षमता तथा सुरक्षा आंकड़ों के लिए बिना किसी नियंत्रित रोग—विषयक परीक्षण ही नहीं, बल्कि पोषक जानपदिक रोग विज्ञान आंकड़ों पर भी अध्ययन।
- (vi) किसी उल्लेखित अंग अथवा प्रकार्य जो उपभोक्ता के लिये बोधगम्य है, के लिये यासेग्य संरचना प्रकार्य के दावे।
- (vii) रोग की चिकित्सा के लिये अन्तर्निहित दावों का विशेष अथवा औषधि की क्षमता पर दावें जैसे यह स्त्रियों की पश्च रजोनिवृत्ति में हड्डियों की भंगुरता को रोक देती है।

(viii) उत्पादन के नाम से जैसे कि यह केन्सर की चिकित्सा है अथवा तस्वीरों के द्वारा बेलबूटे अथवा प्रतीकों के द्वारा जैसे कि इलेक्ट्रोबोरिओग्राम का अनुरेखण, लिपिड पार्श्विका द्वारा रोगों का अन्तनिर्हित चिकित्सा द्वारा इलाज है, जैसे दोनों का निषेध, तथा

(ix) संरचना—प्रकार्य दावे के लिये विशिष्ट आयु अथवा लिंग अथवा भेद्य जनसंख्या के लिये रोगी से रोगी के आधार पर उपभोक्ता सूचना।

(9) (i) खाद्य पदार्थ के संबंध में उत्पादन द्वारा प्रदत्त दावे पर जोकि मानव अण्वय से प्राप्य आंकड़ों पर आधारित है, ध्यान देना होगा, जैसा कि

(क) रोग के जोखिमों को कम करने के लाभ को सिद्ध करते हुए, जोकि मानवीय हस्तक्षेप के अध्ययन द्वारा है, प्रमाणिक आंकड़े तथा उपयुक्त सांख्यिकीय रूपरेखा

(ख) पोषक अथवा पौषधिक अंश

(ग) प्रस्तावित दावे के लाभ तथा उपयुक्त विशेषक के से, जैसे कि स्वस्थ हृदय पर पालीसेचुरेटिड फैटी अम्ल के प्रभाव का दावा उत्पादन की संगति पर आधारित

(घ) जब एक मानवीय हस्तक्षेप द्वारा अध्ययन महत्वपूर्ण लाभ को इंगित करता है, 'दिखाया गया' शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित उदाहरण द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा।

'उत्पाद < उत्पाद का नाम > सिद्ध किया जाता है < जो सहायक है < हृदय को स्वस्थ रखने के लिये > अथवा < हृदय स्वस्थ है।

(ङ) 'सिद्ध' शब्द का प्रयोग जैसा कि निम्न उदाहरण द्वारा प्रदर्शित है, जब एक से अधिक मानवीय हस्तक्षेप से अध्ययन किया जाता है अथवा भारतीय जनसंख्या पर जानपादिक रोग—विज्ञान से संबंधित संगामी प्रथम पृदत्त किया जाता जाता है।

'उत्पाद < उत्पाद का नाम > सिद्ध होता है < आपको वजन घटाने के लिये तैयार किया जाये

(ii) जहां पर वैज्ञानिक आधार विद्यमान नहीं पाया जाता है, तो स्वास्थ्य के दावे के लिये अथवा एक नए अंश का परिचय कराये जाने के दौरान स्वास्थ्य के दावे के लिये पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(iii) उत्पाद से प्रेरित स्वास्थ्य दावे के लिये खाद्य व्यापार करने वाला, उत्पाद को बाजार भेजने से पहले, लेबल पुस्तिका के साथ संबंधित प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने से पहले खाद्य प्राधिकरण को सूचित करेगा।

5. पूछताछ अथवा चुनौती के लिये सामान्य सिद्धान्त खाद्य व्यापार चलाने वाला

(i) सम्पूर्ण उत्पाद सूचना, सुरक्षा तथा दावे को सहारा देने वाले आंकड़ों को तैयार तथा उपलब्ध करायेगा तथा एक वैज्ञानिक अथवा विशेषज्ञ जिसके पास सुसंगत योग्यता होगी तथा अनुभव होगा, से इनको समय—समय पर पुनरीक्षण तथा परीक्षण करायेगा।

(ii) दावों तथा इनकी सत्यवादिता पर, तथा इसके साथ—साथ समीक्षक की योग्यता तथा अनुभव, जो दस्तावेज का जयरी हिस्सा होगा, समीक्षक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नत्थी करेगा।

(iii) खाद्य प्राधिकरण से प्राप्त अथवा प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक शिकायत पर जो उसके पास दायर की गई है तथा किसी तकनीकी पूछताछ पर जो खाद्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है, स्पष्टीकरण देगा कि, तथा खाद्य प्राधिकरण को मामले पर समीक्षा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकरण को उचित विशेषज्ञ दल का परीक्षण तथा प्राधिकृत करने के लिये सहायता देना, और

(iv) खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्देशन देने पर, जो किसी दवा दल के विचार पर आधारित होगा, दावे में परिवर्तन अथवा रूपान्तरण करेगा अथवा दावे को रोक देगा।

6. स्वास्थ्य पूरक :

1(i) 5 साल से अधिक आयु के व्यक्ति की सामान्य पथ्य को पूरा करने के लिये स्वास्थ्य पूरक का प्रयोग किया जा सकता है।

(ii) स्वास्थ्य पूरकों में एक या अधिक पोषक, जैसे अमीनो एसिड, एन्जाइमस, प्रोटीन, विटामिन्स, अन्य पथ्य तत्व, पादप अथवा वनस्पति, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक तथा पशुओं से प्राप्त अथवा अन्य मिलते-जुलते तत्वों जो जाने पहचाने तथा स्थापित पौषणिक तथा लाभप्रद दैहिक प्रभाव से भरपूर हैं, जिनको अकेले अथवा मिश्रण में प्रदर्शित किया गया है, परन्तु औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और उसके अधीन बनाये नियमों में यथा परिभाषित औषधि नहीं माना गया है, सघन उद्गम में पाये जायेंगे।

(iii) उत्पाद की अखण्डता तथा गुणवत्ता को कायम रखने के लिये अकेले प्रयोग हेतु उचित पैकिंग के साथ स्वास्थ्य खाद्य पूरकों को बाजार में भेजा जायेगा, अथवा खुराक के रूप में जैसे कि गोली, कैप्सूल, पिल्स, थौली, जैली अथवा जैल, अर्द्ध ठोस के रूप में अथवा अन्य ऐसे द्रव्य तथा पाउडर के रूप में जिनका निर्माण मापित ईकाई मात्राओं में लिखा गया है।

(iv) इन विनियमों के अन्य किसी भाग में जिनके लिये विशिष्ट मानक स्थापित किये गये हैं, स्वास्थ्य पूरकों में कैसे भी खाद्य उत्पाद अथवा खाद्य पदार्थों की श्रेणियां सम्मिलित नहीं की गयी है।

2(i) अनुसूची I अथवा II अनुसूची अथवा अनुसूची IV अथवा अनुसूची VII अथवा अनुसूची VIII अथवा अनुसूची VI में केवल एन्जाइमस में जिनमें किसी भी अन्य अंशों को जिनको उल्लेखित किया गया है, स्वास्थ्य पूरकों में पाये जायेंगे।

(ii) अनुसूचियों में दर्शित तथा उप विनियम (2) की धारा (i) में उल्लेखित अंशों का उपयोग बिना किसी भेदभाव के अभीष्ट उत्पाद बनाने हेतु किया जाता है तो एक या अधिक पोषकों में आवश्यकता समझे जाने पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(iii) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में उल्लेखित खाद्य पदार्थ में सम्मिलित पोषकों की मात्रा अनुमोदित दैनिक अनुमति से अधिक नहीं होगी तथा इस मामले में जहां मानकों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय, जैसे कोडेक्स एलीमेनट्रियस कमीशन द्वारा निर्धारित मानकों का उपयोग लागू होगा।

(iv) खाद्य व्यापार करने वाला किसी नये पोषक अथवा अन्य तत्व जो पौषणिक है अथवा दैहिक प्रक्रिया के साथ है, जिनका भारत के इतिहास में प्रयोग नहीं किया गया है अथवा इसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा स्थापित करते हुए कि यह पोषक लेने के प्रमाण स्वरूप पौषणिक तथा दैहिक लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं, पुष्टि के औचित्य को ध्यान में रखकर, इनके समावेशन के लिये, खाद्य प्राधिकरण से आवेदन कर सकता है।

(v) उचित वैज्ञानिक आकलन के बाद, खाद्य प्राधिकरण, समय-समय पर, पोषकों के संबंध में अपना अनुमोदन दे सकता है।

3(i) लेबल, प्रस्तुतीकरण तथा विज्ञापन इसका दावा नहीं करेंगे कि स्वास्थ्यपूरक एक मानवीय रोग को रोकने में, इलाज करने में अथवा रोगमुक्त करने में विशेषता रखता है अथवा ऐसी विशेषता का उल्लेख नहीं करेगा।

(ii) शारीरिक संरचना अथवा शरीर के सामान्य स्वास्थ्य लाभ के लिये, खाद्य व्यापार करने वाले के कथन को खाद्य प्राधिकरण अनुमति दे सकता है, यदि कथन को सामान्य रूप से वैज्ञानिक आंकड़े स्वीकृत करते हैं।

(iii) स्वास्थ्यपूरक के हर पैकेज में, लेबल पर निम्न सूचना होगी :

(क) शब्द 'स्वास्थ्यपूरक'

(ख) स्वास्थ्यपूरक का सामान्य नाम, अथवा स्वास्थ्यपूरक की सत्य प्रकृति को दर्शाते हुए पूर्ण विवरण, इसमें पूरकों अथवा तत्वों की श्रेणियों के सामान्य नाम, जो उत्पाद की विशेषता बताते हैं, सम्मिलित होगा।

(ग) पोषक अथवा पौषणिक अथवा दैहिक प्रभाव जो उत्पाद में उपस्थित है अथवा पोषक की मात्रा की घोषणा

(घ) परामर्शी, चेतावनी - 'औषधीय प्रयोग के लिये नहीं', जिसको सुस्पष्ट रूप में लिखा जाना है।

(ङ) जहां इण्डियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में उल्लेखित सुसंगत दैनिक खुराक को प्रतिशत के रूप में बताया गया है, पोषक की मात्रा तथा चेतावनी दी गयी है : 'अनुमोदित दैनिक प्रयोग से अधिक नहीं'

(च) एक कथन कि विभिन्न पथ्य के स्थापना के लिये स्वास्थ्यपूरक को नहीं लेना है।

(छ) उपभोग के मामले में चेतावनी अथवा अन्य सावधानियों, साइड इफेक्ट्स, यदि कोई है, व्याघात तथा मुद्रित उत्पाद अथवा औषधि अन्योन्य क्रिया, जो लागू है, तथा

(ज) यह कथन कि उत्पाद को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, आवश्यक होगा।

4. उनको जो अनुसूची VA अथवा अनुसूची VE. अथवा अनुसूची VF. में वर्णित योगजों के अलावा, कोई भी खाद्य व्यापार करने वाला स्वास्थ्य पूरक के सूचीकरण में कैसा भी योगज का प्रयोग नहीं करेगा।

7. न्यूट्रासियूटीकल्स :

1(i) न्यूट्रासियूटीकल्स दैहिक लाभ होंगे तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाने के लिये सहायता करेंगे।

(ii) खाद्य व्यापार करने वाला, खाद्य अथवा अखाद्य स्रोतों से न्यूट्रासियूटीकल्स का अर्क निकाल सकता है, पृथक कर सकता है तथा शुद्धिकरण कर सकता है और जिनसे अमीनो एसिड तथा उनके संजात का, नियंत्रित दशाओं में बैक्टीरिया खमीर द्वारा, निर्माण कर सकता है।

(iii) खाद्य व्यापार करने वाला ग्रेनूल, पावडर, टिकिया, द्रव्य, जैली अथवा जैल, अर्ध ठोस तथा अन्य रूप में न्यूट्रासियूटीकल्स का निर्माण कर सकता है तथा बेच सकता है और उनको थैली में सम्पुटक में, बोतल में अथवा अन्य रूप में जैसा कि मापित इकाई मात्राओं में मापा जा सके, जिनका तात्पर्य जनकीय प्रयोग में किया जाना है, पैक कर सकता है।

2(i) अनुसूची I अथवा अनुसूची II अथवा अनुसूची IV अथवा अनुसूची VI अथवा अनुसूची VII अथवा अनुसूची VIII में वर्णित अंशों से है जो न्यूट्रासियूटीकल्स में पाये जायेंगे।

(ii) उप-विनियम (2) के खण्ड (i) में निर्देशित सूचियों में आधारित अंशों का प्रयोग खाद्य व्यापार करने वाला खाद्य पदार्थ के निर्माण में कर सकता है जिनमें पाये गये न्यूट्रासियूटीकल्स बिना किसी भेदभाव के आवश्यकता पड़ने पर उत्पाद के प्रयोग को ध्यान करते हुए एक या अधिक पोषकों में परिवर्तन कर सकता है।

(iii) जहां उपयोज्य है, इण्डियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च में उल्लेखित पोषकों की मात्रा अनुमोदित दैनिक अनुमति से अधिक नहीं होगी, तथा इस मामले में जहां मानकों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो अन्तर्राष्ट्रीय मानक निकाय, जैसे कोडेक्स एलीमेनट्रियस कमीशन द्वारा निर्धारित मानकों का उपयोग लागू होगा।

(iv) एक न्यूट्रासियूटीकल्स जिसको इन विनियमों में जगह नहीं दी गयी है, पर भारत में, या अन्य किसी देश में दूसरी सुरक्षा तय हो गयी है, का निर्माण अथवा बिक्री भारत में सुलभ हो जायेगा, यदि खाद्य प्राधिकरण द्वारा पूर्व अनुमोदन कर दिया गया है।

(v) खण्ड (iv) के उद्देश्यानुसार एक खाद्य व्यापार करने वाला अनुमोदन के लिये खाद्य प्राधिकरण के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु केवल उसी स्थिति में जब प्रार्थना पत्र के साथ लिखित प्रमाण-पत्र होगा कि इसका प्रयोग भारत में 15 वर्ष के इतिहास सहित है अथवा मूल देश में 30 साल का है।

(vi) खाद्य प्राधिकरण समय-समय पर न्यूट्रासियूटीकल्स का उल्लेख करेगा, जिसको उसने उचित वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर, अनुमोदित कर दिया है।

3(i) अनुसूची VI में वर्णित अंशों के अलावा कोई भी अंश का उपयोग, न्यूट्रासियूटीकल्स के रूप में, जिसका मानकीकरण एक यौगिक रूप में किया गया है और जिसको दैनिक इस्तेमाल के आधार पर उल्लेखित किया जा चुका है, नहीं होगा।

(ii) अंश का जिसके लिये यौगिक मानकीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है जैसा कि विनियम 3 में वर्णित है तथा निर्माता के विशेष विवरण गुण की आवश्यकता पर ही अनुपालन किया जायेगा।

(iii) अंश, जिसके लिये दैनिक निम्नतम तथा अधिकतम उपयोग के आधार का उल्लेख नहीं किया गया है, तब खाद्य व्यापार चलाने वाला प्रासंगिक वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित प्रयोग स्तर को अंगीकार करेगा तथा ऐसे आंकड़ों के लिखित प्रमाण को बनाये रखेगा।

(iv) खण्ड (iii) के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, खाद्य व्यापार चलाने वाला, जब और जैसे आवश्यकता पड़ने पर खाद्य प्राधिकरण को अभिलिखित वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत करेगा।

(v) अनुसूची VI में उल्लेखित अंश के अर्क को न्यूट्रासियूटीकल्स के रूप में कोई भी खाद्य व्यापार चलाने वाला उपयोग नहीं करेगा।

परन्तु यह है कि पादप तथा मूल वनस्पति के अंश का, जैसा कि अनुसूची IV तथा अनुसूची VI में उल्लेखित है, उपयोग दिये गये रूप में अथवा उनके अर्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है बशर्ते सत्व का अनुपात दैनिक उपयोग के मूल्य के संबंध में हो।

4(i) लेबल लगाना, प्रस्तुतीकरण तथा विज्ञापन दावा नहीं करेगा कि न्यूट्रासियूटीकल्स का गुणधर्म मानवीय रोग का रोकना,

इलाज करना अथवा रोगमुक्ति करना है, अथवा किसी ऐसे गुणधर्म को इंगित करे।

(ii) मानवीय शरीर की स्वस्थता से संबंधित खाद्य व्यापार करने वाले के कथन को खाद्य प्राधिकरण स्वीकृति दे सकता है, केवल तभी जब सामान्य रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक आंकड़े इस कथन को बल प्रदान करते हैं।

(iii) खाने के प्रति पैकेट के लेबल पर जिसके अन्दर न्यूट्रासियूटीकल विद्यमान है, निम्नलिखित सूचना दी गयी होगी -

(क) शब्द न्यूट्रासियूटीकल्स

(ख) न्यूट्रासियूटीकल्स का सामान्य नाम

(ग) उत्पाद में प्रत्येक न्यूट्रासियूटीकल्स का अंश की मात्रा जिसमें या तो पौषणिक अथवा दैहिक प्रभाव है, पर घोषणा।

(घ) जब उचित हो, पोषक की मात्रा कासे जैसा कि इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा उल्लेखित है, अनुमोदित दैनिक अनुमति प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जायेगी, इसके बावजूद भी यदि अनुबन्ध के रूप में, न्यूट्रासियूटीकल्स के साथ पोषक पाया जाता है, तथा परामर्शी चेतावनी भी होगी कि 'दैनिक अनुमोदित उपभोग की मात्रा घोषित मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(ङ) सलाहकारी चेतावनी 'दैनिक अनुमोदित उपभोग'

(च) सलाहकारी चेतावनी सुस्पष्ट रूप में लिखी गयी - 'औषधि के रूप में नहीं।'

(छ) उन मामलों में जहां आवश्यकता से अधिक उपभोग से खतरा हो सकता है, की सलाहकारी चेतावनी।

(ज) उपभोग के दौरान सलाहकारी चेतावनी अथा अन्य सावधानियां, जाने गये साइड इफेक्ट, यदि कोई है, विरोध (कान्ट्राइंडिकेशन) तथा उत्पाद-औषधि अन्योन्य क्रिया, जैसा लागू हो।

(झ) एक कथन कि उत्पाद को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाये।

5. अनुसूची VA अथवा अनुसूची VE अथवा अनुसूची VF में वर्णित न्यूट्रासियूटीकल्स के लिये योगजो के प्रयोग के अलावा अन्य कई ऐसे अंशों का खाद्य व्यापार करने वाला प्रयोग नहीं करेगा।

8. शिशुओं के अलावा तथा वह उत्पाद जिनको लेने के लिये चिकित्सीय सलाह अपेक्षित है, तथा विशिष्ट पथ्य का खाद्य (1) कोई भी खाद्य व्यापार करने वाला किसी भी प्रकार के विशिष्ट पथ्य के खाद्य पदार्थ को न तो उत्पन्न करेगा, बनायेगा, संशोधित करेगा, सूत्रीकरण जब तक न कि :

(i) महत्वपूर्ण पथ्यों की आवश्यकतायें पूर्ण करने के लिये, जो या तो विद्यमान है या हो सकती है-निश्चित दैहिक अथवा विशेष स्वास्थ्य दशाओं के कारण खाद्यों को संशोधित करना पड़े अथवा उनका सूत्रीकरण करे, जैसे कि :

(क) कम वजन, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्त चाप

(ख) गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलायें, तथा

(ग) जराचिकित्सा आबादी तथा पेट संबंधी रोग तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी दशायें

(ii) खाद्य व्यापार करने वाला लेबल पर स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि क्या विशेष पथ्य के लिये खाद्य को चिकित्सीय सलाह के अन्तर्गत लेना है अथवा नहीं।

(iii) खाद्य व्यापार करने वाला विशेष पथ्यापथ्य के लिये खाद्य पदार्थ का निर्माण कर सकता है अथवा बेच सकता है जो एक बार में ही अथवा खुराक के रूप में जो कणिका में, कैप्सूल में, टिक्की में, गोली में, जैली में, अर्ध-टोस के रूप में तथा अन्य इस जैसे रूप में, पावडर की थैली में तथा अन्य इस जैसे रूपों में, द्रव्य में तथा पावडर के रूप में जिनको मापित इकाई मात्रा में पौषणिक अथवा दैहिक असर के लिये लेना है।

(iv) एक खाद्य व्यापार करने वाला उन रूपों में जिनका तात्पर्य एन्टरनल ट्यूबों के द्वारा खाद्य पदार्थों को मौखिक रूप से खिलाना है, लेकिन आन्त्रेतर उपयोग के लिए प्रयोग में नहीं लाना है, विशेष पथ्य के उपयोग के लिये खाद्य की वस्तुओं का निर्माण कर सकता है।

(v) विशेष पथ्य के उपयोग के लिये खाद्य पदार्थ में सामान्य खाना जोकि पोषकों से भरपूर है अथवा जिसमें परिवर्तन किया गया है तथा जिसका तात्पर्य दिन के बाद दिन में सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिये होना है और जनसमूह को खिलाना है, सम्मिलित नहीं होगा जो विनिमय 9 में उल्लिखित विशेष चिकित्सा सांबंधी उद्देश्यानुसार पूर्ण पथ्यापथ्य खाद्य की जगह को प्रतिस्थापन करने के लिए अभिप्रेत है।

2(i) विशेष पथ्य के प्रयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों के प्रयोग में वह अंश सम्मिलित होंगे जिनका उल्लेख अनुसूची I अथवा अनुसूची II अथवा अनुसूची III अथवा अनुसूची IV अथवा अनुसूची VI अथवा अनुसूची VII अथवा अनुसूची VIII में किया गया है।

(ii) खाद्य व्यापार करने वाला उप-विनिमय (2) के खण्ड (i) में जिक्र सूचियों में उल्लेखित अंशों को प्रयोग में लाते हुए विशेष पथ्य के लिये बिना भेदभाव के, आवश्यकता पर ध्यान देते हुए, एक अथवा अधिक पोषकों में, उत्पाद के अभीष्ट प्रयोग के लिए, निर्माण करते समय, परिवर्तन कर सकता है।

(iii) नए पोषक के लिए, जिसके भारत में प्रयोग के लिये कोई इतिहास नहीं है तथा बिना प्रमाण के यह तय हो जाता है कि यह पोषक निश्चित पौषणिक तथा दैहिक लाभ में अच्छे परिणाम पैदा कर सकता है, तो खाद्य व्यापार करने वाला अनुमोदन के तलिये औचित्य के साथ खाद्य प्राधिकरण से आवेदन कर सकता है, तथा खाद्य प्राधिकरण समय-समय पर स्वयं द्वारा अनुमोदित पोषकों का उचित वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद, उल्लेख कर सकता है।

(iv) एक खाद्य व्यापार करने वाला अनुमोदित दैनिक अनुमति से ऊंचे आधार पर पोषक की मात्रा बढ़ा सकता है पर इसमें सूची III में वर्णित विटामिन तथा खनिजों की मात्रा की सीमा पही पार कर सकता।

(v) (i) खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल नुस्खा खाद्य के रूप में, तथा पतला होने के लिये तथा वजन बढ़ने को नियंत्रण करने के लिये समस्त दैनिक आहारों को इसके द्वारा हटाने के लिये, निम्नलिखित रूपों में अनुपालन करना होगा :

(क) 800 के.सी.ए.एल. (3500 के.जे.) से कम तथा 1200 के.सी.ए.एल. (5020 के.जे.) से अधिक ऊर्जा का प्रदान।

(ख) व्यक्तिगत हिस्से अथवा नुस्खा खाद्य को एक बार देने पर पैक के खाद्य में उपस्थित समस्त ऊर्जा का लगभग एक तिहाई अथवा एक चौथाई दिया जाना होगा, जो इस बात पर निर्भर है कि अनुमोदित हिस्सा अथवा एक बार में दिये जाने वाले खाद्य का हिस्सा एक दिन में क्रमशः तीन अथवा चार है, जैसा भी मामला हो।

(ii) एक नुस्खा खाद्य जिसको दैनिक आहार के एक अथवा अधिक भोजन के प्रति जगह लेने के लिये प्रस्तुत किया गया है, के प्रति अनुपालन निम्न रूपों में होगा —

(क) 200 के.सी.ए.एल. (835 के.जे.) से कम नहीं तथा 400 के.सी.ए.एल. (1670 के.जे.) से अधिक नहीं ऊर्जा का प्रदान होगा।

(ख) जब ऐसे उत्पादों को आहार के मुख्य हिस्से की जगह लेने के लिये प्रस्तुत किया जाता है, तो समस्त ऊर्जा का ग्रहण 1200 के.सी.ए.एल. (5020 के.जे.) से अधिक नहीं होगा।

(iii) तुरन्त परोसने हेतु प्राप्य भोजन स्वयं के प्रोटीन अंश से प्रदत्त ऊर्जा 25 प्रतिशत से कम नहीं तथा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा प्रतिदिन प्राप्त प्रोटीन 125 ग्राम से अधिक नहीं होगी।

(iv) प्रोटीन की गुणवत्ता होगी :

(क) प्रोटीन सुपाच्यता से संशोधित— अमीनो एसिड का हिसाब 1.0 होगा तथा इसको संदर्भ प्रोटीन के रूप में जाना जायेगा।

(ख) प्रोटीन सुपाच्यता से संशोधित — अमीनो एसिड का हिसाब जहां 1.0 से कम होगा, निम्नतम सतह को बढ़ाया जायेगा ताकि निम्न प्रोटीन गुणवत्ता की पूर्ति हो सके।

(ग) प्रोटीन सुपाच्यता के साथ संशोधित अमीनो एसिड का हिसाब 0.8 है अथवा अधिक है, तो इसका इस्तेमाल नुस्खा खाद्य के रूप में वजन नियंत्रण हेतु किया जायेगा, तथा

(v) प्रोटीन गुणवत्ता को उन्नत करने के लिये, खाद्य व्यापार करने वाला केवल जरूरी अमीनो एसिड के.एल. रूप में बढ़ोत्तरी करेगा केवल उस अवस्था में जहां मेथियोनाइन के लिए डी.एल. रूप की अनुमति दी जाती है।

(vi) फ़ैट से प्राप्त ऊर्जा का 30 प्रतिशत से अधिक नहीं तथा लाइनोलेक एसिड से प्राप्त ऊर्जा का 3 प्रतिशत से कम नहीं, जो ग्लाइसीराइड के रूप में है।

(vii) एक नुस्खा खाद्य को प्रतिदिन के सभी भोजनों में स्थानापन्न रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो यह नुस्खा खाद्य अनुमोदित दैनिक अनुमति से विटामिनों तथा खनिजों का एक दिन में ग्रहण 100 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(viii) विशेष आहार के रूप में नुस्खा खाद्य में पर्याप्त मात्रा में आहार फाइबर होगा

3(i) लेबल पर कोई कथन अथवा दावा नहीं होगा कि यह किसी विशेष रोग की रोकथाम, रोग मुक्ति तथा इलाज अथवा निदान अथवा शारीरिक प्रक्रिया की सामान्य कार्यप्रणाली को या तो रोकना अथवा इसमें हस्तक्षेप करना—चाहे स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से—जब तक इस मामले में खाद्य प्राधिकरण अनुमति न दे दे।

(ii) शरीर की संरचना अथवा कार्यप्रणाली अथवा सामान्य स्वास्थ्य को बनाये रखने का खाद्य व्यापार करने वाले के कथन को खाद्य प्राधिकरण अनुमति दे सकता है, उस अवस्था में जब ऐसा कथन वैज्ञानिक आंकड़ों द्वारा स्वीकृत न हो जाये।

(iii) प्रत्येक पैकेज जिसके भीतर विशेष आहार के रूप में खाद्य है, के लेबल पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की जायेगी, अर्थात् : (क) शब्द 'विशेष आहार का खाद्य रूप में प्रयोग' तथा इसके बाद होगा-खाद्य (खास शारीरिक अथवा स्वास्थ्य दशाओं का उल्लेख करते हुए)

(ख) कथन 'वजन नियंत्रण तथा प्रबंधन' जो खाद्य पदार्थ के नाम के पास होगा, तथा जिसका निर्माण वजन प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिये है।

(ग) एक कथन कि उत्पाद को गर्भवती, चिकित्सा करवाने वाली तथा दूध पिलाने वाली स्त्रियां इस्तेमाल नहीं करेंगी अथवा शिशु, बच्चे, किशोर तथा अधेड़ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक कि चिकित्सीय रूप में लेने की सलाह नहीं दी जाये।

(घ) लक्षित उपभोगी दल, उत्पाद के इस्तेमाल के लिये तर्काधार पर कथन तथा गुणधर्म तथा विशेषताओं का वर्णन जो उत्पाद को लाभकारी बनायें।

(ङ) यदि उत्पाद को किसी विशेष आयु दल के लिये बनाया है तो इस संबंध में सुस्पष्ट कथन।

(च) पोषक का उल्लेख करते हुए कथन, कि उत्पाद को घटाया गया है, मिटा दिया गया है, बढ़ाया गया है अथवा परिवर्तित कर दिया गया है जो कि सामान्य आवश्यकताओं के कारण है, तथा कमी करने के लिए, मिटाने के लिये, बढ़ाने के लिये अथवा अन्य परिवर्तन के लिये तर्काधार है।

(छ) सुस्पष्ट रूप में लिखित सलाह भरी चेतावनी 'औषधि रूप में नहीं'

(ज) चेतावनी कि अतिरिक्त सेवन के कारण खतरा हो सकता है।

(झ) चेतावनी कि उत्पाद आन्त्रेतर के प्रयोग के लिये नहीं है।

(ञ) उत्पाद के उपभोग के दौरान चेतावनी अथवा सावधानी, पहचाने गये साइड इफेक्ट्स यदि हैं, कान्टाइडीकेसन (विपरीत प्रभाव) तथा उत्पाद-औषधि की पारस्परिक क्रिया, जो लागू है।

(ट) जहां उचित है, अनुमोदित दैनिक अनुमति के अनुसार पोषक मात्रा को प्रतिशत रूप में व्यक्त करना।

(ठ) ओसमोलोलिटी अथवा ओसमोलेरिटी पर अथवा अम्ल-क्षार संतुलन, जहां उपयुक्त हो, तथा

(ड) कथन कि उत्पाद को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाये।

4. कोई भी खाद्य व्यापार करने वाला अनुसूची VB अथवा अनुसूची VE अथवा अनुसूची VE में वर्णित योगजों के अलावा विशेष आहार के खाद्य के लिये अन्य योगजों का इस्तेमाल नहीं करेगा।

9. विशेष चिकित्सीय उद्देश्य के लिए खाद्य :

(1) (i) विशेष चिकित्सा के लिये खाद्य में वजन घटाने के लिये सामान्य आहार का विशेष रूप से निर्मित-खाने द्वारा चाहा गया स्थानापन्न खाद्य सम्मिलित किया जायेगा।

(ii) एन्टरनल ट्यूबों द्वारा चिकित्सीय उद्देश्य से किये गये मौखिक खाद्य के सेवन हेतु विशेष खाद्य को व्यापार करने वाला बना सकता है।

(iii) विशेष चिकित्सीय के उद्देश्य हेतु निर्मित खाद्य को आन्त्रेतर खाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

(iv) शिशुओं के लिये अभिप्रेत खाद्य के अलावा विशेष चिकित्सीय उद्देश्य के लिये निर्मित खाद्य या तो पौषणिक रूप में पूर्ण खाद्य हो सकता है, जोकि, जब निर्माता की हिदायत के अनुसार इस्तेमाल किये जाने समय व्यक्तियों के लिये के कारण पोषण का एकमात्र स्रोत बनेगा अथवा किसी व्याधि, व्यतिवम तथा चिकित्सीय दशाओं में पौषणिक रूप से अपूर्ण खाद्य पाया जाता है लेकिन पोषाहार के लिये एकमात्र स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल अनुकूल नहीं है।

(v) इन विनिमयों को तथा विशेष चिकित्सीय उद्देश्यों के लिये खाद्य को तीन वर्गों की श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि:

(क) पोषक के मानक फार्मूला से निर्मित पौषणिक से पूर्ण खाद्य जिसका, जब निर्माता की हिदायत के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है, व्यक्तियों के लिये जिनके लिये यह निर्माण किया गया है, पोषण का एकमात्र स्रोत होगा।

(ख) पोषण अभिग्रहण फारमूले के साथ पौषणिक रूप से पूर्ण खाद्य जिसका उल्लेख किसी व्याधि, व्यतिवम अथवा चिकित्सक दशा के लिये किया गया है तथा जिसका प्रयोग निर्माता की हिदायतों के अनुसार किया गया है, पोषण के मुख्य स्रोत के रूप में उन व्यक्तियों के लिये होगा जिनके लिये यह अभिप्रेत है।

(ग) मानक फार्मूला अथवा पोषण- अभिग्रहण फारमूले के साथ पौषणिक रूप से अपूर्ण खाद्य जिसका उल्लेख किसी व्याधि, व्यतिक्रम अथवा चिकित्सक दशा के लिये किया गया है, परन्तु पोषण के मुख्य स्रोत के रूप जिसका किया जाना अनुकूल नहीं है।

टिप्पण : खाद्य जिसका उल्लेख खण्ड (v) तथा उप-खण्ड (ख) तथा (ग) में किया गया है, का प्रयोग आंशिक स्थापन्न अथवा व्यक्ति के आहार में पूरक रूप से किया जा सकता है।

2.(i) अनुसूची I अथवा अनुसूची II अथवा अनुसूची III अथवा अनुसूची IV अथवा अनुसूची VII अथवा अनुसूची VIII अथवा अनुसूची VI के एन्जाइम में उल्लेखित अंश विशेष चिकित्सीय खाद्य में पाये जायेगे।

(ii) एक खाद्य व्यापार करने वाला उप-विनिमय (2) के खण्ड (i) में उल्लेखित अंशों को ही बिना भेदभाव के तथा आवश्यक समझते हुए उत्पाद के अभिप्रेत उपयोग के लिये एक अथवा अधिक पोषकों को परिवर्तित करते हुए विशेष चिकित्सक उद्देश्य के लिये निर्माण कर सकता है।

(iii) एक खाद्य व्यापार करने वाला किसी नये पोषक के लिये, जिसका भारत के इतिहास में प्रयोग नहीं किया गया है, अथवा जिसका प्रयोग तय करते हुए कि यह पोषक निश्चित पौषणिक तथा शारीरिक लाभ प्रदान कर सकता है, अनुमोदन के लिये औचित्य के साथ खाद्य प्राधिकरण को निवेदन कर सकता है तथा खाद्य प्राधिकरण, समय-समय पर उचित वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद इन पोषकों को अनुमोदित कर सकता है।

(iv) वजन घटाने तथा पूर्ण आहार का स्थापन्न करने के लिये अभिप्रेत खाद्य का निर्माण अनुसूची III का अनुपालन करते हुए, निम्न बातों को भी सुनिश्चित करना होगा।

(क) कम ऊर्जा के लिये नुस्खा खाद्य का निर्माण निर्देशानुसार किया जायेगा जो 450-800 के.सी.ए.एल. ही दैनिक ग्रहण के लिए ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जायेगा।

(ख) प्रोटीन उपाच्य संशोधित अमीनो एसिड का प्राप्तांक 1 जो ऊर्जा का दैनिक ग्रहण के लिये अनुमोदित है, के साथ 50 ग्राम से कम प्रोटीन नहीं ली जायेगी तथा आवश्यक अमीनों एसिड का प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये उस मात्रा के साथ जो इस उद्देश्य के लिये आवश्यक है, मिश्रण लिया जा सकता है।

(ग) खण्ड ख के उद्देश्यों के अनुसार, खाद्य व्यापार करने वाला मेथियोनाइन जहां D एक रूप ही मान्य होगा, के सिवाय केवल आवश्यक एसिड का L रूप ही मिलायेगा।

(घ) कम ऊर्जा आहार निम्न में से कम नहीं देगा :

(i) 3 ग्राम लाइनोलिक एसिड तथा

(ii) α - लाइनोलिक एसिड तथा लाइजोलेनिक एसिड 1 : 5 तथा 1 : 15 के अनुपात के साथ अनुमोदित दैनिक ग्रहण में 0.5 ग्राम α - लाइनोलेनिक एसिड।

(ङ) कम ऊर्जा वाला खाद्य अनुमोदित दैनिक ऊर्जा के ग्रहण में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट 50 ग्राम से कम नहीं होगा।

(च) यह कि नुस्खा खाद्य में, विशेष चिकित्सीय उद्देश्य के लिये, पर्याप्त आहार फाइबर।

(v) विशेष चिकित्सक उद्देश्य के खाने में अनुमोदित दैनिक अनुमति से अधिक पोषक मिलाये जा सकते हैं, परन्तु अनुसूची III में वर्णित विटामिन तथा खनिज नहीं मिलाये जायेगे।

3. विशेष चिकित्सीय उद्देश्य के खाद्य के पैकेट के लेबल पर निम्न सूचना दी जायेगी, अर्थात :

(क) शब्द 'विशेष चिकित्सीय उद्देश्य के लिए खाद्य' जो उत्पाद के नाम अथवा इसके ट्रेडमार्क के पास छपा होगा।

(ख) अन्य लिखित, मुद्रित अथवा लेखमित्रों से अलग लेबल पर मोटे अक्षरों में सलाह की चेतावनी 'चिकित्सीय सलाह द्वारा ही लेने का अनुमोदन'

(ग) कथन 'आहार प्रबंधन के लिये -----' (विशेष व्याधि, व्यतिवम, चिकित्सीय दशाओं को जिनके लिये उत्पाद अभिप्रेत है तथा जिसके लिये उत्पाद को असरकारी दिखाया जाना है, खाली जगह पर भरा जाना है।) और जो उचित वैज्ञानिक तथा क्लीनिकल अथवा ऐपीडीमाइलोजिकल आंकड़ों से, बशर्ते कि इसके लिये खाद्य प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी हो, बल प्रदान किया जायेगा।

(घ) एक कथन 'कि पौषणिक रूप से पूर्ण' यदि खाद्य को पौषणिक रूप से पूर्ण अभिप्रेत खाद्य माना जाता है।

(ड) उपभोक्ता लक्षित वर्ग के लिये खाद्य के तर्काधार प्रयोग पर कथन तथा उत्पाद पर इसके गुणधर्म तथा विशेषताओं का वर्णन, जो उत्पाद को लाभदायक बनाता है।

(च) कथन कि उत्पाद का सूत्रीकरण विशेष आयु वर्ग के लिये है।

(छ) कथन कि पोषक को कम दिया गया है, मिटा दिया गया है, बढ़ाया गया है तथा अन्य रूप में परिवर्तित किया गया है, जो सामान्य आवश्यकताओं के अनुरूप है तथा कमी, विलोपन, बढ़ोत्तरी अथवा अन्य परिवर्तन के लिए चक्राधार है।

(ज) जन्हा पर उचित है सिफारिश किये गए दैनिक अनुमति के प्रतिशत के निबंधों में अधिकृत पोषक की मात्रा।

(झ) जहां पर उचित है, ओस्मोलोलिटी अथवा ओस्मोलेरिटी, रीनल सोल्यूट लोड, पोटेन्शियल रीनल सोल्यूट नोड अथवा अम्ल-क्षार संतुलन पर सूचना।

(ञ) उचित निर्माण, भरण, उपयोग तथा संचयन-डिब्बा खोलने के बाद ----- पर निर्देश।

(ट) कथन कि उत्पाद आन्त्रेतर के लिये नहीं है।

(ठ) कथन कि उत्पाद को बच्चों की पहुंच से दूर संचयन करना है।

4. उन योगजों के सिवाय जो अनसूची VC अथवा अनसूची VD अथवा अनसूची BE. अथवा अनसूची VF में उल्लेखित है, कोई भी खाद्य व्यापार करने वाला विशेष चिकित्सीय उद्देश्य के लिये खाद्य में योगजों का प्रयोग नहीं करेगा।

5. सामान्य जनता द्वारा विशेष चिकित्सीय उद्देश्य हेतु खाद्य को लेने के लिए कोई भी खाद्य व्यापार करने वाला अथवा विज्ञापन नहीं करेगा।

10. प्रोबाइयोटिक अंशों से युक्त खाद्य :

1.(i) अनसूची VII में वर्णित प्रोबाइयोटिक जीवाणु-समूह अथवा खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर, अनुमोदित सूक्ष्माणुओं के सिवाय कोई भी खाद्य व्यापार करने वाला प्रोबाइयोटिक अंशों का खाद्य में प्रयोग नहीं करेगा। प्रोबाइयोटिक सामग्री में इस विनियम के तहत अनुज्ञप्त प्रोबाइयोटिक का प्रयोग किया जा सकेगा

(ii) प्रोबाइयोटिक अंशों से युक्त खाद्य में सूक्ष्माणुओं की जीवनक्षम संख्या $\geq 10^8$ सी.एफ.यू./जी. होगी। शर्त यह है कि निम्न जीवनक्षम संख्या को स्वास्थ्य लाभों पर सिद्ध अध्ययनों से वर्णित किया जा सकता है, बशर्ते कि खाद्य प्राधिकरण ने इसका पूर्व अनुमोदन कर दिया गया है।

(iii) खाद्य प्राधिकरण, समय-समय पर उचित वैज्ञानिक आंकलनों के बाद अपने द्वारा अनुमोदित प्रोबाइयोटिक सूक्ष्माणुओं को उल्लेखित कर सकता है।

परन्तु यह है कि सामान्य रूप से प्रयोग में लाने वाला लैक्टिक एसिड प्रवर्तक द्वारा निर्मित बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोकोकस, एस.पी.पी. जिसको पहले स्ट्रेप्टोकोकस एस.पी.पी., लैक्टोवेसिलयस एस.पी.पी., की उपस्थिति तथा अन्य दूसरे सूक्ष्म अणु जो दही बनाने के लिये काम में लाया जाता है, और अन्य संबंधी उत्पादों को प्राइबाइयोटिक नहीं माना जायेगा, यदि प्रोबाइयोटिक गुणधर्मों को साबित नहीं कर दिया जाये।

(2.)(i) लेबल पर प्रस्तुतीकरण तथा विज्ञापन द्वारा दावा नहीं किया जायेगा कि प्रोबाइयोटिक खाद्य के मानवीय रोगों को रोकने, इलाज करने अथवा रोगमुक्त करने के गुणधर्म हैं अथवा ऐसे गुणधर्मों का जिक्र होगा।

(ii) खाद्य व्यापार करने वाले कथन को जो संरचना अथवा प्रक्रिया अथवा शरीर की स्वस्थता से संबंधित है, खाद्य प्राधिकरण अनुमोदित कर सकता है, यदि इस कथन को सामान्य रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक आंकड़ों द्वारा पुष्टि कर दी जाती है।

(iii) प्रोबाइयोटिक खाद्य के प्रत्येक पैकेट के लेबल पर निम्न सूचना देनी होगी :

(क) शब्द 'प्रोबाइयोटिक खाद्य'

(ख) जहां लागू हो, गण तथा वर्ग जिसमें नसल उल्लेख अथवा गुणधर्म को इकट्ठा करने की संख्या है को, जहां अंशों की सूची में प्राइयोमोटिक्स उल्लेखित है, कोष्ठ में लिखना।

टिप्पण : इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च तथा डिपार्टमेंट आफ बायोटेक्नोलोजी द्वारा प्रोवाइओटिक्स के संबंध में जारी दिशा निर्देश उनके प्रयोग पर अतिरिक्त सूचनायें प्रदान करते हैं।

(ग) प्रोवाइयोटिक नस्ल की कगार-जीवन के अन्त में जीवनसम संख्या उस स्तर के अनुरूप है, जिसपर क्षमता का दावा किया जाता है।

(घ) अनुमोदित एकपुष्ट आकार जो प्रोवाइटिक्स की असरदार जीवनसम खुराक को प्रदान करेगा तथा जो स्वास्थ्य दावे से तथा अनुमोदित प्रयोग की अवधि, उचित तापमान दशाओं में संचय से तथा, डिब्बा खोलने के बाद 'सर्वोत्तम प्रयोग' की समय सीमा से संबंधित होगा।

(च) एक सलाहकार की चेतावनी 'औषधि के रूप में नहीं' को सुस्पष्ट रूप में लिखी होगी।

(छ) उपभोग करते समय चेतावनी अथवा अन्य कोई सावधानी, साइड इफेक्ट्स यदि कोई है, विपरीत असर तथा उत्पाद-औषधि की अन्तक्रिया, जो लागू हो, का लिया जाना है।

(3) अनुसूची VA से सूची VF तक में दिये गये प्रोवाइयोटिक सम्पाकों में योगजों के प्रयोग के सिवाय कोई भी खाद्य व्यापार करने वाला योगजों का प्रयोग नहीं करेगा।

11. प्रीवाइयोटिक अंशों से युक्त खाद्य :

1.(i) अनुसूची VIII अथवा खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रीवाइयोटिक्स का उपयोग खाद्य निर्माण में किया जाना है, के सिवाय कोई भी खाद्य व्यापार करने वाला खाद्य निर्माण करते समय उपयोग में नहीं लायेगा।

(ii) 'प्रीवाइयोटिक घटक, कोई जीव नहीं' जिसके संबंध में दावा प्रस्तुत किया गया है, का चरित्र-चित्रण किसी प्रदत्त उत्पाद के लिये किया जायेगा, श्रोत, उद्भव, शुद्धता, रासायनिक रचना तथा संरचना, वाहन, सघनता तथा परिमाण जिनकी परिसीमा में इसको मेजबान को दिया जाना है।

(2)(i) लेबल, प्रस्तुति तथा विज्ञापन के जरिये दावा नहीं किया जायेगा कि प्रीवाइटिक के गुण-धर्म में मानवीय रोग को रोकना है, इलाज करना है या रोगमुक्त करना है, अथवा ऐसे ही गुण-धर्म की सूचना दी जायेगी।

(ii) खाद्य व्यापार करने वाले का कथन, जो रचना अथवा प्रक्रिया अथवा शारीरिक स्वस्थता के संबंध में है, को खाद्य प्राधिकरण अनुमोदित कर सकता है, यदि ऐसे कथन के लिये, सामान्य रूप से कि यह शरीर को स्वस्थ रखता है, वैज्ञानिक आंकड़े स्वीकृत किये जाते हैं।

(iii) प्रीवाइटिक्स 0 से 0 युक्त खाद्य के पैकेट पर लगे लेबल पर निम्न सूचना प्रदत्त की जायेगी :

(क) शब्द 'प्रीवाइयोटिक खाद्य'

(ख) प्रीवाइयोटिक का नाम

(ग) प्रस्ताव्य अथवा अनुमोदित एकपुष्ट आकार, जो स्वास्थ्य से संबंध में दावा करता है, प्रीवाइयोटिक के असरदार खुराक का निर्णय देगा।

(घ) सुस्पष्ट रूप से लिखित सलाह चेतावनी, 'औषधि के रूप में नहीं'

(ङ) उपभोग करते समय चेतावनी अथवा सावधानी को देना, जाने गये साइड इफेक्ट्स, यदि कोई है विपरीत असर तथा उत्पाद-औषधि अन्तक्रिया, जो लागू हो।

3. अनुसूची VA से अनुसूची VF तक में उल्लेखित सम्पाक में योगजों के सिवाय कोई भी खाद्य व्यापार करने वाला अन्य योगजों का प्रयोग नहीं करेगा।

12. पादप अथवा वनस्पति अंशों से युक्त, जिनके प्रयोग में सुरक्षित इतिहास रहा है, विशेष खाद्य :

1.(i) एक खाद्य व्यापार करने वाला लेबल उन्हीं पादप अथवा वनस्पति अंशों का प्रयोग करेगा जो विशेष खाद्य तैयार करने के लिये अनुसूची IV में उल्लेखित है।

(ii) वह पादप और वनस्पति अंश जोकि इन वनस्पतियों में उल्लेखित नहीं है, लेकिन इनकी सुरक्षा भारत में अथवा अन्य किसी और देश में स्थापित हो चुकी है, का भारत में निर्माण तथा बिक्री, खाद्य प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बाद की जा सकती है।

(iii) खाद्य प्राधिकरण से अनुमति लेने के लिये, प्रार्थना-पत्र के साथ भारत में कम से कम 15 साल तक का लिखित इतिहास तथा मूल देश में 30 साल के उपयोग का लिखित इतिहास संलग्न करना होगा।

2. विशेष आहार के लिये स्वास्थ्यपूरक अथवा नट्रास्यूटीकन में अनुसूची IV में उल्लेखित अंश शामिल होंगे, जिनका निर्माण अकेले में अथवा अंशों अथवा वनस्पतियों तथा उनके निचोड़ों में जो या तो अशंशोधित अथवा अनुमोदित संशोधित

रूप में है तथा जिनका निर्माण नियमित अथवा अभिसामयिक रूप में, जैसे कि द्रव्य अथवा सीरप में, गैस में या पाउडर में, दाने, टिक्की अथवा कैप्सूल में अथवा किसी अन्य रूप में हुआ है, जिसका अनुमोदन खाद्य प्राधिकरण ने कर दिया है।

3(i) प्रत्येक निर्माता अथवा आयातक उत्पाद सूचना की फाईल बनायेगा तथा उनका व्यवस्थापन करेगा, जिसके अन्दर सूची IV में उल्लेखित अंशों के उपयोग की सूचना होगी, तैयार उत्पाद की गुणवत्ता का पुष्टिकरण होगा तथा परीक्षण रीति होगी जिसके द्वारा खाद्य में सक्रिय अंशों की उपस्थिति दिखाई जा सके।

(ii) विशेष खाद्य का प्रयोग आधार, जिसमें पादप अथवा वनस्पति अंश सम्मिलित होंगे, जो अनुसूची IV में उल्लेखित आधारों से अधिक नहीं होगा। शर्त यह होगी कि उपयोग का आधार बांटा जा सकता है, अथवा अंशों का दैनिक रूप में एक खुराक के लिये वितरण हो सकता है अथवा दिन में एक से अधिक भागों में लेने के लिये बांटना हो सकता है।

(iii) उन पादप अथवा वनस्पतिक अंशों को प्रयोग में लेने के लिए जिनका उल्लेख अनुसूची IV में नहीं किया गया है, तो खाद्य व्यापार करने वाला खाद्य प्राधिकरण का निम्न को प्रस्तुत करते हुए अनुमोदन लेगा :

(क) उत्पाद सूचना की फाईल जिसमें उन तत्वों पर जिसका प्रयोग किया गया है, सूचना संग्रहीत होगी।

(ख) गुणवत्ता की पुष्टि, परीक्षण तरीके ताकि खाद्य में अंशों की उपस्थिति दिखाई जा सके।

(ग) प्रासंगिक प्रकाशित साहित्य जो पदार्थ अथवा उत्पाद से संबंधित सुरक्षा तथा स्वास्थ्य लाभ पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना दे सके।

(घ) कोई भी प्रकाशित अथवा पथ-प्रदर्शन करने वाली मानवीय मध्यस्था पर अध्ययन, तथा प्रासंगिक सूचना।

(iv) उत्पाद सूचना फाईल को जांच पड़ताल तथा पुनरीक्षण के लिये खाद्य प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत की जायेगी जब या जैसे उसके द्वारा चाहा जाये।

(v) उत्पाद सूचना फाईल में तकनीकी तथा वैज्ञानिक सूचना होगी, जिसके अन्दर निम्नलिखित सूचना होगी :

(क) सभी अपरिष्कृत अंशों की अधिकारिक वैज्ञानिक अथवा वनस्पति के नाम के साथ, गुणवत्ता पर सूचना।

(ख) उत्पाद का निर्माण अथवा खण्ड रेखा-लेख तथा संशोधित तरीके अथवा उठाये गये कदमों पर संक्षिप्त विवरण।

(ग) शेल्फ-जीवन अध्ययन आंकड़े

(घ) गुणवत्ता विनिर्देशन तथा तैयार उत्पाद विश्लेषण के लिये परीक्षण प्रणाली।

(ङ) सुरक्षा तथा औषधि विज्ञान पर सूचना, साहित्यिक आधार, तथा अतिरिक्त अध्ययन, यदि ऐसा किया गया है।

(च) मानवीय अध्ययन, यदि कोई है, पर सूचना।

(छ) अन्य देशों में विनियामक स्थिति, यदि कोई है।

(ज) अन्य कोई प्रासंगिक सूचना।

4. कोई भी खाद्य व्यापार करने वाला, अनुसूची VE. अथवा अनुसूची VF में उल्लेखित विशेष खाद्य के निर्माण में इस्तेमाल लाये गये योगजों के सिवाय अन्य कोई योगजों का इस्तेमाल नहीं करेगा।

13. नवीन खाद्य :

(1) (i) इन विनियमों के उद्देश्य के लिये नवीन खाद्य वह खाद्य है जो :

(क) मानवीय उपभोग की इतिहास न रखता हो।

(ख) कोई भी अंश जिसका इसमें प्रयोग नहीं हुआ है अथवा वह स्रोत जिससे से यह प्राप्त किया गया है, पर मानवीय उपभोग का कोई इतिहास नहीं रखता है।

(ग) वह खाद्य अथवा अंश जिसको अभिनय यांत्रिक प्रक्रिया के साथ नई टैक्नोलोजी से प्राप्त किया गया है, जहां पर इस प्रक्रिया के द्वारा खाद्य में अथवा खाद्य अंशों की संरचना तथा आकार में, अथवा इनकी रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जिसके कारण पौषणिक मान में चयापचय तथा अचाहे तत्व के स्तर में बदलाव आ सकता है।

(ii) खाद्य प्राधिकरण के अनुमोदन के बगैर, जिसको प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेज तथा ब्यौरो को जैसा कि खाद्य प्राधिकरण समय-समय पर उल्लेखित करे, प्रस्तुत करना आवश्यक है, न तो खाद्य बनाया जा सकता है और न ही व्यापार हेतु आयात किया जा सकता है।

(2). नवीन खाद्य पर लेबल इस रूप में लगाया जा सकता है :

- (i) विशिष्ट लेबलिंग अपेक्षा यदि कोई है, अथवा
(ii) नवीन उत्पाद से संबंधित औषध का दावा करने पर।
(iii) कोटि के अनुसार जिसको खाद्य प्राधिकरण ने विशिष्ट विनियमों के अनुसार अधिसूचित कर दिया है।

अनुसूची - 1

[विनियम 3.(13), 4.(2), 6.(2)(i), 7.(2)(i), 8.(2)(i) और 9.(2)(i) देखें]

विटामिन और खनिजों तथा उनके अवयवों की सूची

क्र. सं.	विटामिन और खनिज		अवयव
क.	विटामिन-		
1.	विटामिन ए	(i)	रेटिनाॅल-सभी ट्रांस रेटिनाॅल
		(ii)	रेटिनाॅल एसीटेट
		(iii)	रेटिनाॅल पालमिटेट
2.	प्रोविटामिन ए	(i)	बीटा-कैरॉटिन
3.	विटामिन बी ₁	(i)	थियामिन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड
		(ii)	थियामिन मोनोनाइट्रेट
4.	विटामिन बी ₂	(i)	राइबोफ्लेविन
		(ii)	राइबोफ्लेविन 5' फास्फेट, सोडियम
5.	विटामिन बी ₆	(i)	पाइरीडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड
		(ii)	पाइरीडोक्सल 5'-फास्फेट
6.	विटामिन बी ₁₂	(i)	साइनाॅकोबालामिन
		(ii)	हाइड्रोक्सो कोबालामिन
7.	विटामिन सी	(i)	एल-एसकोर्बिक एसिड
		(ii)	सोडियम-एल-एसकोर्बेट
		(iii)	कैल्शियम-एल-एसकोर्बेट
		(iv)	पॉटेशियम-एल-एसकोर्बेट
		(v)	6-पालमिटोल-एल-एसकोर्बिक एसिड
		(v)	एसकोर्बिल पालमिटेट
8.	विटामिन डी	(i)	विटामिन डी ₃ (कॉलेकैल्सिफैरॉल)- पशु स्रोत
		(ii)	विटामिन डी ₂ (एरगोकैल्सिफैरॉल)-पादप स्रोत
9.	विटामिन ई	(i)	डी-एल्फा-टॉकोफैरॉल
		(ii)	डी.एल-एल्फा-टॉकोफैरॉल
		(iii)	डी-एल्फा-टॉकोफैरिल एसिटेट
		(iv)	डी.एल-एल्फा-टॉकोफैरिल एसिटेट
		(v)	डी-एल्फा-टॉकोफैरॉल एसिड सक्सिनेट
		(vi)	डी.एल-एल्फा-टॉकोफैरॉल एसिड सक्सिनेट
		(vii)	डी.एल- एल्फा-टॉकोफैरॉल पॉलीएथीलीन ग्लिसोल सक्सिनेट
10.	विटामिन के ₁	(i)	फाइलोक्वीनोन
		(ii)	फाइटोमेनेडीयन (2-मिथाइल 3-फिथाएल -1)
		(iii)	1,4- नेपथोक्वीनोन
		(iv)	फाइथोनेमाइडियोन
11.	विटामिन के ₂ (एमके-7)	(i)	मेनाक्वीनोन
12.	विटामिन के ₂ (एमके-4)	(i)	मिनेटेट्रीनोन
13.	बायोटिन	(i)	डी-बायोटिन
14.	फोलिक एसिड	(i)	एन-पैट्रॉएल-एल-ग्लूटामिक एसिड
15.	निआसिन	(i)	निकोटिनिक एसिड

		(ii)	निकोटिनामाइड
16.	पैंटॉथैनिक एसिड	(i)	डी-पैंटॉथिनेट, कैल्शियम
		(ii)	डी- पैंटॉथिनेट, सोडियम
		(iii)	डी-पैंथेनोल
		(iv)	डीएल-पैंथोलेनोल
		(v)	सोडियम-डी-पैंथोथिनेट
<p>टिप्पण उत्पादों में विटामिनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपरिभार को उपयुक्त मात्रा में डालना वैज्ञानिक तर्क पर आधारित होगा। यद्यपि उपरिभार का अधिकतम अनुपात नीचे संलग्न की गयी तालिका-सी में से अधिक नहीं होगा बशर्ते कि यह वैज्ञानिक रूप से न्याय संगत हो। ऐसे उत्पादों के लेबल पर "उपयुक्त उपरिभार डाले गये" जैसी घोषणा उनके रचना घोषणा पैनल में करें।</p>			
ख.	खनिज (रासायनिक स्रोत)		
1.	कैल्शियम	(i)	कैल्शियम कार्बोनेट
		(ii)	कैल्शियम क्लोराइड
		(iii)	सिट्रिक एसिड के कैल्शियम लवण
		(iv)	कैल्शियम ग्लूकोनेट
		(v)	कैल्शियम ग्लिसेरॉफॉस्फेट
		(vi)	कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट
		(vii)	कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड
		(viii)	कैल्शियम ऑक्साइड
		(ix)	कैल्शियम फॉस्फेट, मोनाबेसिक
		(x)	कैल्शियम फॉस्फेट, डाइबेसिक
		(xi)	कैल्शियम फॉस्फेट, ट्राइबेसिक
		(xii)	कैल्शियम सल्फेट
		(xiii)	एल्माल स्रोतों से कैल्शियम (एल्गस कैल्केरियस)
		(xiv)	कैल्शियम लैक्टेट
2.	क्लोराइड	(i)	कैल्शियम क्लोराइड
		(ii)	कोलाइन क्लोराइड
		(iii)	मैग्निशियम क्लोराइड
		(iv)	मैग्नीज़ क्लोराइड
		(v)	पोटेशियम क्लोराइड
		(vi)	सोडियम क्लोराइड
3.	क्रोमियम	(i)	क्रोमियम (III) क्लोराइड
		(ii)	क्रोमियम (III) सल्फेट
4.	कॉपर	(i)	क्यूप्रिक कार्बोनेट
		(ii)	क्यूप्रिक सिट्रेट
		(iii)	क्यूप्रिक ग्लूकोनेट
		(iv)	क्यूप्रिक सल्फेट
		(v)	कॉपर लाइसिन कॉम्प्लेक्स
5.	आयोडिन	(i)	सोडियम आयोडाइड
		(ii)	सोडियम आयोडेट
		(iii)	पोटेशियम आयोडाइड
		(iv)	पोटेशियम आयोडेट
6.	आयरन	(i)	फैरस सक्सिनेट
		(ii)	फैरस साइट्रेट
		(iii)	फैरिक अमोनियम साइट्रेट
		(iv)	फैरस ग्लूकोनेट
		(v)	फैरस फ्यूमारेट

		(vi)	फैरिक सोडियम डाइ-फास्फेट
		(vii)	फैरस लैक्टेट
		(viii)	फैरस सल्फेट
		(ix)	फैरिक डाइ-फास्फेट
		(x)	फैरिक सेक्रेट
		(xi)	फैरस बिस ग्लिसेनेट
		(xii)	हाइड्रोजन रिड्यूस्ड आयरन
		(xiii)	सोडियम आयरन ईडीटीए
		(xiv)	कार्बोनिल आयरन
		(xv)	फैरस आर्थोफास्फेट
		(xvi)	फैरस सोडियम फैरोफास्फेट
		(xvii)	एलीमेंटल आयरन
		(xviii)	इलेक्ट्रो लिटिक आयरन
7.	मैग्नीशियम	(i)	मैग्नीशियम एसपारटेट
		(ii)	मैग्नीशियम कार्बोनेट
		(iii)	मैग्नीशियम क्लोराइड
		(iv)	मैग्नीशियम ग्लूकोनेट
		(v)	मैग्नीशियम फास्फेट डाइबेसिक (मैग्नीशियम हाइड्रोजन फास्फेट)
		(vi)	मैग्नीशियम फास्फेट ट्राइबेसिक (ट्राइमैग्नीशियम फास्फेट)
		(vii)	मैग्नीशियम ऑक्साइड
		(viii)	मैग्नीशियम सल्फेट
8.	मैगनीज़	(i)	मैगनीज़ कार्बोनेट
		(ii)	मैगनीज़ क्लोराइड
		(iii)	मैगनीज़ सिट्रेट
		(iv)	मैगनीज़ सल्फेट
		(v)	मैगनीज़ ग्लूकोनेट
		(vi)	अमीनोएसिड सेलेट के रूप में
9.	मलिब्डिनम	(i)	एमोनियम मॉलीब्डेट (मॉलिब्डिनम VI)
		(ii)	सोडियम मॉलीब्डेट (मॉलिब्डिनम VI)
		(iii)	अमीनोएसिड सेलेट के रूप में
10.	फास्फोरस	(i)	पोटैशियम ग्लिसरोफास्फेट
		(ii)	पोटैशियम फास्फेट, मोनोबेसिक
		(iii)	पोटैशियम फास्फेट, डाइबेसिक
11.	पोटैशियम	(i)	पोटैशियम बाइकार्बोनेट
		(ii)	पोटैशियम कार्बोनेट
		(iii)	पोटैशियम क्लोराइड
		(iv)	पोटैशियम सिट्रेट
		(v)	पोटैशियम ग्लूकोनेट
		(vi)	पोटैशियम ग्लिसरोफास्फेट
		(vii)	पोटैशियम लैक्टेट
		(viii)	पोटैशियम मोनोबेसिक फास्फेट
		(ix)	पोटैशियम डाइबेसिक फास्फेट
12.	सेलनियम	(i)	सोडियम सिलिनेट
		(ii)	सोडियम सिलिनाइट
		(iii)	सोडियम हाइड्रोजन सिलिनाइट
		(iv)	सेलिनोमेथियोनाइन
13.	सोडियम	(i)	सोडियम बाइकार्बोनेट

		(ii)	सोडियम कार्बोनेट
		(iii)	सोडियम क्लोराइड
		(iv)	सोडियम सिट्रेट (ट्राइसोडियम सिट्रेट)
		(v)	सोडियम ग्लूकोनेट
		(vi)	सोडियम लैक्टेट
		(vii)	सोडियम फास्फेट मोनोबेसिक (सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट)
		(viii)	सोडियम फास्फेट डाइबेसिक (डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट)
		(ix)	सोडियम सल्फेट
14.	ज़िंक	(i)	ज़िंक एसिटेट
		(ii)	ज़िंक क्लोराइड
		(iii)	ज़िंक सिट्रेट
		(iv)	ज़िंक ग्लूकोनेट
		(v)	ज़िंक लैक्टेट
		(vi)	ज़िंक आक्साइड
		(vii)	ज़िंक कार्बोनेट
		(viii)	ज़िंक सल्फेट
15.	बोरोन	(i)	बोरोन प्रोटीयोनेट

नोट : उपयुक्त एस्टर और विटामिन के लवण और लवण और खनिज के चीलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है

सूची ग – अनुमत ओवरएजेंस*		
क्र.सं.	माइक्रोन्यूट्रिएंट्स	ओवरएज (प्रतिशत)
1.	विटामिन ए	30
2.	विटामिन सी	20
3.	विटामिन डी	30
4.	विटामिन ई	10
5.	थाएमाइन (विटामिन बी ₁)	25
6.	रिबोफ्लेविन (विटामिन बी ₂)	25
7.	नाइसिन (विटामिन बी ₃)	10
8.	विटामिन बी ₆	25
9.	विटामिन बी ₁₂	25
10.	फोलिक एसिड	25
11.	पेंटाथेनिक एसिड	10
12.	विटामिन के ₁	30
13.	खनिज	10
14.	आयोडीन	20

* ओवरएज (उपरिभार) का अर्थ डाले गये पोषकों की मात्रा उत्पादन के दौरान लेबल पर दावा की गयी मात्रा से अधिक होती है ताकि सामग्री(यों) की दावा की गयी न्यूनतम मात्रा उत्पाद के साधारण शेल्फ जीवन अवधि पर बनी रहे जो आशातीत उत्पादन भंडारण हानि की कमी की पूरी करे और परख प्रदर्शन में बदलाव के लिए अनुमति दे। जहां ओवरएज अनुसूची -1 की तालिका-ग में सूचीबद्ध से अधिक हों, वहां वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्टि करें।

अनुसूची-II

(विनियम 3.(13), 4.(2), 6.(2)(i), 7.(2)(i), 8.(2)(i) और 9.(2)(i) देखें)

एमिनो एसिड और अन्य पोषक तत्वों की सूची

क.	आवश्यक अमीनो एसिड		
(i)	एल-हिसटीडाइन	(xii)	एल-एसपारटेम एसिड
(ii)	एल-हिसटीडाइन हाइड्रोक्लोराइड	(xiii)	एल-आरगाइन एल-एसपारटेम
(iii)	एल-इसोल्यूसिन	(xiv)	एल-थेरोनाइन
(iv)	एल-इसोल्यूसिन हाइड्रोक्लोराइड	(xv)	एल-एलेनाइन
(v)	एल-ल्यूसिन	(xvi)	एल-फेनीलएलानाइन
(vi)	एल-ल्यूसिन हाइड्रोक्लोराइड	(xvii)	एल-सिस्टस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड
(vii)	एल-लाइसिन	(xviii)	एल-टायरोसाइन
(viii)	एल-लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड	(xix)	एल-आरगेनाइन
(x)	डी एल-मीथीओनाइन	(xx)	एल-ट्रिप्टोफेन
(x)	एल-सिसटेनाइन	(xxi)	एल-वेलाइन
(xi)	एल-सिसटेनाइन हाइड्रोक्लोराइड	(xxii)	एल-आरगेनाइन हाइड्रोक्लोराइड
ख.	अनावश्यक अमीनो एसिड-		
(i)	एल-कार्नीटाइन	(xv)	एल- प्रोलीन
(ii)	एल-कार्नीटाइन हाइड्रोक्लोराइड	(xvi)	एल-लाइसिन-एल-ग्लूटामेट डाइहाइड्रेट
(iii)	कार्नीटाइन, एसिटिल-एल	(xvii)	मैग्नीशियम एल- एसपारटेम
(iv)	एल-ग्लूटामिक एसिड	(xviii)	कैल्शियम एल-ग्लूटामेट
(v)	एल-ग्लूटामाइन	(xix)	पोटैशियम-एल-ग्लूटामेट
(vi)	गलाईसिन	(xx)	कार्नीटिन टारट्रेट्स
(vii)	एल-हाइड्राक्सीलाइसिन	(xxi)	टोरिन
(viii)	एल-हाइड्राक्सीप्रोलाइन	(xxii)	कोलिन
(ix)	एल-लाइसिन एसीटेट	(xxiii)	कोलिन क्लोराइड
(x)	एन-एसीटिल-एल-सिस्टेनाइन	(xxiv)	कोलिन साइट्रेट
(xi)	एल-ओरनीथाइन	(xxv)	एल-सिराइन
(xii)	एल-ओरनीथाइन मोनो हाइड्रोक्लोराइड	(xxvi)	टायरोसिन, एसिटिल-एल
(xiii)	एल-लाइसिन-एल-एसपारटेम	(xxvii)	कोलिन हाइड्रोजन टारट्रेट्स
(xiv)	एल-सिट्रूलाइन	(xxviii)	मायो-इनोसिटोल
ग.	न्यूक्लियोटाइड		
(i)	एडीनोसिन 5-मोनोफोस्फेट (एएमपी)	(v)	डाइसोडियम यूरिडाइन 5-मोनोफोस्फेट
(ii)	सिस्टआइन 5-मोनो फास्फेट (सीएमपी)	(vi)	डाइसोडियम ग्वानोसाइन 5-मोनो फास्फेट
(iii)	ग्वानोसाइन 5-मोनो फास्फेट (जीएमपी)	(vii)	डाइसोडियम आयोनोसाइन 5-मोनो फास्फेट
(iv)	एनोसाइन 5-मोनो फास्फेट (आईएमपी)		

टिप्पण : - उचित एस्टर्स और अमिनो एसिड के लवण प्रयोग किए जा सकते हैं

अनुसूची – III

[विनियम 3.(13), 4.(2), 8.(2)(i), 8.(2)(iv), 9.(2)(i), 9.(2)(iv) और 9.(2)(v) देखें]

खाद्य में, विशिष्ट आहारिय उपयोग तथा विशेष चिकित्सीय उद्देश्य हेतु खाद्य के लिए विटामिन, खनिज तथा खाद्य में उपयोग होने वाले अनुमत ट्रेस एलिमेंट का मान (शिशुओं के लिए अभीष्ट उत्पादों के प्रयोग के अलावा)

1. विटामिन

1.	विटामिन हेतु आरडीए			
	प्रति 100 कि.जू.		प्रति 100 कि.कै.	
विटामिन :	न्यूनतम	अधिकतम*	न्यूनतम	अधिकतम*
विटामिन ए (μजी. RE)	8.4	43	35	180
विटामिन डी (μजी.)	0.12	0.65 (0.75) ¹	0.5	2.5)3) ¹
विटामिन के (μजी.)	0.85	5	3.5	20
विटामिन सी (एमजी.)	0.54	5.25	2.25	22
थिआमिन (मि.ग्रा.)	0.015	0.12	0.06	0.5
रिबोफ्लेविन (मि.ग्रा.)	0.02	0.12	0.08	0.5
विटामिन बी ₆ (मि.ग्रा.)	0.02	0.12	0.08	0.5
नाइसिन (एमजी एन.ई.)	0.22	0.75	0.9	3
फोलिक एसिड (μज)	2.5	12.5	10	50
विटामिन बी ₁₂ (μजी)	0.017	0.17	0.07	0.7
फेनथोथेनिक एसिड (एमजी)	0.035	0.35	0.15	1.5
बायोटिन (μजी)	0.18	1.8	0.75	7.5
विटामिन ई (एमजी α-टी.ई.)	0.5/ग्रा. पॉलिअनसेच्युरेटिड वसा अम्ल जो कि लिनोलिक अम्ल जैसे व्यक्त हो पर किसी भी हालत में उपलब्ध 0.1 मि.ग्रा. प्रति 100 कि.जू. से कम न हो	0.75	0.5/ग्रा. पॉलिअनसेच्युरेटिड वसा अम्ल जो कि लिनोलिक अम्ल जैसे व्यक्त हो पर किसी भी हालत में उपलब्ध 0.1 मि.ग्रा. प्रति 100 कि.कैल. से कम न हो	3

(¹) : उन अभीष्ट उत्पादों के लिए जो 1 से 10 वर्षीय शिशुओं के लिए हैं; एन.ई. – नायसिन समकक्ष;
टी.ई. – टोकोफेरोल समकक्ष

* जब कोई ऊपरी स्तर (अधिकतम अनुमोदित स्तर 1 से ऊपर (100 प्रतिशत) आरडीए) को किसी विशेष विटामिन और खनिजों को निर्धारित नहीं किया गया हो, ऐसे पोषक की सामग्री एनओएईएल (कोई प्रतिकूल प्रभाव स्तर नहीं देखा गया) या एलओएईएल (न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव स्तर देखा गया) का दसवां हिस्सा होगी

2. खनिज

2.	खनिज हेतु आरडीए			
	प्रति 100 कि.जू.		प्रति 100 कि.कैल	
खनिज	न्यूनतम	अधिकतम*	न्यूनतम	अधिकतम*
सोडियम (मि.ग्रा.)	7.2	42	30	175
क्लोराइड (मि.ग्रा.)	7.2	42	30	175
पोटाशियम (मि.ग्रा.)	19	70	80	295
कैल्शियम (मि.ग्रा.)	8.4) 12) ¹	42) 60) ¹	35) 50) ¹	175) 250) ¹

फास्फोरस (मि.ग्रा.)	7.2	19	30	80
मैग्नीशियम (मि.ग्रा.)	1.8	6	7.5	25
आयरन (मि.ग्रा.)	0.12	0.5	0.5	2.0
ज़िंक (मि.ग्रा.)	0.12	0.36	0.5	1.5
कॉपर (µजी.)	15	125	60	500
आयोडीन (µजी.)	1.55	8.4	6.5	35
सिलेनियम (µजी.)	0.6	2.5	2.5	10
मैग्नीज (मि.ग्रा.)	0.012	0.12	0.05	0.5
क्रोमियम (µजी.)	0.3	3.6	1.25	15
मोलीब्डेनम (µजी.)	0.72	4.3	3.5	18

(!) : उन अभीष्ट उत्पादों के लिए जो 1 से 10 वर्षीय शिशुओं के लिए है

*जब कोई ऊपरी स्तर (अधिकतम अनुमोदित स्तर 1 से ऊपर (100 प्रतिशत) आरडीए) को किसी विशेष पोषक के लिए निर्धारित नहीं गया हो, ऐसे पोषक की सामग्री एनओआईएल (कोई प्रतिकूल प्रभाव स्तर नहीं देखा गया) या एलओआईएल (न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव स्तर देखा गया) का दसवां हिस्सा होगी

अनुसूची –IV

[विनियम 3.(13), 4.(2), 6.(2)(i), 7.(2)(i), 7.(3)(v), 8.(2)(i), 9.(2)(i), 12.(1)(i), 12.(2), 12.(3)(i), 12.(3)(ii) और 12.(3)(iii) 9 देखें]

पादप और वनस्पति संघटकों की सूची

क्र. सं	वनस्पतिक नाम और उपयोग में आने वाले उसके भाग	सामान्य नाम	वयस्कों द्वारा प्रति दिन इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकतम अनुमेय उपयोग का स्तर (कच्ची जड़ी बूटी / सामग्री के संदर्भ में दी गई है)*
1	एबलमोसचूस एस्कूलेंडुस (एल) मोएनक		
	फल / जड़	भिन्डी	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
2	एबीस स्पेक्टाबिलिस (डी .डॉन) / ए रॉयल पिंड्रोव		
	पत्तियां	तालीस पत्र / तालीस भेड	2-4 ग्राम (पाउडर के रूप में)
3	एस्कूलुस इंडिका कलेक्स . / ए हिप्पोकस्तानुम		
	फल / गिरी	भारतीय होर्स अखरोट / कनर	10-20 ग्राम
4	अबेलमोस्कुस मोसचटुस		
	बीज	लता कस्तूरी	3-5 ग्राम
5	अबुतिलयां इंडिकम (एल) मीठा एसएसपी। इंडिकम / ए फ्रूइटिकसुम		
	बीज / जड़	अतिबला	5-10 ग्राम (पाउडर रूप में)
6	जंगली अकेसिया अरेबिका (अबजंगली अकेसिया निलोटिका (एल) के रूप में जाना जाता है पूर्व डेल. एसएसपी. इंडिका (बेंथ .) ब्रेनन)		

	गम	बब्बूला	5-10 ग्राम
	तने की छाल	बब्बूला	5-10 ग्राम
7	<i>अकेसिया कटचु</i>		
	अर्क	कथा / खैर	1-3 ग्राम
8	<i>अच्यरानथस अस्पेरा (एल.) / ए बिडेनटाला</i>		
	बीज / पौधा	चिरचिड़ा	3-5 ग्राम (पाउडर के रूप में)
9	<i>अधाटोडा जिलानिका / ए वासाका</i>		
	पत्ता / जड़ / फूल	अडूसा / वासा	5-10 ग्राम
10	<i>ऐल मरमेलोस (एल) करर</i>		
	कच्चे फलों का गूदा	बेल	5-10 ग्राम
	पके फल	बेल	50- 100 ग्राम (गूदे के रूप में)
	पत्तियों / छाल	बेल पाथेर / बेल छाल	5-10 ग्राम (गूदे के रूप में)
11	<i>एजुगा ब्राक्टेओसा वॉल</i>		
	पौधा	नील कंथी	2-3 ग्राम
12	<i>एलनजियमसाल्वीफोलियम (एल .ऍफ .) वांग. एसएसपी. साल्वीफोलियम</i>		
	फल	अंकोटा	10-20 ग्राम (पाउडर के रूप में)
13	<i>अल्बिजिया लब्बैक (एल) बेंथ / ए प्रोसरा / ए.ओडोरातिस्सिमा</i>		
	फूल	सिरीस	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	बीज	सिरीस	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	तना छाल	सिरीस	3-6 ग्राम
	पत्ते	सिरीस	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
14	<i>अल्पिनियागालानगल</i>		
	प्रकंद	कुलंजन	2-4 ग्राम
15	<i>अल्लियम सेपा एल</i>		
	बल्ब	प्याज	10-20 मिलीली (रस के रूप में)
	बीज	प्याज	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	पत्ते	प्याज	20-40 ग्राम (सब्जी के रूप में)
16	<i>अल्लियम सर्टिगुमएल</i>		
	बल्ब	लसुना	3-6 ग्राम (गर्भावस्था के दौरान नहीं लेने की सलाह दी जाती है)
	पत्ती	लसुना	20-40 ग्राम (सब्जी के रूप में)

17	अल्लियम स्ट्रेची बकरनो		
	पूरा पौधा	फरना	2-3 ग्राम
18	एलोकसिया इंडिका स्पि (अब एलोकसिया मैक्रोरहीजा(एल) जी डॉन के रूप में जाना जाता है)		
	कंद	मनकंडा	5-10 ग्राम
19	एलॉय बर्बाडेंसिस मिल. / ए फेरोक्स / ए वेरा		
	पत्ता	घीग्वार	5-10 ग्राम
	सूखी पत्ती का रस	एलुआ - मुसब्बर	0.5 - 1ग्राम
20	अलथाई ऑफिसीनलिस लीन		
	फूल / जड़	रेश -खातमी	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
21	अल्टेर्नान्थेरा सेस्सिलिस (एल) आर बीआर. पूर्व डीसी.		
	पूरा पौधा	गुदरीसागा	3-5 ग्राम (पाउडर के रूप में)
22	अमरंथुस गंजेटिकस एल (अब अमरंथुस तिरंगा एल के रूप में जाना जाता है) / अमरंथुस ब्लिटुम एल		
	ऊपरी हिस्सा	लाल मरसा - सैग मरसा	10-20 ग्राम (पत्तेदार सब्जी के रूप में)
23	अमरंथुस स्पिनोसुस एल / ए पनिकलाटुसएल (ए ह्यब्रीडस एल)		
	पूरा पौधा	चौलाई कटेली / जल चौलाई	20-30 ग्राम (पत्तेदार सब्जी के रूप में)
24	अमोमम एरोमाटीकम रोक्सब. / ए एरोमाटीकम		
	बीज	बांगिया इला	2-4 ग्राम (पाउडर के रूप में)
25	अमोमम सुबुलटउम रॉक्सब . / ए अरोमटीकम		
	फल	बड़ी इलायची	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	बीज	बड़ी इलायची	1-2 ग्राम (पाउडर के रूप में)
26	एमोफोर्फल्लूस कम्पनउलटुस (रोक्सब.) ब्लूम पूर्व देकने		
	कार्म	जिमिकन्द	20-50 ग्राम (सब्जियों के रूप में)
27	एनाकार्डियमऑक्सीडेंटल एल		
	फलों की गुठली	काजू	10-20 ग्राम
28	एनासैक्लुसप्यरथुम डीसी.		
	जड़	अकरकरा	100 - 250 मिलीग्राम (पाउडर के रूप में) (5 वर्ष से कम बच्चों के उपयोग के लिए सिफारिश नहीं की जाती है)
	बीज	अकरकरा	100 - 250 मिलीग्राम (पाउडर के रूप में) (5 वर्ष से कम बच्चों के उपयोग के लिए सिफारिश नहीं की जाती है)

29	अनानास कमसुस (एल) मेरर.	अनानास	50-100 ग्राम (फल के रूप में) 50-100 मिलीग्राम (रस के रूप में) (गर्भावस्था के दौरान उपयोग करने की सलाह नहीं)
30	आनेथुम सोवा रोकस्ब। पूर्व फलेम. (अब आनेथुम के रूप में जाना जाता है ग्रवैलेस एल)		
	फल / पत्ता	सोवा	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में (फल)) 10-20 ग्राम (पाउडर (पत्ती) के रूप में)
31	<i>एंजेलिका ग्लॉका एडगेव . / एंजेलिका आर्कएंजेलिका एल</i>		
	जड़ और रूट स्टॉक	छोरा	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
32	<i>अननोन स्ववैमस एल. / 1.रेटिकलटा / ए. मुरकटा / ए चेरिमोला</i>		
	फलों का गूदा	शरीफा / शरीफा भेद	20-30 ग्राम (फलों के गूदे के रूप में)
	पत्ता	शरीफा	3-5 ग्राम (पाउडर के रूप में) (16 साल से कम उम्र के बच्चों के उपयोग के लिए सिफारिश नहीं की जाती)
33	<i>एपियम लेप्टोफायलम(पर्स.) मुलल . / ए ग्रवैलेस लीन</i>		
	फल	अजमोद / अजमोदा भेद	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
34	<i>अरकिस हाइपोगर्ई एल</i>		
	बीज	चीनिया बादाम / मूंग फली	10-20 ग्राम
	बीज का तेल	मूंगफली तेल	5-10 मिलीलीटर
35	<i>ऐरेका कटचु एल</i>		
	बीज	सुपारी	1-2 ग्राम)पाउडर के रूप में) (केवल शोधन (शु) के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है)) (5 वर्ष से कम बच्चों के लिए के उपयोग के लिए सिफारिश नहीं की जाती)
36	<i>आर्टिमिसिया अब्सन्थिम लीन</i>		
	पूरा पौधा	अफसन्ति / अस्तिमिसीए / चौहार /	3-6 ग्राम
37	<i>एटोकरपुस हेटेरो फायलुसलाम</i>		
	पके / कच्चे फल	कटहल	20-50 ग्राम
	बीज	कटहल	5-10 ग्राम

38	<i>एटोकरपुस लकूच रोक्स्ब.</i>		
	पके फल / कच्चे फल	बढल	20—30 ग्राम
	बीज	बढल	5—10 ग्राम
39	<i>अर्नेबिया नोबिलिस / ए। बेंथामई</i>		
	जड	रतनजोत	2—4 ग्राम
40	<i>एस्पारागस एडसेनडेस रोक्स्ब</i>		
	ट्यूबरसजड	सफेद मूसली	3—6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
41	<i>ऐस्पैरागस ओफिसिनलिस एल</i>		
	जड	शतावर भेद	3—6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	कोमल तना	शतावर भेद	20—50 ग्राम
42	<i>ऐस्पैरागस रेसमोसस विल्लड .</i>		
	टीयूबरसजड	सतावर	3—6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	कोमल तना	सतावर	20—50 ग्राम
43	<i>ऐस्पैरागस सरमेंटोसस लीन .</i>		
	ट्यूबरसजड	बड़ी शतावर	3—6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
44	<i>अवना सटिवा एल</i>		
	बीज	जई	10—30 ग्राम) पाउडर के रूप में)
45	<i>एवरहोहाकराम्बोला एल</i>		
	फल	कमरख	10—20 ग्राम
46	<i>अजदीराचता इंडिका ए . जूस</i>		
	पत्ता	नीम	1—3 ग्राम (पाउडर के रूप में) (गर्भधारण की कोशिश कर रहे पुरुषों और महिलाओं के उपयोग के लिए सिफारिश नहीं की जाती है)
	फल	नीम	1—2 ग्राम (गूदे के रूप में) (गर्भधारण की कोशिश कर रहे पुरुषों और महिलाओं के उपयोग के लिए सिफारिश नहीं की जाती है) (5 साल से छोटे बच्चों के उपयोग के लिए सिफारिश नहीं की जाती है)
	फूल	नीम	2—4 ग्राम (पाउडर के रूप में)

	जड़ की छाल	नीम	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
47	<i>बम्बुसा अरण्डीनसिया</i> (रेतज.) विल्लड .		
	कोमल तना(युवा पत्ता)	बांस	20-30 ग्राम (सब्जी के रूप में)
	बीज	बांस चावल	20-30 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	क्रिस्टल	बांसलोचन	0.5-2 ग्राम (पाउडर के रूप में)
48	<i>बाकोपा मोनिएरी</i>		
	पूरा पौधा	ब्राह्मी	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	अर्क	ब्रह्मिघा	1-2 ग्राम
49	बसेला अल्बा एल		
	पत्ता	पोई साग	20-30 ग्राम (सब्जी के रूप में)
50	<i>बउहीनिया एल / बउहीनिया पुरपुरेय / बी टोमेंटोसा . लीन</i>		
	तने की छाल	कचनार / सोना	3-6 ग्राम
	फूल / कलियां	कचनार / सोना	10-20 ग्रा.(रस के रूप में)
51	<i>बेनिंकसा हिसपिडा</i> (थुंब .) कगन .		
	फल	पेठा , भतुआ	30-50 ग्राम (सब्जी के रूप में)
52	<i>बरबेरिस अरीस्टेट डी सी . / बी एशियाटिका / बी .लायीसियुं / बी .वूलगरिस</i>		
	फल / तना / जड़	दारुहल्दी	5-10 ग्राम (फल के रूप में)
	तने का अर्क	रसउंत	0.5-1 ग्राम
53	बीटा वोल्गारिस एल		
	कंद	चुकंदर	10-20 मिलीलीटर (रस के रूप में)
54	<i>बोअरहांविया डीफफ्यूसा एल</i> (अब <i>बोअरहांविया रेपेंस</i> एल. वर. डिफफुसा(एल) हुक.एँफ.) / बी <i>वर्टिसिल्लटा</i> के रूप में जाना जाता है		
	ऊपरी भाग	साग इत्सित	20-30 ग्राम (उपरी भागों के रूप में)
	जड़	विषखपरस	10-15 ग्राम (जड़)
55	बॉम्बस् सइबा एल		
	तने की छाल	सेमल	5-10 ग्राम
	फूल	सेमल	10-20 मिलीलीटर (रस के रूप में)
	गोंद	सेमल	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	जड़	सेमलमूसली	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)

56	बॉम्बस माला बरिका / सलमलियामालाबरिका		
	फल/फूल/ जड़	सेमल / समर	10-20 ग्राम
57	बॉसवेलियासेररटा रॉक्सब		
	ओलियोरेसिन	सलाई गुगल	2-4 ग्राम
58	बोरसुस फलबेल्लीफेर एल		
	सूखे पुष्पक्रम	तरकुल / ताड़	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	कच्चे फल का बीज गूदा अपरिपक्व फल	तरकुल / ताड़	10-30 ग्राम
	तने का रस / अर्क	तरकुल / ताड़	100-200 मिलीलीटर (रस के रूप में)
59	बी. वेटीसल्लटा जड़		10-15 ग्राम
60	ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस एल (अब ब्रेसिका रपा एल एसएसपी. कम्पेस्ट्रिस (एल) कलफम के रूप में जाना जाता है)		
	बीज	सरसों	10-20 ग्रा. (पेस्ट के रूप में)
	बीज का तेल	सरसों	10-20 मिलीलीटर
	पत्ते	सरसों	10-30 ग्राम (पत्तेदार सब्जी के रूप में)
61	ब्रेसिका जुंसिया(एल) कजेरन		
	बीज	राई	1-2 ग्राम
	पत्ता	राई	10-20 ग्राम (पत्तेदार सब्जी के रूप में)
62	ब्रेसिका नाइग्रा (एल) कोच.		
	बीज	बनारसी राई	0.5-1 ग्राम
63	ब्रेसिका रपा एल		
	कंद	शलगम	20-40 ग्राम
	पत्ता	शलगम	20-30 ग्राम (सब्जी के रूप में)
64	बचाननिया लंजन सिप्रिना.		
	बीज	चिरौंजी	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
65	बूटी मोनोस्पेर्म		
	बीज/गोंद /जड़ / छाल	धारक	3-6 ग्राम
66	बिक्सा ओरेललना	एनाटो पौधा	1-3 ग्राम
67	कैसलपिनिया बांडउसलला (एल) पलेम (अब कैसल पिनिया बॉनडक (एल) रॉक्सब के रूप में जाना जाता है)		
	पत्ता	कारनजुवा	2-3 ग्राम
	बीज	कारनजुवा	2-3 ग्राम
68	कजानुस कजन (लीन.) मिलसप .		
	बीज	अरहर/ तुवर	30-50 ग्राम

69	<i>कमीलया सीनेंसीस</i>		
	प) चाय पत्ती / अर्क	छाया / चाय अर्क	1-2 ग्राम
	पप) चाय कटाचिस	हरी चाय कटाचिस	0.5-1 ग्राम
70	<i>कनवलिया एनसीफोर्मिस</i> सेंसु बेकर (अब <i>कनवलिया गलडिता</i> (जैक.) के रूप में जाना जाता है डी सी.)		
	बीज	सीमा	5-10 ग्राम
71	<i>कानस्कर डेकुस्सटा</i> (रॉक्सब.) जे.एँफ और जे एच स्कूलट .		
	पत्ता	बांगिया संखपुष्पी	2-4 ग्राम (पाउडर के रूप में)
72	<i>क्यपरिस डेसिडुआ</i> (फोरससक.) एडगेव		
	फल	करीर / डेला	10-20 ग्राम
73	<i>कैप्सिकम एनम</i> एल वर एनम		
	कच्चा फल	हरी मिर्चा	1-2 ग्राम (5 साल की उम्र से छोटे बच्चों के उपयोग करने के लिए सिफारिश नहीं की जाती है)
	पका हुआ फल	लाल मिर्च	0.5-1.0 ग्राम (पाउडर के रूप में) (5 साल की उम्र से छोटे बच्चों के उपयोग करने के लिए सिफारिश नहीं की जाती है)
74	<i>कैप्सिकम फ्रूटस्केन्स</i> एल		
	फल	शिमला मिर्च	30-50 ग्राम (सब्जी के रूप में)
75	<i>कारिका पपिया</i> एल		
	पका फल	पपीता	50-100 ग्राम (पके फल)
	कच्चा फल	पपीता	30-50 ग्राम (कच्चा फल)
76	<i>करिस्सा करंदस</i> एल		
	फल	करौंदा	5-10 ग्राम
77	<i>करिस्सा स्पिनरुम</i> एल		
	फल	कारवां	5-10 ग्राम
78	<i>करथमुस टिक्टोरिस</i> एल		
	फूल का सिर	<i>कुसुंभा</i>	बर्रे
	बीज	<i>कुसुंभा</i>	बर्रे
	बीज का तेल	<i>कुसुंभा</i>	बर्रे तेल
79	करुं कर्वी एल		
	फल	स्याह जीरा	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)

80	कैसिया अब्सुस एल		
	बीज	चाकसू	2-5 ग्राम
81	कैसिया ऑक्सीडेंटलिस एल		
	पत्ता	कसौंदी	5-10 ग्राम
	बीज	कसौंदी	1-3 ग्राम
82	कैसिया तोरा एल		
	पत्ता	चकवड़ / चकरमरद	10-20 ग्राम
	बीज	चकवड़	3-5 ग्राम (पाउडर के रूप में)
83	कैसिया फिस्टुला		
	फल का पल्प / बीज	अमलतास	10-20 ग्राम (पल्प) 2-5 ग्राम (बीज)
84	कैसिया अंगुस्टीफोलिया / सी. एक्यूटीफोलिया		
	बीज / पत्तियां	सनय / सेन्ना	3-6 ग्राम
85	सडरस देवदार रॉक्सब .		
	बीज / लकड़ी / तेल	देवदार	5-10 ग्राम / 2-4 मि. ली.
86	स्लोसिया आर्गेनटियाएल वर. आर्गेनटिया		
	बीज	सुरवली / सफेद मुर्गा	3-6 ग्राम
87	स्लास्ट्रस पनिकलटुस		
	बीज / तेल	मालकांगनी	5-10 ग्राम (पाउडर (बीज) के रूप में) 2-4 मिलीग्राम (तेल के रूप में)
88	सन्टेल्ला एशियाटिका (एल) शहरी		
	पत्ता / पूरा पौधा	ब्राह्मी (गलपत्री)	20-30 ग्राम (सब्जी के रूप में)
	अर्क	ब्राह्मी (गलपत्री)	1-3 ग्राम
89	सेंटर थरुम अंथलमिन्टीकम		
	फल / बीज	काली-जीरी / वन -जीरी	3-6 ग्राम
90	चाइनोपोडियम एल्बम एल		
	पूरा पौधा / पत्ते	बथुआ	20-30 ग्राम (पत्तेदार सब्जीके रूप में)
	बीज	बथुआ	2-5 ग्राम
91	क्लोरोफाइटम बोरिविल्लीअनुम / सी अरण्डीनसउम / सी . ट्यौबेरोसम	मूसली	5 - 10 ग्राम

92	सिक्का (एल) अकीदा मेरिल		
	फल	हरफा रेवाड़ी	10-20 ग्राम
93	सिसर एरीएटीनुम एल		
	कोमल पत्ता	चना / काला चना	30-50 ग्राम (पत्तेदार सब्जी के रूप में)
	बीज	चना / काला चना	20-30 ग्राम
94	सिचोरिउमएवीविया		
	बीज	कासानी	5-10 ग्राम
95	सिनामोन तमला नीस और एबरम. / सी विघ्टी		
	पत्ता	तेजपत्र	2-3 ग्राम
96	सिनामोन जीलानीकम ब्लूम (अब सिनामोन वरुम जे एस प्रेसल के रूप में जाना जाता है)		
	तने की छाल	दालचीनी (सयलोनी)	1-2 ग्राम (गर्भावस्था के दौरान नहीं अनुशंसित नहीं किया जा सकता)
97	सिस्सामपलोस पररिया एल वर हिरसुता (बच -हैम. एकस डी सी.) फोरमैन।		
	पत्ता / पौधा	पाधी	10-20 ग्राम (पाउडर के रूप में)
98	सीसुस क्वाङ्गनगुलारिस एल		
	ऊपरी हिस्सा	हड़जोड़	10-20 ग्राम (गीली चटनी (पेस्ट) के रूप में)
	तना	हड़जोड़	3-6 ग्राम
99	सिट्रुल्लुस कलॉयथिस (एल) स्कार्ड		
	फल	इंदरुं / इन्द्रयन	0.25-0.5 ग्राम (पाउडर के रूप में) (गर्भावस्था के दौरान अनुशंसित नहीं किया जाता)
100	सीट्रॉसल्लुस वुलगरिस सचरद . पूर्व एकल .और जेह. वर. फिस्टलोसुस (स्टॉक) स्टीवर्ट		
	फल	टिंडा	20-40 ग्राम (सब्जी के रूप में)
101	सीट्रॉसल्लुस लनटुस (थुंब.) मत्सुरा और नकई		
	फलों का गूदा	तरबूज	50-100 ग्राम
	बीज	तरबूज	3-6 ग्राम
	बीज का तेल	तरबूज	1-3 मिलीलीटर
102	सीट्रस औरनटीफोलिया (क्रिस्टम. और पंज.) स्विगले.		
	फल	नींबू	3-5 मिलीलीटर (रस के रूप में)
103	सीट्रस लेमन(लीन) बुरम.एफ		

	फल	नींबू जमीरी नींबू	5-10 मिलीलीटर (रस के रूप में)
104	सीट्रस मक्सिमा (बुम.) मेरर.		
	फल	चकोतरा	5-10 मिलीलीटर (रस के रूप में) 30-50 ग्राम (फल के रूप में)
105	सीट्रस मेडिका एल.वर. मेडिका		
	फल	बिजौरा	5-10 मिलीलीटर (रस के रूप में)
106	सीट्रस रेटिकुलाटा ब्लैक.		
	फल	नारंगी	30-50 मिलीलीटर (रस के रूप में)
107	सीट्रस सिनेसिस (एल) ओसबेक		
	फल	मौसमी	50-100 मिलीग्राम (रस के रूप में)
108	क्लेरोदेनड्रम पलोमिडिस		
	पूरा पौधा	लघु अरणि	10-20 ग्राम
109	क्लेरोदेनड्रम सेरराटम		
	पूरा पौधा	भारंगी	10-20 ग्राम
110	कक्सिनिया ग्रांडिस (एल) वोइट. / सी इंडिका		
	पत्ता	कुंदरु फल / कुँत्रु	5-10 ग्राम (5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है)
	तना	कुंदरु	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	पूरा पौधा	कुंदरु	3-6 ग्राम रस के रूप में (पाउडर के रूप में) 5-10 मिलीलीटर
	फल	कुंदरु	20-50 ग्राम (सब्जी के रूप में)
111	कोकोस न्यूसीफेरा एल		
	(i) एण्डोस्पर्म	नारियल	10-20 ग्राम
	(ii) जल	नारियल जल	100-200 मिलीलीटर
	(iii) फूल	नारियल	5-10 ग्राम
112	कक्कुलुस हीरसुतुस (एल) थोब		
	पत्ता	जलजा मणि	10-20 ग्राम
113	कोक्स लैरीमाँ -जोबी एल		
	बीज	गरगरी	10-20 ग्राम
114	कॉफिया अरेबिका		
	बीज / सूखी / ग्रीन	कॉफी	3-5 ग्राम (5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं है)
115	कपुस फॉरसकोहली / सी . अरोमतिकस		
		पत्थचूर , पर्न -यवनी	5-10 ग्राम (5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं है)

116	आलुकी एंटी कोरम स्कॉट. (अब आलुकी एस्कूलेंटा (एल) स्कॉट के रूप में जाना जाता है।)		
	प्रकंद	अरुई	20-30 ग्राम (सब्जी के रूप में) (16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सिफारिश नहीं)
117	कमलिना बेंगलेंसिस एल		
	पूरा पौधा	कौसर	3-6 ग्राम
118	कम्मीफोरा विघ्टी		
	ओलियोरेसिन	गुग्गल	2-4 ग्राम (5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सिफारिश नहीं)
119	कम्मीफोरा मयररहा		
	ओलियोरेसिन	हीरा बोल	2-4 ग्राम (5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सिफारिश नहीं)
120	कोनवोलव्यूलस फ्लुरिकॉलिस		
	पूरा पौधा	शंखपुष्पी	10-20 ग्राम
121	करकोरुस एक्वुटांगुलुस लाम. (अब करकोरुस ऐस्तुअंस एल के रूप में जाना जाता है)		
	ऊपरी हिस्सा	चेंच	10-20 मिलीलीटर
122	करकोरुस कैपसुलारिस एल		
	ऊपरी हिस्सा	नरचा	10-20 मिलीलीटर
123	करकोरुस ओलितोरिस एल		
	ऊपरी हिस्सा	पलवा साग	10-20 मिलीलीटर (रस के रूप में)
124	कोरदियाडाईकोटमाफॉरस्ट एफ. (कोरदिया वालीची जी .डॉन)		
	फल	लिसोड़ा	10-20 ग्राम
125	कोरदिया रोटी रोम. और स्कूलट. (अब कोरदिया घरफ (फोरससक.) एहरेनब और असच के रूप में जाना जाता है।)		
	फल	छोटा लिसोड़ा	10-20 ग्राम
126	कोरीएनड्रम सटाईवुम एल		
	फल	धनिया	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	ऊपरी हिस्सा	धनिया	10-20 मिलीलीटर (रस के रूप में)
127	कोस्तुस स्पेसिओसस		
		केमूक	2-4 ग्राम (पाउडर के रूप में) (5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सिफारिश नहीं की जाती)

128	<i>कराटएवा नूरवाला</i>		
	फल / छाल / पत्ती	वरणा	10-20 ग्राम
129	क्रोकस सतइवुस एल		
	पुंकेसर और पुंकेसर नली	कुमकुम (केसर)	25-50 मिलीग्राम (16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सिफारिश नहीं)
130	<i>कोकुमिस मेलो एल</i>		
	फल	खरबूजा	50-100 ग्राम
	बीज	खरबूजा	पाउडर के रूप में - 1-3 ग्राम
131	<i>कोकुमिस मेलो एल वर. मोमोरीके दुधिए और फुलर</i>		
	फल	फूट	सब्जी के रूप में - 40-50 ग्राम
132	<i>कोकुमिस मेलो एल वर. उतिलिस्सीमुस (रोक्सब.) दुधिए और फुलर</i>		
	बीज	ककड़ी	3-6 ग्राम
	फल	ककड़ी	50-100 ग्राम (सब्जी के रूप में)
133	<i>कोकुमिस सैटाईवस एल</i>		
	बीज	खीरा	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	फल	खीरा	50-100 ग्राम (सब्जी के रूप में)
134	<i>कुकरबीटा मक्सिमा डच. पूर्व लाम.</i>		
	बीज	काशीफल	5-10 ग्राम
	फल	काशीफल	50-100 ग्राम (सब्जी के रूप में)
135	<i>कुकरबीटा पेपो एल</i>		
	फल	सफेद कद्दू / सफेद पेठा	50-100 ग्राम (सब्जी के रूप में)
	बीज	सफेद पेठा	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
136	<i>कमिनुम कयमिनम एल</i>		
	फल	जीरा	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
137	<i>करकलिंगो ऑर्चिओइडस गएरट.</i>		
	कंद	कालीमुशली	3-5 ग्राम
138	<i>करकुमा अमड़ा रोक्सब</i>		
	प्रकंद	आमहल्दी	5-10 ग्राम (ताजे रूप में) 2-4 ग्राम (पाउडर के रूप में)
139	<i>करकुमा अंगुस्तीफोलिया</i>		
	जड़	तवक्षिर	2-5 ग्राम

140	<i>करकुमा लोंगा एल</i>		
	प्रकंद	हल्दी	2-5 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	ताजा प्रकंद	हल्दी	5-10 मिलीलीटर (रस के रूप में)
141	<i>करकुमा जेडोरिया</i> रोक्स्ब. (अब आमाहल्दी सलिसब के रूप में जाना जाता है।)		
	प्रकंद	कचूर	2-5 ग्राम (पाउडर के रूप में)
142	<i>सयमोपसिस टेट्रागोनोलोबा</i>		
	फली / बीज / गोंद	ग्वार, ग्वार गम	20-30 ग्राम (पाउडर के रूप में: फली / बीज) 5-10 ग्राम (गोंद)
143	<i>सैमबोपोगों सीट्राटुस(डीसी) स्टपफ</i>		
	पूरा पौधा	हरीछाया	1-3 ग्राम
144	<i>साईमबोपोगों कलोरटुसस्टपफ</i>		
	ऊपरी हिस्सा	मंजन पुल्लू	1-3 ग्राम
145	<i>साईमबोपोगों जवरन कुसा (जोन्स) स्कूलट</i>		
	जड़	लमजजका	1-3 ग्राम
146	<i>साईमबोपोगों मार्टिनी (रोक्स्ब।) वाट्स .</i>		
	पूरा पौधा	रोशा घास	1-3 ग्राम
147	<i>साईनोडॉन डक्टाइलों (एल) पर्स</i>		
	पत्ता	दूब	3-5 ग्राम
148	<i>साइप्रस रोटंडस एल</i>		
	प्रकंद	नागर मोठा	2-5 ग्राम
149	<i>डॉकस करोटा एल</i>		
	कंद जड़	गाजर	50-100 ग्राम (सब्जी के रूप में) 50-100 मिलीग्राम (रस के रूप में)
	बीज	गाजर	1-2 ग्राम (पाउडर के रूप में) (गर्भावस्था के दौरान उपयोग की सिफारिश नहीं दी जाती)
150	<i>डेसमोडीयामगनगोटिकम / डी लटीफोलियम</i>		
	पूरा पौधा	श्रवण	5-10 ग्राम
151	<i>डेल्लीनिया इंडिका एल</i>		
	मांसल ताजा बाह्यदल (फल)	चलता	40-50 ग्राम (सब्जी के रूप में)

152	<i>डियोस्कोरिया अल्टा एल / डी डेलटाइडी</i>		
	कंद / कार्म	कथलु	10-20 ग्राम
153	<i>डियोस्कोरियाबुलबिफेरा एल</i>		
	कंद	गेंधि / तरडी	20-30 ग्राम (सब्जी के रूप में) 5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	अर्क	गेंधि / तरडी	1-2 ग्राम (अर्क के रूप में)
154	<i>डियोस्करो एस्कुलेंटा (लौर) बुर्किल</i>		
	कंद	सुथनी	5-10 ग्राम
155	<i>डियोस्करो पेंटाफायलाएल</i>		
	कंद	कनतलु	5-10 ग्राम
156	<i>डिप्लोजिआ मक्सिमा</i>		
	कोमल तना	लुंगरु	30-50 ग्राम
157	<i>डियोस्पीरोस फरेग्रीन गुरके (अब डियोस्पीरोस मालाबरिका के रूप में जाना (डीईईसआर.) कोस्टल जाता है)</i>		
	पके फल	गैब	50-100 ग्राम
	कच्चेफल	गैब	4-8 ग्राम (पाउडर के रूप में)
158	<i>डोलीचूस बायीपलोरस एल (अब विग्ना उंगीकुलटा (एल) वलप के रूप में जाना जाता है।)</i>		
	बीज	कुलथी	30-50 ग्राम
159	<i>डोली चूस लैबलैब एल (अब लैबलैब परपुरुस के रूप में जाना (एल) मीठा)</i>		
	बीज	सेम	20-40 ग्राम (बीज के रूप में)
	कोमल फली	सेम	30-40 ग्राम (सब्जी के रूप में)
160	<i>इचाइनोक्लोएफ्रूमैटसिया लिंक</i>		
	फल	संवा	50-100 ग्राम
161	<i>इक्लिपटाप्रोस्टेट एल</i>		
	पूरा पौधा	भांगरा	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
162	<i>इलेत्तरिया करडामोमम (एल) मतोन</i>		
	बीज	छोटी इलायची	250-500 मिलीग्राम (पाउडर के रूप में)
163	<i>इलुसिंना कोरकना (एल) गएरटं. एसएसपी. कोरकना</i>		
	कार्योपसिस	मडुआ	20-50 ग्राम

164	<i>इमब्लिका ओपिफिसनलिस गएरटं</i> (अब <i>फैलानथुस इमब्लिका</i> एल के रूप में जाना जाता है)		
	प) फल पप) अर्क	आंवला / अमला	20-30 ग्राम (ताजा फल के रूप में) 3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में) 5-10 मिलीलीटर (रस के रूप में) 2-4 ग्राम (अर्क के रूप में)
165	<i>एम्बेलिया बुरम</i> रिबस एफ.		
	फल	भभरंगा	1-2 ग्राम (गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही महिलाओं के उपयोग के लिए सिफारिश नहीं दी जाती)
166	<i>इनिकोस्टम्म ब्लूम</i>	मांजजक	2-3 ग्राम
167	<i>इफेड्रागेरार्डियना</i> वाल .		
	पत्तियां / पूरा पौध	सोमलता	2-5 ग्राम
168	<i>यूफोरबियानेरीफोलिया / ई पिलोसा</i>		
	तना (कोमल) उबलने के बाद / पत्ता	थूहर	10-20 ग्राम (तने के रूप में) 3-5 ग्राम (पत्ता) (5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है)
169	<i>इयूरयल फेरोक्स</i> सलिसब		
	बीज	मखाना	20-30 ग्राम (बीज के रूप में) 3-5 ग्राम (पाउडर के रूप में)
170	<i>इवोल्बोलुस अलसीनोइदेस</i>		
	पौधा	विशुक्रान्ते	10-20 ग्राम
171	<i>फगोप्यरुम इस्कूलेटुम</i> मौंच		
	बीज	कटु	50-100 ग्राम
172	<i>फेरुला असफोटिदा</i> एल		
	ओलियो-गोंद राल	हिंग	125 मिलीग्राम (पाउडर के रूप में)
173	<i>फाईकसबेंघा लेंसिस</i> एल		
	फल / तना	बरगद	40-50 ग्राम (फल के रूप में) 5-10 ग्राम (तने के रूप में)
174	<i>फाईकस करीक्या</i> एल / एफ पलमता / एफ लेकर		
	फल / पत्ता	अंजीर	20-30 ग्राम

175	फाईकस ग्लोमेटरोक्स। (अब फाईकस रसमोसा एल के रूप में जाना जाता है)		
	फल / पत्ता	गुलर	20-30 ग्राम (सब्जी के रूप में)
176	फाईकस हिस्पीडा एल .एँफ़		
	फल	कथगुलरा (कको दुम्बम)	10-20 ग्राम
	कोमल पत्ती	काठगुलरा	20-40 मिलीलीटर (रस के रूप में)
177	फाईकस रेलिजियोसा एल		
	फल	पीपल	5-10 ग्राम
	कोमल पत्ती	पीपल	5-10 ग्राम
178	पलकोर्टशिया जंगोमास (भ्रूभंग।) रएसच सीन एफ कटाफ्रक्टा रोक्स पूर्व वाइल्ड।		
	फल	पनियाला	10-20 ग्राम
179	पलकोर्टशिया रमॉन्टची ल हरित (अब पलकोर्टशिया इंडिका के रूप में जाना (बुरम .एँफ़ .) मेरर.)		
	फल	कतई / कांगू	5-10 ग्राम
180	फोनिकलुम वुलगरे मिल		
	फल	सौंफ	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
181	फुमरिया वैल्लनटी (लोइस।) हुक. एफ. और थॉमस वर इंडिका हउसस्क (अब फुमरिया इंडिका (हउसस्क के रूप में जाना जाता है।) पुगस्लेय)		
	पत्तियां	पित्ता पपड़ा	5-10 ग्राम
182	गार्सीनिया इंडिका (ठौर.) चोइसय / जी कम्बोजिया		
	परिपक्व फल / मक्खन / तेल	कोकम	10-20 मिलीलीटर (रस के रूप में) 5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
183	गार्सीनिया पडूनकुलाटा रोक्स। पूर्व बच-हाम।		
	फलों का छिलका	अमलबेडा	रस / पाउडर के रूप में -5-10 मिलीग्राम / ग्राम
184	गार्डेनिया टूरगिडा रोक्स। (अब सरिसकोआईदेस टूरगिडा(रोक्स.) टीरवेंग के रूप में जाना जाता है।)		
	गोंद	खरहर	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
185	जिसकिया फर्नासोईदेस एल		
	पत्ता	बालुका साग	5-10 ग्राम
186	ग्लाइसिन मैक्स (एल) मेरर		
	बीज	सोयाबीन	20-40 ग्राम

187	गलाईकईररहिजा ग्लाब्र एल		
	जड़ और भूस्तरी	मुलेठी	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
188	गमलिना अबॉरिय रोक्सब		
	फल	गहरी	20-30 ग्राम
189	गमलिना हल्दी एल		
	फल	बड़हरा	20-30 ग्राम
190	गोस्सईपियुम हरबासयुम		
	बीज / जड़	कपास	10-20 ग्राम
191	ग्रेविया हिरसुता वहल		
	जड़	गुलस्करी	5-10 ग्राम
192	ग्रेविया पोपलीफोलिया वहल (अब ग्रेविया तेनक्स के रूप में जाना (फोरससक फिर्ट)		
	तने की छाल / फल	गंगेरन	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
193	ग्रेविया टीलीएफोलियावहल / जी.स्क्लेरोफिला		
	फल	धमीन	20-30 ग्राम
194	जेमनेमा सिल्वेस्टर पौध	गुड मर	5-10 ग्राम
	पप) अर्क	गुड मर	1.2 ग्राम
195	ज्ञानंद्रॉप्सिसज्ञानेंद्र(एल) ब्रिक । (अब क्लेओमे ज्ञानेंद्र एल जाना जाता है)		
	बीज	हुरहुर	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	पूरा पौधा	हुरहुर	10-20 मिलीलीटर (रस के रूप में)
196	हबनरिया इंटरमीडिया		
	जड़ कंद, प्रकंद	ऋष्टि	3-5 ग्राम
197	हृदयचियुं स्पिकाटुम हाम पूर्व स्मिथ		
	प्रकंद	कपूर-कछारी	3-5 ग्राम
198	हेमिदसमुस इंडिकस		
	जड़ / तना	अनन्तमुला	3-6 ग्राम

199	हिबिस्कस रोजा-सिनेंसिस एल		
	फूल	गुडहल	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में) गर्भ के दौरान महिलाओं के उपयोग के लिए सिफारिश नहीं दी जाती
200	हिबिस्कस सबदरीफफा एल		
	पत्ता	पटवा	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	बीज	पटवा	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	पके बाह्य दल पुंज	पटवा	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
201	हिपोफए रहमनोडिस एल / एच सालिसीफोलिया		
	फल / पत्ता अर्क	अमलावेटसा अमलावेटसा	10-20 ग्राम 1-3 ग्राम
202	होर देउम वल्गार एल		
	फल	जाओ	100-200 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	पूरा पौधा	जाओ	10-20 ग्राम
203	हयग्रोफिलिया स्पिनोजा	मखाना / ताल मखाना	20-30 ग्राम
204	हयपरिकम परफोराटुम		
	पत्ता	बसंत	3-6 ग्राम
	पौधा अर्क		1-1.5 ग्राम (अर्क के रूप में)
205	इलिसियम वेरम हुक एफ.		
	फल	बडियां खाटाई	250 - 500 मिलीग्राम (पाउडर के रूप में)
206	इनुला रेसमोसा हुक		
	जड़	पुश्कर मूल	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
207	आईपोमिया एक्टिका फॉस्सक		
	पत्ता	कालामिसाग	20-30 ग्राम
208	आईपोमिया बाटाटास(एल.)लिम.		
	कंद	शकरकंद	20-30 ग्राम
209	आईपोमिया डिजिटटा एयूक्ट गैर एल (अब आईपोमिया मारिटियाना जेक्यू के रूप में जाना जाता है।)		
	जड़/कंद	बिलाकंद	3-6 ग्राम
210	जुगलान्स रेजिया लिन		
	फल / पत्ता / छाल	अखरोट	10-20 ग्राम
211	जुनिपेरस कॉम्मुनिस		
	पुष्प/ पत्ता	हाउबर	5-10 ग्राम
212	लागेनारिया बुलगारिस सेर. (अब लागेनारिया सिकेरारिया (तेल) स्टडैंडल के रूप में जाना जाता है)		
	ताजे फल	अलाबु	100- 150 ग्राम (सब्जी के रूप में)

	बीज	अलाबु	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
213	<i>लागोस्ट्रोमिया इन्डिका</i>		
	पत्ता	जरुल	6-12 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	फल अर्क	फ्रश	1-2 ग्राम (अर्क के रूप में)
214	<i>लागोस्ट्रोमिया पारविफलोरा</i>		
	पत्ता	सिद्य	6-12 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	फल अर्क	सिद्य	1-2 ग्राम (अर्क के रूप में)
215	<i>लेंस कुलिनारिस मेडिक</i>		
	बीज	मासुरा	20- 40 ग्राम (बीज के रूप में)
216	<i>लेपिडियम साटाईवम एल.</i>		
	बीज	चनसुर	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में) गर्भ के दौरान महिलाओं के उपयोग के लिए सिफारिश नहीं की जाती है
	उपरी हिस्सा	चनसुर	50- 100 ग्राम (सब्जी के रूप में)
217	<i>लेपिडिनिया रेटिकुलाटा (रिट्ज) डब्ल्यू और ए</i>		
	पत्ता	डोडिसका	20- 30 ग्राम (सब्जी के रूप में)
218	<i>लेयूकास सेफालोटस (कोएनह एकस रुथ 1/2 स्प्रेन्कजे .</i>		
	पत्ता	गुमा	20- 30 ग्राम
219	<i>लीमोनिया एकसीडिस्सिमा एल.</i>		
	फल	कैथ	20- 40 ग्राम (फल के रूप में)
220	<i>लिनियम उसीटाटीस्सीमम एल .</i>		
	बीज	एटासी	10- 20 ग्राम
	बीज का तेल	एटासी	10- 20 मिलीग्राम
221	<i>लिटची चिनेसिस सोनार</i>		
	फल	लीची	50- 100 ग्राम
222	<i>लूफा एक्यूटाएकजे उला एल. रोबक्स</i>		
	पूरा पौधा	तोरार्ई	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	फल	तोरार्ई	30- 50 ग्राम (सब्जी के रूप में)
	बीज	तोरार्ई	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
223	<i>लूफा साइलेनड्रिका एल. एम. रोइम</i>		
	फल	नेनुआ	20- 40 ग्राम (सब्जी के रूप में)
	बीज	नेनुआ	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
224	<i>लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेन्टम मिल (अब लाइकोपर्सिकॉन लाइकोपर्सिकम (एल) कर्सटन के रूप में जाना जाता है)</i>		
	फल	टमाटर	20- 40 ग्राम (सब्जी के रूप में)
225	<i>मधुका इंडिका जीमेल. (अब मधुका लोन्एकजे आईफोलिया (कोएना) माक्रेबिड वर. लाटिफोलया के रूप में जाना जाता है)</i>		
	फूल	महुआ	10-15 ग्राम (फूल के रूप में)
	फल	महुआ	10- 15 ग्राम
	बीज तेल	कोएना का तेल	2.5 मिली
226	<i>मधुका लोन्एकजे आईफोलिया (कोएना) माक्रेबिड वर. लोन्एकजे लाटिफोलया)</i>		
	फूल /फल	जल महुआ	10-15 ग्राम
227	<i>मालवा सिल्वेसट्रिस एल.</i>		
	फल	गुलखैर	5-7 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	पत्ता	गुलखैर	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
228	<i>मानएक्सके आईफेरा इंडिका एल.</i>		
	पका फल		50-150 ग्राम

		आम	
	अधपका फल गूदा	आम	10-30 ग्राम
	बीजगुठली	आम बीज/ मज्जा	1-2 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	पत्ता	आम	3- 5 ग्राम
	अर्क	आमारा) घन)	0.5-1 ग्राम
229	मारान्टा अरुन्डिनासिया एल.		
	कंद	अरारोट	10-30 ग्राम (पाउडर के रूप में)
230	मार्सिलिया मिनुटा एल .		
	पत्ता	चौपतिया	20- 30 ग्राम (सब्जी के रूप में) 2-4 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	अर्क	चौपतिया	1-2 ग्राम (अर्क के रूप में)
231	मैन्था स्पीकाटा एल मैन्था अरवेन्सिसएल / एम एक्वाटिका लिन		
	उपरी हिस्सा	पुदीना	5-10 ग्राम
232	मैन्था पिपेराटा एल./ मैन्था स्पीसीज		
		पिपरमिंट/सत पुदीना	10-30 मिली ग्राम
233	मैसुआ फेरीया लिन		
	पुंकेसर /फूल	नागकेसर	2-5 ग्राम
234	माइक्रोस्टालिस मूसिफेरा रिडले		
	कंद	जीवका	5-10 ग्राम
235	माइक्रोस्टालिस वालिची लिडल (अब मानाएक्स एक्यूमिनेट डी.डॉन के रूप में जाना जाता है)		
	कंद	रिशभका	5-10 ग्राम
236	मिमोसा पुडिका		
	पूरा पौधा / बीज	लाजवन्ती	3-6 ग्राम
237	मिमोसोपा एलेन्क्जे आईएल		
	बीजकोश	मौलासिरी	20-40 ग्राम
	फूल	मौलासिरी	5-10 ग्राम
	तना छाल	मौलासिरी	3-5 ग्राम
238	मिमोसोपा हेक्सन्डा रोबक्स (मिमोसोपा अब मनीलकराहेक्सन्डा (रोबक्स) डब के रूप में जाना जाता है)		
	बीजकोश	खिरनी	20-40 ग्राम
239	मोमारडिका चाराशिया एल.		
	ताजा फल / बीज	करला	30-50 ग्राम (सब्जी के रूप में) 3-5 ग्राम (बीज) गर्भ के दौरान महिलाओं के उपयोग के लिए सिफारिश नहीं की जाती है 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के उपयोग के लिए सिफारिश नहीं की जाती है
240	मोमारडिका डाइओसिका रोबक्स एक्स विल्ड		
	जड	खेखेसा	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	फल	खेखेसा	30-50 ग्राम
241	मोनोकोरिया वाएक्जे इनालेज (ब्रुम . एफ. 1/2 प्रेस्ल		
	कंद	इंदिवरा	3-6 ग्राम
242	मारिन्क्जे ए ओलियफेरा लेम/ एम - कोन्कनेनसिस निम्मो		
	पत्ता	सहजन / मुरीयन्गा / लाल सहजन	10-20 ग्राम (सब्जी और पेस्ट के रूप में)
	बीज	सहजन / मुरीयन्गा	2-6 ग्राम (सब्जी के रूप में)

	कली	सहजन / मुरीयन्गा	40-80 ग्राम
	फूल	सहजन / मुरीयन्गा	10-20 ग्राम
	तना छाल	सहजन / मुरीयन्गा	10-20 ग्राम 2-5 ग्राम (पाउडर के रूप में)
243	मोरुस एल्बा एल./एम. इंडिका / एम. नाइग्रा		
	फल / पत्ते / छाल / फूल	शहतूत	20-30 ग्राम (फल) 3-5 ग्राम (पत्ता)
244	मोस्चेला एस्कुलेंटा / एम. एल्टा		
	पौधा	गुच्छी	10-30 ग्राम
245	मुक्यूना परुरिएन्स(एलण) डीसी.		
	जड़	कवच	10-20 ग्राम
	कली	कवच	20-30 ग्राम (सब्जी के रूप में)
	बीज	कवच	5-10 ग्राम
246	मुरैया कोइनिगी (एल ण) स्प्रेंग./एम एक्सोटिका लिन (कामिनी)		
	पत्ता / फल	कढ़ीपत्ता	5-10 ग्राम
247	मूसा पराडिसिका एल.		
	फूल	केला	20-30 ग्राम
	ताजा तना	केला	20-50 ग्राम 10-20 मिली ली. (रस के रूप में)
	पका फल	केला	100-200 ग्राम
	अधपका फल	केला	50-100 ग्राम
248	माइरिका एस्कुलेंटा बुच.हम./ एम. नागी हुक		
	फल	कफल	5-10 ग्राम
	तना छाल	कफल	2-3 ग्राम
249	माइरिस्टिका फ्रेक्जे रन्स होउट		
	बीज	जायफल	0.25- 1.0 ग्राम (सावधान- अधिक मात्रा में उपयोग करने से चक्कर आ सकते हैं)
	उपरी भाग	जावित्री	0.25 -1 ग्राम (पाउडर के रूप में)
250	माइरिस्टिका मालाबारिका लम		
	बीज	जंगली जायफल	0.5 -2 ग्राम
	उपरी भाग	जंगली जावित्री	0.25 -1 ग्राम
251	नारडोस्टाच्यस जटामांसी		
	जटामांसी		2-5 ग्राम
252	नास्टुरटियम ऑफिसिनल/एन. एक्वाटिकम		
	जलीय क्रेस		20-40 ग्राम
253	नेलूम्बो न्यूसिफेरा गोएरटन.		
	फूल	कमल	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	कंद	भें	30-50 ग्राम
	तना	मुरार	30-50ग्राम (पाउडर के रूप में)
	बीज	कमलगट्टा	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
254	निम्फिया एल्बा लिन / एन. रुबरा/ एन.स्टेलाट		
	कंद/ बीज / फूल	कमलिनी	10-20 ग्राम 3-6 ग्राम (फूल के रूप में)
255	नाइजेला सटाइवा एल		
	बीज	कलौंजी	5-10 ग्राम गर्भावस्था के दौरान उपयोग करने

			के लिए इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है।
256	नायक्टान्थेस एरबोरट्रिस्टिस एल.		
	फूल	हरसिंगार	1-2 ग्राम
	पत्ता	हरसिंगार	1-3 ग्राम
257	निम्फिया रुबरा रोकसब एक्स सालिसब		
	फूल	लाल कुमुद	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
258	निम्फिया स्टैलिस विल्ड प		
	फूल	नीलोफर	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)
259	ऑसिमम बैसिलिकम एल.		
	पत्ता	भैरवी तुलसी नाइजर्बू	3-6 मि.ली. (रस के रूप में) 1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	बीज	तुलसी (जंगली)	125-250 ग्राम
260	ओसिममग रेटिसिमम एल.		
	पत्ता	राम तुलसी (मुंबई)	2-4 ग्राम (पाउडर के रूप में)
261	ओसिमम सेन्कटुम एल. (अब ओसिमम टेन्यूफ्लोरम एल. के रूप में जाना जाता है।)		
	पत्ता	तुलसी	2-5 ग्राम
	बीज	तुलसी	1-2 ग्राम
262	ओलिया यूरोपिया		
	बीज / तेल	जैतून / तेल	10-20 ग्राम / मि.ली.
263	ओनोस्मा ब्राक्टीटम		
	पूरा पौधा / पत्ता	गाउजवन	5-10 ग्राम
264	ओनास्मा हिस्पीडम		
	जड़	रतनजोल	3-5 ग्राम
265	ओपेरकुलिना टुरपेथम		
	जड़ / बीज	निशोध	3-5 ग्राम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।
266	ओपुनितया वुल्गारिस / ओ. डिल्लेनि		
	फल	नागफनी	10-20 ग्राम
267	ओर्किस लाटिफोलिया एल. (अब डायक्टलोरिजिया हेटेगरिया (डी डॉन) सू के नाम से जाना जाता है।)		
	कंद	सलामपंजा	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
268	ओरिंग एनम माजोराना एल.		
	पत्ता	मरुबका	5-10 बूंद (रस के रूप में)
269	ओरोजाइलम इंडिकम		
	छाल / बीज	शयोनोक	5-10 ग्राम
270	ओर्यजा सटाईवा एल.		
	बीज	चावल-शाली	100-200 ग्राम (पाउडर के रूप में)
271	ऑक्सालिस कोरनिकुलाटा एल.		
	पत्ता	तीनपतिया	5-10 मिलीग्राम (रस के रूप में)
272	पंडानस ओडोराटिसिमस एल.एफ.		
	फूल / तेल	केवड़ा	2-5 बूंदें / 2-5 ग्राम
273	पानिकम मिलिएसियम एल.		
	बीज	छीन	50-100 ग्राम
274	पापावेर सोमनिफेरम एल.		
	बीज	पोस्तदाना	2-5 ग्राम (पाउडर के रूप में)

275	पारमेलिया पेरलटा		
	पूरा पौधा	छारिला	3-5 ग्राम
276	पास्पलुम स्कोरोबिकुलाटुम एल.		
	बीज / कयोप्सिस	कोडो	50-100 ग्राम
277	पास्पलुम स्कोरोबिकुलंटम		
	फल / बीज	कोडोन	30-500 ग्राम
278	पेडालियम मूरेक्स		बड़ा गोखरु
279	पेन्निस्टुम टाइफोडियम एल. सी. रिच अब पेन्निसेटुम अमेरिकन (एल.) के. स्चुम के रूप में जाना जाता है		
	बीज	बाजरा	20-40 ग्राम
280	पेयूसेडानम ग्राविओलेंस (एल.) बेंथ और हुक एफ.		
	बीज	शेपु	1-3 ग्राम
281	फासेओलिएस एकोनिटीफोलिएस जेक. (अब इसे विगना एकोनिटीफोलिया (जेक.) मारेचल के रूप में जाना जाता है।)		
	बीज	मोथ	20-50 ग्राम
282	फासेओलिएस एरिअस रोक्सब (अब इसे विगना रेडिएटा (एल.) विलचेक वर रेडिएटा के रूप में जाना जाता है।) 1/2		
	बीज	जंगली मूंग	20-50 ग्राम
283	फासेओलिएस लुन्टस एल.		
	कली	सेम	25-50 ग्राम (दाल के रूप में)
284	फासेओलिएस मूंग एल. (अब इसे विगना मूंगा (एल.) ई हेप्पर के नाम से जाना जाता है)		
	बीज	उड़द	25-50 ग्राम (दाल के रूप में)
285	फासेओलिएस रेडिएटस एल. / पी. ट्रिलोबस सेन्सु के नाम से जाना जाता है।		
	बीज कली	मूंग	50-100 ग्राम (दाल के रूप में)
286	फासेओलिएस वुलगारिस एल.		
	कली	लोबिया	10-20 ग्राम (दाल के रूप में)
287	फोनिकस डेक्टिलीफेरा एल.		
	फल	चुराह / खजूर	20-50 ग्राम
288	फोनिकस सिल्वेस्टरिस (एल.) रोक्सब. / पी एक्वालिस		
	फल	खजूर	20-50 ग्राम
	नीरा	खजूर	30-50 मि.ली. (ताजे रस के रूप में)
289	फायलन्थसअमारस / पी. यूरिनारिया पौधा / अर्क		5-10 ग्राम (पौधा के रूप में) 1-2 ग्राम (अर्क के रूप में)
	फाययलिस अलकेकेन्नी एल.		
290	फल		काकनाज
	फायसालिस मिनिमा एल.		
291	फल		पापोटो
	फायसालिस पेरुवियना एल.		
292	फल		रसभरी
	पिमपिनेला एनिसुम एल.		
293	फल		एनीसून
	पाइनस एक्सेल		
294	फल / तेल		कैल
			5-10 ग्राम / 1-2 मिलीलीटर (5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।)
295	पाइनस गार्डीनिया वॉल		
	एवोस्पर्म	चिलगोजा	5-10 ग्राम

296	पाइनसरोक्सबुर्गाही		
	फल/तेल	चिया	5-10 ग्राम / 1-2 मिली लीटर (5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।)
297	पिपर बेटल एल.		
	पत्ता	पाना	2-5 ग्राम (5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।)
298	पिपर छाबा हंटर (गैर ब्लूम) (अब उसे पिपर रेट्रोफ्रेक्टम वहल के रूप माना जाता है।)		
	पत्ता	छभ	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
299	पिपर क्यूबेबा एल. एफ.		
	फल	कबाब चीनी	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
300	पिपर लांगूम एल.पिपर नागरुम एल.		
	फल	पिपर	0.5-2 ग्राम (पाउडर के रूप में) (लंबे समय तक उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है)
301	पिपर नागरुम एल.		
	फल	कालीमारिचा	0.5-2 ग्राम
302	पिस्टिसिया इंटेग्रीमा स्टीवर्ट (अब उसे पिस्टिसिया चिनेसिस बंग एसएसपी - इंटेग्रीमा(स्टेवर्ट) रैक. एफ.		
	गाल	काकाडासिंगी	1-2 ग्राम
303	पिस्टिसिया वेरा		
	बीज	पिस्ता	5-10 ग्राम
304	पिसुम साटाईवम एल.		
	बीज	मटर	50-150 ग्राम (सब्जी के रूप में)
305	प्लान्टागो ओवाटा फॉस्सका		
	बीज/हस्क	इसबगोल	5-10 ग्राम (सब्जी के रूप में)
306	पॉलीगोनाटम सिरहीफोलियम (वॉल. रॉयल		
	कंद	मेदा	5-10 ग्राम
307	पॉलीगोनाटमवर्टीसिल्लाटम (एल. सभी.		
	कंद	महामेदा	5-10 ग्राम
308	पोर्टुलाका ओलिरासिया एल		
	उपरी हिस्सा	कुल्फा-साग	20-30 ग्राम (सब्जी के रूप में)
309	पोर्टुलाकाक्वाड्रिफीडा एल,		
	उपरी हिस्सा	नोनिया साग	20-30 ग्राम
310	प्रीमना इंटेग्रीफोलिया / पी. लाटिफोलिया		
	पूरा पौधा / छाल	अग्निमंथ बादाम	5-10ग्राम
311	प्रुनस एम्यगडालुस बाइल्ल वार डुलचीन		
	गुठली	बादाम	10-20 ग्राम
	बीज का तेल	बादाम का तेल	3-5 मिली लीटर
312	प्रुनस अरमेनिका एल.		
	बीजकोश	खुमानी	10-20 ग्राम
	गुठली	खुमानी	3-5 ग्राम
	बीज का तेल	खुमानी	3-5 मिलीलीटर
313	प्रुनस सेरासोडेस		
	फूल/लकड़ी	पद्मकाश्ट/पंजा	5-10 ग्राम

314	<i>पुनसपरसिका (एल.) बटस्च</i>		
	बीजकोश	आडु	10-20 ग्राम
315	<i>पसिडियमगुएजावा एल.</i>		
	फल	अमरुद	20-50 ग्राम (ताजे फल के रूप में)
	पत्ता	अमरुद	3-5 ग्राम
316	<i>पेट्रोकारपस मासूपियम</i>		
	एचटी. लकड़ी	विजयसार	5-10 ग्राम
317	<i>पेट्रोकारपस सेंटालिनस</i>		
	एचटी. लकड़ी	लाल चंदन	5-10 ग्राम
318	<i>यूरारिया ट्यूबेरोसा (रोक्सब एक्स विल्ड) जी.सी.</i>		
	कंद	पताल कोहदा	10-20 ग्राम
319	<i>पुनिकागरानाटुम एल</i>		
	बीज	अनार	20-50 ग्राम (बीज के रूप में)
	फल के छिलके	अनार	5-10 ग्राम (फल की छाल के रूप में)
320	<i>पुत्रजीवा रोक्सबुर्गही</i>		
	फल	जिया पोता	3-6 ग्राम (5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।)
321	<i>पाइरस कोम्मयुनिस एल</i>		
	फल	नाशपाती	50-100 ग्राम
322	<i>पाइरसमालुस एल. (अब मालुस पुमिला मिल के रूप में जाना जाता है)</i>		
	फल	सेब	100-200 ग्राम 20-40 मिली लीटर (रस के रूप में)
323	<i>राफानुस साटाइवस एल.</i>		
	जड़	मूली	20-50 ग्राम
	पत्ता	मूली	20-50 ग्राम
	बीज	मूली	125-250 मिलीग्राम
324	<i>रेनवार्डिटा इंडिका</i>		
	पूरा पौधा / पत्ता / अर्क	बसंती	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में) 0.5-1 ग्राम (अर्क के रूप में)
325	<i>रोडोन्ड्रॉन अरबोरियम सम/ आर.कॉम्पनुलाटुम/आर. लेपीडोटुम वाल</i>		
	फूल / अर्क	बुरान्श	20-30 ग्राम (फूल के रूप में) 2-3 ग्राम (अर्क के रूप में)
326	<i>रेहेयम इमोदी वाल एक्स मेइस्सन / आर ऑफिसियनेल</i>		
	पत्ता	रेवन्द चिनी	0.5-1 ग्राम
327	<i>रहस पार्विफलोरा रोएक्सब एक्स जीसी</i>		
	फल	समाकदाना	30-75 ग्राम
328	<i>रिसिनस कॉम्मयूनिंस</i>		
	बीज / जड़ / पत्ता	एरंड	5-10 ग्राम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।
329	<i>रोसा एल्बा एल</i>		
	फूल	सफेद गुलाब	10-20 ग्राम
330	<i>रोसा सेनटीफोलिया एल.</i>		

	फूल / तेल	गुलाब	10—20 ग्राम (फूल के रूप में) 2—5 बूंदें (तेल के रूप में)
331	<i>रोसा डामास्केना मिल</i>		
	फूल / तेल	गुलाब फसली	10—20 ग्राम / 2—5 बूंदें
332	<i>रोसिया प्रोसेरा वाल</i>		
	टीएम कंद	कंदमूल	5—10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
333	<i>रुबिया कार्डफोलिया</i>		
	तना / टीएम	मंजीथा	3—6 ग्राम
334	<i>रुमेक्स वेसिकारियस एल.</i>		
	पत्ता	अमबत चुक्का	10—20 ग्राम
335	<i>रुमेक्स नेपालिनसिस / आर. मारिटिमस / आर. एसीटोसेला</i>		
	शाक / फाफरु		20—40 ग्राम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।
336	<i>सक्कचारुम ऑफिसिनारुम एल.</i>		
	तना / रस / जड / काढ़ा	गन्ना	100—200 मिली ग्राम (रस के रूप में) मधुमेह रोगियों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है
	शुगर	चीनी / शक्कर	50—100 ग्राम मधुमेह रोगियों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है
	जेगरी	गुड	50—100 ग्राम मधुमेह रोगियों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है
337	<i>सालासिया चाइनिसिस एल. / सालासिया ओब्लान्गा वाल एक्स वजन और अरन / सालासिया रेक्टकुलान्टा वजन / एस रॉक्सीबुर्घी / एस माक्रोस्पर्मा</i>		
	जड	सप्तरंगी	5—10 ग्राम
	तना अर्क	सप्तरंगी	0.5—1 ग्राम
338	<i>सलावाडोरा पर्सिका / उस ओलिवोइडेस</i>		
	फल / पत्ता	पीलू / बड़ा पेलू	5—10 ग्राम
339	<i>सन्तालुम एल्बुम एल.</i>		
	तेल	चंदन का तेल	3— 5 बूंदें (तेल के रूप में)
	कठोर लकड़ी		1—2 ग्राम (कठोर लकड़ी के रूप में)
340	<i>साराका असोका</i>		
	छाल / पत्ता	अशोक	5—10 ग्राम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।
341	<i>साउस्सारिया लाप्या</i>		
	जड / कंद	कुथ	3—5 ग्राम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।

342	सिन्डापसुस ऑफिसिनालिस		
	तना	गजपीपली	3-5 ग्राम
343	स्काइरपस कयसूर रोक्सब (अब स्काइरपसग रोस्सुस (एल.एफ.) पल्ला के रुप में जाना जाता है		
	कंद	कुशेरु	20-50 ग्राम (सब्जी के रुप में)
344	सेलिनुम टेन्थीफोलियम/ एस.वागीनाटुम		
	कंद/जड़	भूतकेशी	3-5 ग्राम
345	सेसामुम इंडिकम एल. (अब सेसामुम ओरिन्टेल एल के रुप में जाना जाता है)		
	बीज	तिला	10-20 ग्राम
	तेल	तिला	5-10 मिलीलीटर
346	सेस्बानियाग रनडिफलोरा (एल.) पोइर.		
	फूल	अगाथी	10-20 ग्राम (सब्जी के रुप में)
	पत्ता	अगाथी	10-20 ग्राम
347	सेटारिया आईटालिका(एल. पी. बेअयूव.		
	बीज	कांगू	10-50 ग्राम
348	सिदस कोर्डियाफोलिया एल./एस. रोम्बिफोलिया लिन / एस. एक्यूटा		
	पूरा पौधा/ अर्क	बारियारा	10-30 ग्राम
	बीज	बारियारा	3-5 ग्राम
349	सोलोनम इंडिकम/ एस. सुराटिन्स/एस.टोर्वुम		
	पूरा पौधा /फल अर्क	कान्तकारी/कटेली	5-10 ग्राम 1-2 ग्राम (अर्क के रुप में)
350	सोलोनम मेलगूके एल		
	फल	बैंगन	50-100 ग्राम
351	सोलोनम नाइग्रम एल.		
	पत्ता / पौधा	छोटी मकोय	30-60 ग्राम
352	सोरंगहम वुलग्रारे पेर्स		
	बीज	ज्वारा	50-100 ग्राम
353	स्फाएरान्थस इंडिकस		
	फूल	गोरकमुंडी	5-10 ग्राम
354	स्पिनासिया ओलेरासिया एल.		
	पत्ता	पालक	50-100 ग्राम
355	स्पोन्डिस मांगीफेरा विल्ड (अब स्पोन्डिया पिन्नाटा (एल.एफ.) कुर्ज. के रुप में जाना जाता है)		
	फल / पत्ता	अमबाडा	20-50 ग्राम 1-3 ग्राम (पाउडर के रुप में)
356	स्ट्रेचनोस पोटाटोरुम एल.		
	बीज	निर्माली	5-10 ग्राम (पाउडर के रुप में)
357	स्वेटिया चिरायिता/एस. सिलिएटा/एस.एंगुस्टिफोलिया		
	पूरा पौधा	चिराइता	3-5 ग्राम (पूरे पौधे के रुप में)
	अर्क	चिराइता	0.5-1 ग्राम (अर्क के रुप में)
358	सायम्पलोकोस रेसेमोसा		
	छाल/पत्ता	लोधार	3-5 ग्राम
359	सायजाईगियम एरोमाटिकम (एल.) मेरर और एल पैरी		
	फूल,कली	लौंग	0.5-1 ग्राम
360	सायजाईगियमक्यूमिनी (एल.) स्क्लस		

	बीजकोश और मध्यफल भित्ति	जामुन	10—50 ग्राम
	बीज	जामुन	5—10 ग्राम
361	टक्का एस्पेरा रोकसब		
	कंद	भेवारा के कंद	20-50 ग्राम
362	टमारिन्डस इंडिका एल		
	फल गूदा	इमली	5—10 ग्राम (त्वचा रोग के उपचार के दौरान इसका उपयोग ना करें)
	बीज	इमली	5—10 ग्राम
363	टेफरोसिया पूरपूरिया.		
	पूरा पौधा	सरपन्खा	5—10 ग्राम
364	टेरामनूस लाबियालिस (एल.एफ.) स्पेरेन्ग		
	पूरा पौधा	माशपर्णी	20—50 ग्राम
365	टर्मिनालिया अर्जुन		
	छाल/पत्ता/फल	अर्जुन	5—10 ग्राम
	अर्क		0.5 —1 ग्राम (अर्क के रूप में)
366	टर्मिनालियाबेलेरिक (गारटन.½ रोकसब		
	फल बीजकोश/ अर्क	बहेडा	3—5 ग्राम (फल बीजकोश के रूप में) 0.5—1 ग्राम (अर्क के रूप में)
367	टर्मिनालियाकाटाप्पा एल		
	गुंठली	देसी बादाम	10—20 ग्राम
368	टर्मिनालिया चेबुला रिटज		
	i) फल बीजकोश ii) अर्क	हरड./हरर	3—5 ग्राम (पाउडर के रूप में) अर्क के रूप में 0.5—1 ग्राम (पाउडर के रूप में)
369	टर्मिनालिया टोमेन्टोसा		
	तना/छाल/पत्ता	जारान्द्रम/असन	5—10 ग्राम
370	थाइमस सेरफायलम एक्यूट नॉन एल (अब थाइमस लिनेएरिस बेन्थ के रूप में जाना जाता है)		
	पत्ता	वन अजवाइन	1—3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
371	ट्रैकियास्परमम एम्मी (एल.) स्पारागुए		
	बीज	अजवाइन	1—3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
	पत्ता	अजवाइन	10—20 ग्राम
372	ट्रापा बिस्पाइनोसा रोकसब (ट्रापा नाटन्स एल. वर बाइस्पिनेसा (रोक्सब.) मैकिनो)		
	एवोर्स्पम/ फल	सिंघाड़ा	30—60 ग्राम
373	ट्राईएंथेमा पोर्टूलाकॉस्ट्रम एल..		
	पूरा पौधा	स्वेत पुर्ननवा	10—20 ग्राम
374	टाईब्यूलस टेरेस्टरिस		
	फल/पूरा पौधा	गोखरु	5—10 ग्राम
375	ट्राईकोलेपिसग लाबेरिमा		
	पौधा	ब्राहम डांडी	3—6 ग्राम
376	ट्राईकोसन्थेस एनो यीना एल.		
	फल	चिचिंडा	30-60 ग्राम
377	ट्राईकोसन्थेसडाइओइका रोकसब.		
	फल/ पत्ता	परवल	30—60 ग्राम

378	ट्राइङ्गानेला फोएनम ग्रासियम एल.		
	बीज	मेथी	5-10 ग्राम
	पत्ता	मेथी	50-100 ग्राम
379	ट्राइटीकम ऐस्टीवम एल		
	बीज	गेहूं	50-100 ग्राम
	कोमल तना / अंकुर	अंकुरित गेहूं	10-50 ग्राम
380	टाइफोनियम ट्राईकोबेटम (एल) स्कूट		
	कंद	कोन्चू	20-50 ग्राम
381	टीनोस्पेराकार्डीफोलिया मिएस.(मिनिस्पेरमासिया) सिन. टी. गलाब्रा (एन. ब्रूम)		
	जड़े / तना		5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में) 10-20 मिलीलीटर (काढ़े के रूप में) 400 मिली ग्राम (सत्व के रूप में)
	(i) अर्क		1-2 ग्राम
382	यूर्टिका पारवीफलोरा / यू. डाइको		
	कोमल पत्ता	बिच्छू बूटी	10-20 ग्राम
383	यूरारिया पिक्टा		
	पूरा पौधा	पिथविन	5-10 ग्राम
384	वालेरियना जटामासी जोन्स / वी. वालिची		
	कंद	टगर	1-3 ग्राम (पाउडर के रूप में)
385	वेटिवेरिया जेजानिओइडेस		
	पूरा पौधा	खस	10-20 ग्राम
386	विगना ट्राईलोबटा (एल.) वेर्डिक		
	पूरा पौधा	मुगेवन	20-50 ग्राम
387	वियोला ओडोराटा / वी. पिलोसा / वी. सिल्वेस्टरिस		
	पूरा पौधा / फूल	वन्कशा	3-5 ग्राम (5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।)
388	विटेक्स एग्नेस कास्टस लिन		
	बीज / पत्ता	रेनुका बीज / साग	3-6 ग्राम (5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।)
389	विटेक्स नेगुन्डो / वी. ट्राईफोलियो		
	फल / बीज / पत्ते	निरंगुडी	3-5 ग्राम
390	वितिस विनिफेरा एल.		
	फल	मुन्नका	10-30 ग्राम
	बीज / फल के छिलके	मुन्नका	1-3 ग्राम
391	वेडेलिया कालेन्डुलासिया (एल) लेस. (अब वेडेलिया चाइनेसिस(ओसबेक) मेर के रूप में जाना जाता है।)		
	पत्ता	पीला भागुरा	5-10 ग्राम (पाउडर के रूप में)
392	विथानिया कोगुलेंस (स्टॉक) डुनाल		
	फल	पनीर डोडा	5-10 ग्राम
393	विथानिया सोमनीफेरा (एल) डुनाल		
	जड़	असगंध	3-6 ग्राम (पाउडर के रूप में)

	अर्क	असर्गंध	0.5-1 ग्राम (अर्क)
394	वुडफोरडिया फ्रुटीकोसा		
	फूल	दाह के फूल	5-10ग्राम
395	विरिहटिया टिक्टोरिया / डब्ल्यू टोमेन्टोसा		
	छाल / पत्ता / बीज	मीठा कुटज	5-10 ग्राम
396	जेन्थोऑक्सेलम अलाटुम रोबक्स (अब जेन्थोऑक्सेलम अरमाटुम डीसी के रूप में जाना जाता है।)		
	बीज / तना छाल	तिमुरा	1-3 ग्राम
397	जिया मेज एल		
	बीज	मक्का	20-100 ग्राम
	पुंकेसर	मक्का	5-10 ग्राम
398	जिनिबंर ऑफिसीनल रोएससी		
	क्कद	अदरक	5-10 ग्राम (हाइपरटेंशन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर के उपचार के दौरान इसका उपयोग ना करें)
399	जिजिफुस जूजूबा लिन		
	फली	बेर	10-50 ग्राम
400	जिजिफुस नुममुलारिया (ब्रुम एफ)	डब्ल्यू और ए	
	फली	जंगली बेर / झर बेर	15-30 ग्राम

टिप्पण 1: उपरोक्त अनुसूची में सूचीबद्ध संघटकों को तालिका के अंतिम स्तंभ में प्रदर्शित अर्क के रूप में भी प्रति दिन अधिकतम अनुमेय उपयोग के स्तर के अधीन इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर लिखे संघटक प्रसंस्करण के बाद ही प्रयोग किये जाये।

टिप्पण 2: उपरोक्त अनुसूची में सूचीबद्ध संघटकों के लिए उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त तथा अवशेष) विनियमावली, 2011, का पालन करना होगा।

टिप्पण 3: 5-16 साल के बीच बच्चों के लिए अधिकतम स्वीकार्य अनुमेय उपयोग का स्तर वयस्कों के अधिकतम उपयोग स्तर का आधा है।

टिप्पण 4: 1-5 साल के बीच बच्चों के लिए अधिकतम अनुमेय उपयोग स्तर वयस्क के लिए अधिकतम उपयोग स्तर का एक चौथाई है।

अनुसूची - V A

[विनियम 3.(13), 6.(4), 7.(5), 10.(3) और 11.(3) देखें]

स्वास्थ्य अनुपूरकों, न्यूट्रास्यूटिकल्स और खाद्य सहित प्रोबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स खाद्यों योजकों की सूची

क्र.सं.	आईएनएस सं	खाद्य योजक या समूह	अधिकतम अनुमत स्तर
1.	950	एसेसल्फेम पोटेशियम	2000 मिलीग्राम / किलोग्राम
2.	304, 305	एस्कार्बिल एस्टर्स	500 मिलीग्राम / किलोग्राम
3.	951	एसपारटेम	5500 मिलीग्राम / किलोग्राम
4.	962	एसपारटेम - एसेसल्फेम साल्ट	2000 मिलीग्राम / किलोग्राम
5.	901	बीसवैक्स	जीएमपी
6.	210, 211, 212, 213	बेंजाएट्स	2000 मिलीग्राम / किलोग्राम
7.	133	ब्रिलियंट ब्लू एफ सी एफ	300 मिलीग्राम / किलोग्राम
8.	320	ब्यूटेलेटिड हाइड्रोक्सीएनीसोल (बी एच ए)	400 मिलीग्राम / किलोग्राम
9.	321	ब्यूटेलेटिड हाइड्रोक्सी टोल्यान (बी एच टी)	400 मिलीग्राम / किलोग्राम
10.	902	केण्डेलेला वैक्स	जीएमपी
11.	150 c	कैरामल III - अमोनिया कैरामल	20000 मिलीग्राम / किलोग्राम
12.	150 d	कैरामल IV - सल्फेट अमोनिया कैरामल	20000 मिलीग्राम / किलोग्राम
13.	903	करनौबा वैक्स	5000 मिलीग्राम / किलोग्राम
14.	160a(ii)	बीटा-करोटिन्स (सब्जियाँ)	600 मिलीग्राम / किलोग्राम

क्र.सं.	आईएनएस सं	खाद्य योजक या समूह	अधिकतम अनुमत स्तर
15.	160a(i), (iii), 160e, 160f	कैरोटेनॉयड्स	300 मिलीग्राम/किलोग्राम
16.	1503	कैस्टर आयल	1000 मिलीग्राम/किलोग्राम
17.	141(i),(ii)	क्लोरोफिल्स और क्लोरोफिल्लिस, कॉपर कम्प्लेक्सेस	500 मिलीग्राम/किलोग्राम
18.	472e	डायएसिटिलटार्टरिक और फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल	5000 मिलीग्राम/किलोग्राम
19.	385, 386	एथीलिन डाएमाइन टेट्रा एसीटेट्स	150 मिलीग्राम/किलोग्राम
20.	143	फास्ट ग्रीन एफसीएफ	600 मिलीग्राम/किलोग्राम
21.	163(ii)	अंगूर के छिल्के का अर्क	500 मिलीग्राम/किलोग्राम
22.	132	इंडिगोटाइन (इंडिगो कारमाइन)	300 मिलीग्राम/किलोग्राम
23.	961	नियोटेम	90 मिलीग्राम/किलोग्राम
24.	338, 339(i)-(iii), 340(i)-(iii), 341(i)-(iii), 342(i),(ii), 343(i)-(iii), 450(i)-(iii),(v)-(vii), 451(i),(ii), 452(i)-(v), 542	फॉस्फेट्स	2200 मिलीग्राम/किलोग्राम
25.	1203	पोलिविनाएल एल्कोहल	45000 मिलीग्राम/किलोग्राम
26.	900a	पोली डाई मिथाइलसाइलोकसेन	50 मिलीग्राम/किलोग्राम
27.	1521	पॉलीएथीलिन ग्लाइकोल	70000 मिलीग्राम/किलोग्राम
28.	432-436	पाली सार्बेट्स	25000 मिलीग्राम/किलोग्राम
29.	1201	पालीविनायलपाएरोलीडोन	जीएमपी
30.	124	पोन्सियू 4आर (कोचिनल रेड ए)	300 मिलीग्राम/किलोग्राम
31.	310	प्रोपिल गैल्लेट	400 मिलीग्राम/किलोग्राम
32.	101(i)-(iii)	रिबोफ्लेविस	300 मिलीग्राम/किलोग्राम
33.	954(i)-(iv)	सैक्रींस	1200 मिलीग्राम/किलोग्राम
34.	904	शैलो, ब्लीचड	जीएमपी
35.	200-203	सोर्बेट्स	2000 मिलीग्राम/किलोग्राम
36.	960	स्टेविओल ग्लाइकोसाइड्स	2500 मिलीग्राम/किलोग्राम
37.	955	सुक्रालोस (ट्राइक्लोरोग्लक्टोसुक्रोस)	2400 मिलीग्राम/किलोग्राम
38.	474	सुक्रोग्लिसेराइड्स	2500 मिलीग्राम/किलोग्राम
39.	110	सनसेट येलो एफसीएफ	300 मिलीग्राम/किलोग्राम

अनुसूची – V B

(विनियम 3.(13), 8.(4), 10.(3) और 11.(3) देखें)

विशिष्ट आहारीय उपयोग हेतु खाद्य तथा प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स मिले हुए खाद्य के लिए खाद्य योजकों की सूची

क्र.सं.	आईएनएस सं.	खाद्य योजक या समूह	अधिकतम अनुमत स्तर
1.	950	एसेसल्फेम पोटैशियम	450 मिलीग्राम/किलोग्राम
2.	956	एलिटेम	300 मिलीग्राम/किलोग्राम
3.	304, 305	एस्कार्बिल एस्टर्स	500 मिलीग्राम/किलोग्राम
4.	951	एसपारटेम	1000 मिलीग्राम/किलोग्राम
5.	962	एसपारटेम – एसेसल्फेम साल्ट	450 मिलीग्राम/किलोग्राम
6.	210, 211, 212, 213	बेंजोट्स	2000 मिलीग्राम/किलोग्राम
7.	133	ब्रिलियंट ब्लू एफसीएफ	300 मिलीग्राम/किलोग्राम
8.	150c	कारमेल III – अमोनिया कारमेल	20000 मिलीग्राम/किलोग्राम
9.	150d	कारमेल IV – सल्फेट अमोनिया कारमेल	20000 मिलीग्राम/किलोग्राम
10.	160a(ii)	बीटा –करोटिन्स (सब्जियां)	600 मिलीग्राम/किलोग्राम
11.	160(i), (iii), 160e, 160f	कैरोटिनोइड्स	300 मिलीग्राम/किलोग्राम
12.	472e	ग्लिसरॉल के डाइएसीटिल और फेटी एसिड एस्टर्स	5000 मिलीग्राम/किलोग्राम
13.	163(ii)	अंगूर के छिलके का अर्क	250 मिलीग्राम/किलोग्राम
14.	132	इंडिगोटाइन (इंडिगो कारमाइन)	300 मिलीग्राम/किलोग्राम
15.	961	नियोटेम	65 मिलीग्राम/किलोग्राम
16.	338, 339(i)-(iii), 340(i)-(iii), 341(i)-(iii), 342(i),(ii), 343(i)-(iii), 450(i)-(iii),(v)-(vii), 451(i),(ii), 452(i)-(v), 542	फॉस्फेट्स	2200 मिलीग्राम/किलोग्राम
17.	900a	पोली डाई मिथाइलसिलोक्सेन	50 मिलीग्राम/किलोग्राम
18.	124	पोन्सियू 4 आर (कोचिनल रेड ए)	300 मिलीग्राम/किलोग्राम
19.	101(i)-(iii)	रिबोफ्लेविंस	300 मिलीग्राम/किलोग्राम
20.	954(i)-(iv)	सैक्रींस	200 मिलीग्राम/किलोग्राम
21.	200-203	सार्बेट्स	1500 मिलीग्राम/किलोग्राम
22.	960	स्टेविओल ग्लोइकोसाइड्स	660 मिलीग्राम/किलोग्राम
23.	955	सुक्रालोस (ट्राईक्लोरोग्लेक्टोसुक्रोस)	400 मिलीग्राम/किलोग्राम
24.	110	सनसेट येलो एफसीएफ	300 मिलीग्राम/किलोग्राम

अनुसूची – V C

[विनियम 3.(13), 9.(4), 10.(3) और 11.(3) देखें]

विशेष चिकित्सा उद्देश्य (शिशुओं के लिए उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों के अलावा) हेतु खाद्य तथा प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स मिले हुए खाद्य के लिए खाद्य योजकों की सूची

क्र.सं.	आईएनएस सं.	खाद्य योजक या समूह	अधिकतम अनुमत स्तर
1.	950	एसेसल्फेम पोटैशियम	500 मिलीग्राम/किलोग्राम
2.	951	एसपारटेम	1000 मिलीग्राम/किलोग्राम
3.	962	एसपारटेम – एसेसल्फेम साल्ट	500 मिलीग्राम/किलोग्राम
4.	210 - 213	बेंजोट्स	1500 मिलीग्राम/किलोग्राम
5.	133	ब्रिलियंट ब्लू एफसीएफ	50 मिलीग्राम/किलोग्राम
6.	150c	कारमेल III – अमोनिया कारमेल	20000 मिलीग्राम/किलोग्राम
7.	150d	कारमेल IV – सल्फेट अमोनिया कारमेल	20000 मिलीग्राम/किलोग्राम
8.	160a(ii)	बीटा –करोटिंस (सब्जियां)	600 मिलीग्राम/किलोग्राम

9.	160a(i), (iii), 160e, 160f	कैरोटिनॉयड्स	50 मिलीग्राम/किलोग्राम
10.	472e	ग्लिसरॉल के डाइएसीटिलटार्टरिक और फेटी एसिड एस्टर्स	5000 मिलीग्राम/किलोग्राम
11.	163(ii)	अंगूर के छिल्के का अर्क	250 मिलीग्राम/किलोग्राम
12.	132	इंडिगोटाइन (इंडिगो कारमाइन)	50 मिलीग्राम/किलोग्राम
13.	961	न्योटेम	33 मिलीग्राम/किलोग्राम
14.	338, 339(i)-(iii), 340 (i)-(iii), 341(i)-(iii), 342 (i),(ii), 343(i)-(iii), 450 (i)-(iii), (v)-(vii), 451(i),(ii), 452(i)-(v), 542	फॉस्फेट्स	2200 मिलीग्राम/किलोग्राम
15.	900a	पोली डाई मिथाइलसाइलोकसेन	50 मिलीग्राम/किलोग्राम
16.	436-432	पोलीसार्बेट्स	1000 मिलीग्राम/किलोग्राम
17.	124	पोन्सियू 4 आर (कोचिनल रेड ए)	50 मिलीग्राम/किलोग्राम
18.	477	वसायुक्त अम्लों के प्रोपलिन ग्लाइकोल एस्टर्स	5000 मिलीग्राम/किलोग्राम
19.	101(i)-iii	रिबोफ्लेविस	300 मिलीग्राम/किलोग्राम
20.	954 (i)-(iv)	सैक्रींस	200 मिलीग्राम/किलोग्राम
21.	200-203	सार्बेट्स	1500 मिलीग्राम/किलोग्राम
22.	960	स्टेविओल ग्लाइकोसाइड्स	350 मिलीग्राम/किलोग्राम
23.	955	सुक्रालोस (ट्राईक्लोरोग्लक्टोसुक्रोस)	400 मिलीग्राम/किलोग्राम
24.	474	सुक्रोग्लिसराइड	5000 मिलीग्राम/किलोग्राम
25.	110	सनसेट येलो एफसीएफ	50 मिलीग्राम/किलोग्राम

अनुसूची – V D

[विनियम 6, 7 और 8 देखें]

विशेष चिकित्सा उद्देश्य (शिशुओं के लिए उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों के अलावा) के लिए खाद्य; स्लिमिंग प्रयोजनों और वजन में कमी के फॉर्मूला हेतु, तथा खाद्य में शामिल प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक खाद्य योजकों की सूची

क्र.सं.	आईएनएस सं	खाद्य योजक या समूह	अधिकतम अनुमत स्तर
1.	950	एससल्फेम पोटेशियम	450 मिलीग्राम/किलोग्राम
2.	304, 305	एस्कार्बिल एस्टर्स	500 मिलीग्राम/किलोग्राम
3.	951	एसपारटेम	800 मिलीग्राम/किलोग्राम
4.	962	एसपारटेम – एससल्फेम साल्ट	450 मिलीग्राम/किलोग्राम
5.	210 - 213	बेंजोट्स	1500 मिलीग्राम/किलोग्राम
6.	133	ब्रिलियंट ब्लू एफसीए	50 मिलीग्राम/किलोग्राम
7.	150c	कारमेल III – अमोनिया कारमेल	20000 मिलीग्राम/किलोग्राम
8.	150d	कारमेल IV – सल्फेट अमोनिया कारमेल	20000 मिलीग्राम/किलोग्राम
9.	160a(ii)	बीटा –कैरोटिन्स (सब्जियां)	600 मिलीग्राम/किलोग्राम
10.	160a(i), (iii), 160e, 160f	कैरोटेनॉयड्स	50 मिलीग्राम/किलोग्राम

क्र.सं.	आईएनएस सं	खाद्य योजक या समूह	अधिकतम अनुमत स्तर
11.	472e	ग्लिसरॉल के डाइएसीटिलटार्टरिक और फैटी एसिड एस्टर्स	5000 मिलीग्राम/किलोग्राम
12.	163(ii)	अंगूर के छिल्के का अर्क	250 मिलीग्राम/किलोग्राम
13.	132	इंडिगोटाइन (इंडिगो कारमाइन)	50 मिलीग्राम/किलोग्राम
14.	961	नियोटेम	33 मिलीग्राम/किलोग्राम
15.	338, 339(i)-(iii), 340(i)-(iii), 341(i)-(iii), 342(i),(ii), 343(i)-(iii), 450 (i)-(iii),(v)-(vii), 451(i),(ii), 452(i)-(v), 542	फॉस्फेट्स	2200 मिलीग्राम/किलोग्राम
16.	900a	पोली डाई मिथाइलसिलोक्सन	50 मिलीग्राम/किलोग्राम
17.	432 - 436	पाली सर्बट्स	1000 मिलीग्राम/किलोग्राम
18.	124	पोन्सियू 4 आर (कोचिनल रेड ए)	50 मिलीग्राम/किलोग्राम
19.	477	वसायुक्त अम्लों के प्रोपेलीन ग्लाइकोल एस्टर	5000 मिलीग्राम/किलोग्राम
20.	101(i)-iii)	रिबोफ्लेविस	300 मिलीग्राम/किलोग्राम
21.	954 (i)-(iv)	सैक्रींस	300 मिलीग्राम/किलोग्राम
22.	200-203	सोर्बेट्स	1500 मिलीग्राम/किलोग्राम
23.	960	स्टेविओल ग्लाइकोसाइड्स	270 मिलीग्राम/किलोग्राम
24.	955	सुक्रालोस (ट्राईक्लोरोग्लक्टोसुक्रोस)	320 मिलीग्राम/किलोग्राम
25.	474	सुक्रोग्लिसेराइड्स	5000 मिलीग्राम/किलोग्राम
26.	110	सनसेट येलो एफसीएफ	50 मिलीग्राम/किलोग्राम

अनुसूची - V E

[विनियमन 3.(13), 6.(4), 7.(5), 8.(4), 9.(4), 10.(3), 11.(3) और 12.(4) को देखें]

निम्न हेतु उपयोग के लिए खाद्य योजकों की सूची (जीएमपी स्तर पर) -

- (I) न्यूट्रास्यूटिकल्स,
- (II) विशेष आहार संबंधी उपयोग हेतु खाद्य (एफएसडीयू) (शिशुओं के अतिरिक्त),
- (III) विशेष चिकित्सा उद्देश्य हेतु खाद्य (एफसीएमपी),
- (vIV) प्रोबायोटिक सामग्री और प्रीबायोटिक सामग्री सहित खाद्य, और
- (V) पादप और वनस्पतिक सामग्रियों सहित विशेष खाद्य
- (vVI) स्वास्थ्य अनुपूरक

क्र.सं.	आईएनएस सं.	योजक	कार्यात्मक वर्ग
1.	260	एसिटिक एसिड, ग्लेसियल	एसिडिटी रेगुलेटर, परिरक्षक
2.	472a	ग्लिसरॉल के एसिटिक और फैटी एसिड एस्टर्स	पायसीकारक, सेक्वेस्ट्रेंट, स्टैबलाइजर
3.	1422	एसीटिलेटेड डाईस्टार्च एडीपैट	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
4.	1417	एसीटिलेटेड डाईस्टार्च फॉस्फेट	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
5.	1451	एसीटिलेटेड ऑक्सीडाईजेड स्टार्च	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
6.	1401	अम्ल उपचारित स्टार्च	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
7.	406	अगार	बकिंग एजेंट, कैरियर, पायसीकारक, झाग देने वाला एजेंट, ग्लेज़िंग एजेंट, हमेक्टेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर

8.	400	एल्गोनिक एसिड	बकिंग एजेंट, कैरियर, पायसीकारक, जेलिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट, ग्लेजिंग एजेंट,हमेक्टेंट,सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर, थिकनर
9.	1402	एल्केलाइन ट्रीटेड स्टार्च	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
10.	1100 (i)	एल्फा - एस्परजिलस ओरिजे से प्राप्त एमाइलेज	चूर्ण उपचारित एजेंट
11.	1100 (vi)	बेस्सिलस लाइकेनिफोर्मिस से प्राप्त कार्बाहाइड्रास	चूर्ण उपचारित एजेंट
12.	1100 (iv)	बेस्सिलस सबटिलिस के रूप में व्यक्त बेस्सिलस मेगाटेरीयम से प्राप्त अल्फा -एमाइलेज	चूर्ण उपचारित एजेंट
13.	1100 (ii)	बेस्सिलस स्टीयरोथर्मोफिलस से प्राप्त अल्फा -एमाइलेज	चूर्ण उपचारित एजेंट
14.	1100 (v)	बेस्सिलस सबटिलिस के रूप व्यक्त बेस्सिलस स्टीरियोथर्मोफिलस से प्राप्त अल्फा -एमाइलेज	चूर्ण उपचारित एजेंट
15.	1100 (iii)	बेस्सिलस सबटिलिस से प्राप्त अल्फा -एमाइलेज	चूर्ण उपचारित एजेंट
16.	264	अमोनियम एसीटेट	एसिडिटी रेगुलेटर
17.	403	अमोनियम अलगीनेट	बकिंग एजेंट, कैरियर, पायसीकारक, जेलिंग एजेंट, झाग बनाने वाला एजेंट, ग्लेजिंग एजेंट, हूक्टेंट,सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर, थिकनर
18.	503(i)	अमोनियम कार्बोनेट	एसिडिटी रेगुलेटर, बढ़ोतरी एजेंट
19.	510	अमोनियम क्लोराइड	चूर्ण उपचारित एजेंट
20.	503(ii)	अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट	एसिडिटी रेगुलेटर, बढ़ोतरी एजेंट
21.	527	अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड	एसिडिटी रेगुलेटर
22.	328	अमोनियम लैक्टेट	एसिडिटी रेगुलेटर, चूर्ण उपचार एजेंट
23.	300	एस्कॉर्बिक एसिड, एल.	एसिडिटी रेगुलेटर, एंटी ऑक्सीडेंट, चूर्ण उपचारित एजेंट
24.	162	बीट रेड	रंग
25.	1403	ब्लिचड स्टार्च	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
26.	1101(iii)	ब्रोमेलन	स्वाद बढ़ाने वाला, चूर्ण उपचारित एजेंट, स्टैबलाइजर
27.	629	कैल्शियम 5'-ग्वानिलेट	स्वाद बढ़ाने वाला
28.	633	कैल्शियम 5'-आइनोसीनेट	स्वाद बढ़ाने वाला
29.	634	कैल्शियम 5'-रिबोन्यूक्लिओटाइड्स	स्वाद बढ़ाने वाला
30.	263	कैल्शियम एसीटेट	एसिडिटी रेगुलेटर, परिरक्षक, स्टैबलाइजर
31.	404	कैल्शियम एल्मीनेट	झाग विरोधी जेलिंग एजेंट, बकिंग एजेंट, कैरियर, जेलिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट, ग्लेजिंग एजेंट, हमेक्टेंट, सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर
32.	302	कैल्शियम एस्कोर्बेट	एंटी ऑक्सीडेंट
33.	170(i)	कैल्शियम कार्बोनेट	एसिडिटी रेगुलेटर, एंटी केकिंग एजेंट, कैरियर, मजबूती देने वाला एजेंट,चूर्ण उपचार एजेंट, स्टैबलाइजर
34.	509	कैल्शियम क्लोराइड	मजबूती देने वाला एजेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
35.	623	कैल्शियम डार्ई -एल -ग्लूटामेट	स्वाद बढ़ाने वाला
36.	578	कैल्शियम ग्लूकोनेट	एसिडिटी रेगुलेटर, मजबूती देने वाला एजेंट,सेक्वेस्ट्रन्ट
37.	526	कैल्शियम हाइड्रोक्साइड	एसिडिटी रेगुलेटर, मजबूती देने वाला एजेंट
38.	327	कैल्शियम लैक्टेट	एसिडिटी रेगुलेटर, चूर्ण उपचार एजेंट
39.	352(ii)	कैल्शियम मैलेट, डी एल -	एसिडिटी रेगुलेटर
40.	529	कैल्शियम ऑक्साइड	एसिडिटी रेगुलेटर,चूर्ण उपचार एजेंट

41.	282	कैल्शियम प्रोपियोनेट	परिरक्षक
42.	552	कैल्शियम सिलिकेट	स्टैबलाइजर
43.	516	कैल्शियम सल्फेट	फर्मिंग एजेंट, चूर्ण उपचार एजेंट, सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर
44.	150a	कारमेल i, प्लेन कारमेल	रंग
45.	290	कार्बन डाई ऑक्साइड	कार्बोनेटिंग एजेंट, पैकेजिंग गैस, परिरक्षक, प्रणोदक
46.	410	कारोब बीन गम	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
47.	407	करागीनान	बकिंग एजेंट, कैरियर, पायसीकारक, जेलिंग एजेंट, ग्लेजिंग एजेंट, हमेक्टेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
48.	427	कैसिया गम	पायसीकारक, जेलिंग एजेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
49.	140	क्लोरोफिल्लस	रंग
50.	1001	कोलिन साल्ट्स और एस्टर्स	पायसीकारक
51.	330	सिट्रिक एसिड	एसिडिटी रेगुलेटर, एंटी ऑक्सीडेंट, सेक्वेस्ट्रन्ट
52.	472c	गलाईसरोल के सिट्रिक और फैटी एसिड एस्टर्स	एंटी ऑक्सीडेंट, पायसीकारक, चूर्ण उपचार एजेंट, सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर
53.	466	क्रॉस कार्मेलॉस सोडियम	बाइंडर, थिकनिंग एजेंट, डिसइंटग्रांट
54.	468	क्रॉस -लिंकड सोडियम कार्बोक्सिमिथाइल सेल्यूलोज (क्रॉस लिंकड - सेल्यूलोज गम)	स्टैबलाइजर, थिकनर
55.	424	कार्डियन	फर्मिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट, स्टैबलाइजर, 2001 थिकनर
56.	457	साइक्लोडेक्सट्रिन, अल्फा -	स्टैबलाइजर, थिकनर
57.	458	साइक्लोडेक्सट्रिन, गामा -	स्टैबलाइजर, थिकनर
58.	1504 (i)	साइक्लोटेट्राग्लूकोस	कैरियर, ग्लेजिंग एजेंट
59.	1504 (ii)	साइक्लोटेट्राग्लूकोस सिरप	कैरियर
60.	1400	डेकस्ट्रिन, रोस्टेड स्टार्च	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
61.	628	डाईपोटैशियम 5'-गुआइलेट	स्वाद बढ़ाने वाला
62.	627	डाईसोडियम 5'-गुआइलेट	स्वाद बढ़ाने वाला
63.	631	डाई सोडियम 5'-आइनो सिनेट	स्वाद बढ़ाने वाला
64.	635	डाई सोडियम 5'-रिबोन्यूक्लिओटाईडेस	स्वाद बढ़ाने वाला
65.	1412	डाई स्टार्च फॉस्फेट	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
66.	315	एरिथ्रोबिक एसिड (आइसोएस्कॉर्बिक एसिड)	एंटी ऑक्सीडेंट
67.	968	एरीथ्रीटोल	स्वाद बढ़ाने वाला, हमेक्टेंट, स्वीटनर
68.	462	एथिल सेल्यूलोज	बकिंग एजेंट, कैरियर, ग्लेजिंग एजेंट, थिकनर
69.	467	एथिल हाइड्रोसीइथाइल सेल्यूलोज	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
70.	297	फ्यूमैरिक एसिड	एसिडिटी रेगुलेटर
71.	418	गेल्लन गम	स्टैबलाइजर, थिकनर
72.	575	ग्लूकोनो डेल्टा -लैक्टोन	एसिडिटी रेगुलेटर, रेजिंग एजेंट, स्टैबलाइजर
73.	1102	ग्लूकोस ओक्सीडेस	एंटी ऑक्सीडेंट
74.	620	ग्लुटामिक एसिड, एल (+)-	स्वाद बढ़ाने वाला
75.	422	ग्लिसरॉल	हमेक्टेंट, थिकनर
76.	626	ग्वानिलिक एसिड, 5'-	स्वाद बढ़ाने वाला
77.	412	ग्वार गम	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
78.	414	गम एराबिक (एकेसिया गम)	बकिंग एजेंट, कैरियर, पायसीकारक, ग्लेजिंग एजेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर

79.	507	हाइड्रोक्लोरिक एसिड	एसिडिटी रेगुलेटर
80.	463	हाइड्रोअक्सीप्रोपिल सेल्यूलोज	बकिंग एजेंट, पायसीकारक, फोमिंग एजेंट, ग्लेज़िंग एजेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
81.	1442	हाइड्रोअक्सीप्रोपिल डाईस्टार्च फॉस्फेट	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
82.	464	हाइड्रोअक्सीप्रोपिल मिथाइल सेल्यूलोज	पायसीकारक, ग्लेज़िंग एजेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
83.	1440	हाइड्रोअक्सीप्रोपिल स्टार्च	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
84.	630	आईनोसिनिक एसिड, 5'	स्वाद बढ़ाने वाला
85.	953	आईसोमाल्ट (हाइड्रोजीनेटेड आईसोमॉलटूलूज)	एंटी केकिंग एजेंट, बकिंग एजेंट, ग्लेज़िंग एजेंट, स्वीटनर
86.	416	कराया गम	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
87.	425	कोजैक फ़्लोर	कैरियर, पायसीकारक, जेलिंग एजेंट, ग्लेज़िंग एजेंट, हमेक्टेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
88.	270	लैक्टिक एसिड, एल-, डी- और डी एल-	एसिडिटी रेगुलेटर
89.	472b	ग्लाइसरोल के लैक्टिक और फैटी एसिड एस्टर्स	पायसीकारक, सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर
90.	966	लेक्टोटोल	पायसीकारक, सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर
91.	322(i)	लेसीथिन (सोया और अन्य स्रोत से प्राप्त उनके साल्ट्स और एस्टर्स)	एंटी ऑक्सीडेंट, पायसीकारक
92.	1104	लाइपेज़	स्टैबलाइजर
93.	160d(iii)	लइकोपेन, ब्लेकैस्ली ट्राईस्पोरा	रंग
94.	160d(i)	लइकोपेन, सिंथेटिक	रंग
95.	160d (ii)	लइकोपेन, टोमेटो	रंग
96.	504(i)	मैग्नीशियम कार्बोनेट	एसिडिटी रेगुलेटर, एंटी केकिंग एजेंट, रंग प्रतिधारण एजेंट
97.	511	मैग्नीशियम क्लोराइड	रंग प्रतिधारण एजेंट, मजबूती देने वाला एजेंट, परिरक्षक
98.	625	मैग्नीशियम डाई-एल-ग्लूटामेट	स्वाद बढ़ाने वाला
99.	580	मैग्नीशियम ग्लूकोनेट	एसिडिटी रेगुलेटर, मजबूती देने वाला एजेंट, स्वाद बढ़ाने
100.	528	मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड	एसिडिटी रेगुलेटर, रंग प्रतिधारण एजेंट
101.	504(ii)	मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट	एसिडिटी रेगुलेटर, एंटी केकिंग एजेंट, कैरियर, रंग प्रतिधारण एजेंट
102.	329	मैग्नीशियम लैक्टेट, डी एल -	एसिडिटी रेगुलेटर, चूर्ण उपचार एजेंट
103.	530	मैग्नीशियम ऑक्साइड	एंटी केकिंग एजेंट
104.	553(i)	मैग्नीशियम सिलीकेट, सिंथेटिक	एंटी केकिंग एजेंट
105.	518	मैग्नीशियम सल्फेट	फर्मिंग एजेंट, स्वाद बढ़ाने वाला
106.	296	मलीक एसिड, डी एल -	एसिडिटी रेगुलेटर
107.	965(i)	माल्टीटोल	बकिंग एजेंट, पायसीकारक, हमेक्टेंट, स्टैबलाइजर, स्वीटनर
108.	965(ii)	माल्टीटोल सिरप	बकिंग एजेंट, पायसीकारक, हमेक्टेंट, स्टैबलाइजर, स्वीटनर
109.	421	मेनीटोल	एंटी केकिंग एजेंट, बकिंग एजेंट, हमेक्टेंट, स्टैबलाइजर, स्वीटनर
110.	461	मिथाइल सेल्यूलोज	बकिंग एजेंट, ग्लेज़िंग एजेंट, हमेक्टेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
111.	465	मिथाइल एथिल सेल्यूलोज	पायसीकारक, जेलिंग एजेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
112.	460(i)	माइक्रोक्रीस्टेलोइन सेल्यूलोज	एंटी केकिंग एजेंट, बकिंग एजेंट, कैरियर,

		(सेल्यूलोज़ जेल)	पायसीकारक, जेलिंग एजेंट, ग्लेज़िंग एजेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
113.	471	फैटी एसिड्स के मोनो और डार्ड—ग्लिसराइड्स	एंटी जेलिंग एजेंट, पायसीकारक, स्टैबलाइजर
114.	624	मोनो अमोनियम एल—ग्लूटामेट	स्वाद बढ़ाने वाला
115.	622	मोनोपोटैशियम एल—ग्लूटामेट	स्वाद बढ़ाने वाला
116.	621	मोनो सोडियम एल—ग्लूटामेट	स्वाद बढ़ाने वाला
117.	1410	मोनो स्टार्च फॉस्फेट	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
118.	941	नाइट्रोजन	पैकेजिंग गैस, प्रणोदक
119.	942	नाइट्रस ऑक्साइड	एंटी ऑक्सीडेंट, जेलिंग एजेंट, पैकेजिंग गैस, प्रणोदक
120.	1404	ऑक्सीडाइज्ड स्टार्च	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
121.	1101(ii)	पापैन	स्वाद बढ़ाने वाला
122.	440	पेक्टिस	पायसीकारक, जेलिंग एजेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
123.	1413	फॉस्फेटिड डार्डस्टार्च फॉस्फेट	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
124.	1200	पॉलीडेक्सट्रोस	बकिंग एजेंट, ग्लेज़िंग एजेंट, हमेक्टेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
125.	964	पालीग्लिसेटोल सिरप	स्वीटनर
126.	1202	पाली विनायल पायरॉलीडोन, अघुलनशील, इन्वर्लूडिंग क्रॉस पोविडॉन	रंग प्रतिधारण एजेंट, स्टैबलाइजर
127.	632	पोटेशियम 5'-आइनोसिनेट	स्वाद बढ़ाने वाला
128.	261	पोटेशियम एसीटेट	एसिडिटी रेगुलेटर, स्टैबलाइजर
129.	402	पोटेशियम एलगिनेट	बकिंग एजेंट, कैरियर, पायसीकारक, जेलिंग एजेंट, ग्लेज़िंग एजेंट, हमेक्टेंट, सेक्वेस्ट्रेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
130.	303	पोटेशियम एस्कॉर्बेट	एंटी ऑक्सीडेंट
131.	501(i)	पोटेशियम कार्बोनेट	एसिडिटी रेगुलेटर, स्टैबलाइजर
132.	508	पोटेशियम क्लोराइड	स्वाद बढ़ाने, जेलिंग एजेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
133.	332(i)	पोटेशियम डार्डहाईड्रोजन साइट्रेट	एसिडिटी रेगुलेटर, सेक्वेस्ट्रेंट, स्टैबलाइजर
134.	577	पोटेशियम ग्लूकोनेट	एसिडिटी रेगुलेटर, स्टैबलाइजर
135.	501(ii)	पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट	एसिडिटी रेगुलेटर, रेजिंग एजेंट, स्टैबलाइजर
136.	351(i)	पोटेशियम हाइड्रोजन मैलेट	एसिडिटी रेगुलेटर
137.	515 (ii)	पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट	एसिडिटी रेगुलेटर
138.	525	पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड	एसिडिटी रेगुलेटर
139.	326	पोटेशियम लैक्टेट	एसिडिटी रेगुलेटर, एंटी ऑक्सीडेंट
140.	351(ii)	पोटेशियम मैलेट	एसिडिटी रेगुलेटर
141.	283	पोटेशियम प्रोपियोनेट	परिरक्षक
142.	515(i)	पोटेशियम सल्फेट	एसिडिटी रेगुलेटर
143.	460(ii)	पाउडर्ड सेल्यूलोज़	एंटी केकिंग एजेंट, बकिंग एजेंट, कैरियर, पायसीकारक, जेलिंग एजेंट, ग्लेज़िंग एजेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
144.	407a	प्रसंस्कृत समुद्री शैवाल इयूच्यूमा	बकिंग एजेंट, कैरियर, पायसीकारक, जेलिंग एजेंट, ग्लेज़िंग एजेंट, हमेक्टेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
145.	944	प्रोपेन	प्रणोदक
146.	280	प्रोपियोनिक अम्ल	परिरक्षक
147.	1101(i)	प्रोटीज़	स्वाद बढ़ाने, चूर्ण उपचार एजेंट, 1999 ग्लेज़िंग एजेंट, स्टैबलाइजर

148.	1204	पुल्लूलेन	ग्लेज़िंग एजेंट, थिकनर
149.	470(i)	माएरिस्टिक लवण, अमोमिया, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम सहित पालमिटिक और स्टियरिक एसिड	एंटी केकिंग एजेंट, पायसीकारक, स्टैबलाइजर
150.	470(ii)	कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम के साथ ओलिक एसिड के साल्ट	एंटी केकिंग एजेंट, पायसीकारक, स्टैबलाइजर
151.	551	सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एमोरफस	एंटी केकिंग एजेंट, एंटी जेलिंग एजेंट, कैरियर
152.	262(i)	सोडियम एसीटेट	एसिडिटी रेगुलेटर, परिरक्षक, सेक्वेस्ट्रन्ट
153.	401	सोडियम एलीगिनेट	बकिंग एजेंट, कैरियर, पायसीकारक, फोमिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट, ग्लेज़िंग एजेंट, हमेक्टेंट, सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर, थिकनर
154.	301	सोडियम एस्कोर्बेट	एंटी ऑक्सीडेंट
155.	500(i)	सोडियम कार्बोनेट	एसिडिटी रेगुलेटर, एंटी केकिंग एजेंट, रेजिंग एजेंट
156.	466	सोडियम कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज (सेलुलोज गम)	बकिंग एजेंट, पायसीकारक, मजबूती देने वाला एजेंट, जेलिंग एजेंट, ग्लेज़िंग एजेंट, हमेक्टेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
157.	469	सोडियम कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज, एन्जाइमेटिकली हाइड्रोलाइज्ड (सेलुलोज गम, एन्जाइमेटिकली हाइड्रोलाइज्ड)	स्टैबलाइजर, थिकनर
158.	331(i)	सोडियम डाईहाइड्रोजन साइट्रेट	एसिडिटी रेगुलेटर, पायसीकारक, सेक्वेस्ट्रन्ट, थिकनर
159.	350(ii)	सोडियम डीएल - मालेट	एसिडिटी रेगुलेटर, हमेक्टेंट
160.	316	सोडियम इरेथ्रोब्रेट (सोडियम आइसोएस्कार्बेट)	एंटी ऑक्सीडेंट
161.	365	सोडियम फ्यूमारेट्स	एसिडिटी रेगुलेटर
162.	576	सोडियम ग्लूकोनेट	सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर, थिकनर
163.	500(ii)	सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट	एसिडिटी रेगुलेटर, एंटी केकिंग एजेंट, बढ़ोतरी एजेंट
164.	350(i)	सोडियम हाइड्रोजन डीएल - मालेट	एसिडिटी रेगुलेटर, हमेक्टेंट
165.	514(ii)	सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट	एसिडिटी रेगुलेटर
166.	524	सोडियम हाइड्रॉक्साइड	एसिडिटी रेगुलेटर
167.	325	सोडियम लैक्टेट	एसिडिटी रेगुलेटर, एंटी ऑक्सीडेंट, बकिंग एजेंट, हमेक्टेंट, थिकनर
168.	281	सोडियम प्रोपियोनेट	परिरक्षक
169.	500(iii)	सोडियम सेक्वीकार्बोनेट	एसिडिटी रेगुलेटर, एंटी केकिंग एजेंट, बढ़ोतरी एजेंट
170.	-	सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट	बाइंडर, थिकनर एजेंट, डिसइंटग्रांट
171.	514(i)	सोडियम सल्फेट	एसिडिटी रेगुलेटर
172.	420(i)	सोर्बिटोल	बकिंग एजेंट, हमेक्टेंट, सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर, स्वीटनर
173.	420(ii)	सोर्बिटोल सिरप	बकिंग एजेंट, हमेक्टेंट, सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर, स्वीटनर
174.	1420	स्टार्च एसीटेट	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
175.	1450	स्टार्च सोडियम ओक्टिनिल सक्सीनेट	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
176.	1405	स्टार्च, एंजाइम उपचारित	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
177.	473a	सुक्रोज ओलिगोएस्टर्स, प्रकार I और प्रकार II	पायसीकारक, स्टैबलाइजर
178.	553(iii)	टैल्क	एंटी केकिंग एजेंट, ग्लेज़िंग एजेंट, थिकनर

179.	417	टेरा गम	जेलिंग एजेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
180.	957	थॉमैटिन	स्वाद बढ़ाने वाला, स्वीटनर
181.	171	टाइटेनियम डाइऑक्साइड	रंग
182.	413	ट्रेगाकैथ गम	पायसीकारक, स्टैबलाइजर, थिकनर
183.	1518	ट्राइएसेटिन	कैरियर, पायसीकारक, हमेक्टेंट
184.	380	ट्राइअमोनियम साइट्रेट	एसिडिटी रेगुलेटर
185.	333(iii)	ट्राइकैल्सियम साइट्रेट	एसिडिटी रेगुलेटर, मजबूती देने वाला एजेंट, सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर
186.	332(ii)	ट्राइपोटेशियम साइट्रेट	एसिडिटी रेगुलेटर, सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर
187.	331(iii)	ट्राइसोडियम साइट्रेट	एसिडिटी रेगुलेटर, पायसीकारक, सेक्वेस्ट्रन्ट, स्टैबलाइजर
188.	415	जैथेन गम	पायसीकारक, जेलिंग एजेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर
189.	967	जाइलिटॉल	पायसीकारक, हमेक्टेंट, स्टैबलाइजर, थिकनर

अनुसूची – v F

[विनियमन 3.(1), 3.(13), 6.(4), 7.(5), 8.(4), 9.(4), 10.(3), 11.(3) और 12.(4) को देखें]

टेबलेटस, कैप्सूल और सिरप के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली खाद्य योजकों की सूची

- (I) न्यूट्रास्यूटिकल्स
- (II) शिशुओं के अतिरिक्त विशेष आहार संबंधी उपयोग हेतु खाद्य,
- (III) विशेष चिकित्सा उद्देश्य हेतु खाद्य (एफएसएमपी),
- (IV) मिले हुए प्रोबायोटिक सामग्री और प्रीबायोटिक सामग्री सहित खाद्य, तथा
- (V) पादप और वनस्पति संघटकों से युक्त विषिष्ट खाद्य सामग्रियां
- (VI) खाद्य पूरक

क्र.सं.	योजक (औषधीय साधन)	कार्यक्षमता	अधिकतम अनुमत स्तर
1.	एसोसिया गम	बाइंडिंग एजेंट	जीएमपी
2.	एसीटोन	कोटिंग के लिए विलायक	जीएमपी (टेबलेट में उपस्थित नहीं रहता है और आईपी के अनुसार अवशिष्ट स्तरों में उपस्थित हो सकता है)
3.	एस्कॉर्बिक अम्ल और उसके एस्टर और लवण	एंटीऑक्सीडेंट	0.5%
4.	बेन्जोइक अम्ल और उसके लवण	परिरक्षक	0.5%
5.	बीएचए	एंटीऑक्सीडेंट	0.5%
6.	बीएचटी	एंटीऑक्सीडेंट	0.5%
7.	ब्रोनोपाल	परिरक्षक	0.5%
8.	कैल्शियम कार्बोनेट	मंदक, डिसइंटग्रांट	जीएमपी
9.	कैल्शियम स्टियरेट	चिकनाई	1%
10.	कार्बोक्सीमिथाइलसेल्यूलोज कैल्शियम	बाइंडिंग एजेंट	5–15%
11.	कैरागीनान गम	बाइंडिंग एजेंट	2%
12.	सेलूलोज एसीटेट फथाइलेट	कोटिंग एजेंट	2%
13.	साइट्रिक अम्ल	डिसइंटग्रांट	2%
14.	ग्लिसरॉल के साइट्रिक और फैंटी अम्ल एस्टर	स्थिरता	2%
15.	कोपोविडॉन	बाइंडिंग एजेंट	2–5%
16.	मक्के का तेल	वाहन	जीएमपी

17.	कॉर्नस्टार्च	मंदक, बाध्यकारी एजेंट, डिसइंटग्रांट	जीएमपी
18.	क्रॉस कारमेलोस सोडियम	डिसइंटग्रांट	अधिकतम 2%
19.	साइक्लोडेक्सट्रिन	घोलक	जीएमपी
20.	डेक्सट्रोज	घोलक	जीएमपी
21.	डाइकैल्शियम फॉस्फेट	घोलक	जीएमपी
22.	इथाइल एसीटेट	कोटिंग के लिए विलायक	जीएमपी (टैबलेट में उपस्थित नहीं रहता है और आईपी के अनुसार अवशिष्ट स्तरों में उपस्थित हो सकता है)
23.	इथाइल एल्कोहल	कोटिंग के लिए विलायक	जीएमपी (टैबलेट में उपस्थित नहीं रहता है और आईपी के अनुसार अवशिष्ट स्तरों में उपस्थित हो सकता है)
24.	इथाइल सेल्यूलोज	कोटिंग एजेंट, कैप्सूल के गोले के संघटक	जीएमपी
25.	फ्रक्टोज	घोलक	जीएमपी
26.	जेलेटीन	बाध्यकारी एजेंट, कैप्सूल के गोले के संघटक	जीएमपी
27.	ग्लिसरीन	वाहन, कैप्सूल गोले के लिए हमेक्टेंट	जीएमपी
28.	ग्वार का गोंद	बाइंडिंग एजेंट	जीएमपी
29.	हाइड्रोजनीकृत अरंडी का तेल	चिकनाई	2%
30.	हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल	चिकनाई	1%
31.	हायड्रोक्सीप्रोपायल मिथायलसेलुलोज	कोटिंग एजेंट, कैप्सूल के गोले के संघटक	जीएमपी
32.	आइसोमॉल्ट	घुलनशील रेशा	15%
33.	काओलिन	घोलक	जीएमपी
34.	लेक्टोस	घोलक	200 मिलीग्राम प्रति कैप्सूल
35.	लैक्टोज	घोलक	जीएमपी
36.	सोया या अन्य स्रोतों से लेसिथिन और इसके लवण / एस्टर	पायसीकारक, स्थिरता	जीएमपी
37.	लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट	एंटीकेकिंग एजेंट	0.5%
38.	लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड	एंटीकेकिंग एजेंट	0.5%
39.	लिविड ग्लूकोज	बाइंडिंग एजेंट	जीएमपी
40.	मैग्नीशियम कार्बोनेट	सोखने वाला पदार्थ	0.3%
41.	मैग्नीशियम स्टियरेट	एंटीस्टिकिंग एजेंट, ग्लिडेंट	2%
42.	मक्के का स्टार्च	मंदक, बाध्यकारी एजेंट, डिसइंटग्रांट मधुरक	जीएमपी
43.	माल्टीटोल	मंदक, मधुरक	
44.	माल्टोडेक्सट्रिन	घोलक	जीएमपी
45.	माल्टोज	घोलक	जीएमपी
46.	मेनीटोल	मंदक, मधुरक	जीएमपी
47.	मिथाइल पॅराबेन और उसके लवण	परिरक्षक	0.2%
48.	माइक्रोक्रीस्टलाइन सेलुलोज	घोलक	जीएमपी
49.	एफएसएसआर के अनुसार प्राकृतिक और कृत्रिम रंग	रंग के एजेंट	एफएसएसआर के रूप में सीमा
50.	मूंगफली का तेल	वाहक	जीएमपी
51.	पेक्टिन	बाइंडिंग एजेंट	जीएमपी
52.	पीईजी 4000	प्रत्यक्ष संपीडक गोलियों के लिए मंदक	जीएमपी

53.	लेक कलर सहित औषधि और प्रसाधन सामग्री के नियम 127 के तहत अनुमति प्राप्त रंग	रंग के एजेंट	जीएमपी
54.	पाली एथिलीन ग्लाइकोल (पीईजी)	वाहन, कैप्सूल गोले के लिए हमेक्टेंट	जीएमपी
55.	पॉवीडान	बाइंडिंग एजेंट	5%
56.	प्रोपाइल पेराबेन और उसके लवण	परिरक्षक	0.02%
57.	प्रोपलीन ग्लाइकोल	वाहन, कैप्सूल गोले के लिए हमेक्टेंट	जीएमपी
58.	शुद्ध टैल्क	ग्लिडेंट, कोटिंग के लिए डस्टिंग पाउडर	2%
59.	सूरजमुखी फूल का तेल	वाहन	जीएमपी
60.	सोडियम एल्मीनेट	बाइंडिंग एजेंट	5%
61.	सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट	डिसइटीगेंट, बंधनकारी पदार्थ, थिकनर एजेंट	2%
62.	सोर्बिटन क्रिस्टलाइन	घोलक	15%
63.	सोर्बिटन ओलिगो एस्टर (ट्वीन)	विलेयीकरण	0.5%
64.	सोरबिटॉल तरल	वाहन, कैप्सूल गोले के लिए हमेक्टेंट	जीएमपी
65.	स्टार्च, प्रीजिलेटिनाइज्ड	डिसइटीगेंट	1%
66.	स्टीयरिक अम्ल	एंटीकेकिंग एजेंट, ग्लिडेंट	2%
67.	सुक्रोस	मंदक, कोटिंग एजेंट	जीएमपी
68.	सूरजमुखी का तेल	वाहन	जीएमपी
69.	टीबीएचक्यू	एंटीऑक्सीडेंट	0.5%
70.	टोकोफेरॉल और उसके एस्टर	एंटीऑक्सीडेंट	0.5%
71.	ट्रैगाकैथ गम	बाइंडिंग एजेंट	जीएमपी
72.	ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट	मंदक, एंटीकेकिंग एजेंट	जीएमपी
73.	ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट	घोलक	जीएमपी
74.	वनस्पति तेल	वाहन	जीएमपी
75.	जैन्थेन गम	बाइंडिंग एजेंट	जीएमपी
76.	ज़ाइलिटॉल	मंदक, मधुरक	जीएमपी
77.	ज़िक स्टियरेट	चिकनाई	0.5–1.5%

अनुसूची—VI

[विनियम 3.(13), 4.(2), 6.(2)(i), 7.(2)(i), 7.(3)(i), 7.(3)(v), 8.(2)(i) और 9.(2)(i) देखें]

न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में सामग्रियों की सूची

भाग ए				
क्र. सं.	न्यूट्रास्यूटिकल्स सामग्री	सामान्य नाम	शुद्धता मानदंड	अनुमत स्तर
1.	एस्टैक्सैन्थिन (हिमाटोकोकस प्लूवैलिस), पाउडर या ऑलियोरेसिन		एस्टैक्सैन्थिन सामग्री	4 मिलीग्राम / दिन अधिकतम
2.	बोसवेलिया सेरेट – गम रेसिन अर्क	सलाई गूगल / कुन्दु	कुल बोसवेलिक अम्ल या 11-कीटो-बीटा बोसवेलिक अम्ल सामग्री	250 – 1500 मिलीग्राम अर्क / दिन
3.	कैफिन	कैफीन	प्रतिशत कैफीन	एफएसएस नियमों में निर्दिष्ट स्तर के अनुसार
4.	क्रोमियम पिकोलिनेट /	—	क्रोमियम पिकोलिनेट / निकोटिनेट सामग्री	200 से – 400

भाग ए				
क्र. सं.	न्यूट्रास्यूटिकल्स सामग्री	सामान्य नाम	शुद्धता मानदंड	अनुमत स्तर
	नीकोटिनेट			मिलीग्राम / दिन
5.	सिमिसिफूगा रेसेमोसा (या एक्टाई रेसेमोसा)। राइजोम और जड़ों से निकाला जाता है	ब्लैक कोहोश	कुल ट्राइट्रेपिन ग्लाइकोसाइड (न्यूनतम 0.4%), की 23-एपी 26- डेऑक्सीसिटिन के रूप में गणना)।	40 - 200 मिलीग्राम / दिन अधिकतम
6.	साइट्रस बायोपलेवेनाएड्स (साइट्रस एक्स पाराडेसी, साइट्रस रेटिकुलाटा एक्स मैक्सीमां, सी एक्स सिनेनसिस और साइट्रस लिमन)	साइट्रस	बायोपलेवेनाएड्स और कुल पॉलीफेनॉल सामग्री	150 - 600 मिलीग्राम / दिन अधिकतम
7.	गैर जीएम स्रोत से <i>CCoQ10</i>	सह एंजाइम क्यू10	यूबिनॉन और यूबिक्विनॉल सामग्री	100 - 1,000 मिलीग्राम / दिन अधिकतम
8.	एक्नीसिया (ई एंगस्टिफोलिया, ई परप्यूरिया, और ई पालिडां) तरल / पाउडर अर्क तत्व	इचनिसिया	अल्कामाइड (0.25 मिलीग्राम / एमएल) और सिचोरिक अम्ल (2.5 मिलीग्राम / एमएल), अगर अर्क को तरल रूप में इस्तेमाल किया जाए। हाइड्रोएथोलिक इचनिसिया अर्क का पाउडर के रूप गणना की जाती है तरल अर्क को सूखे पाउडर के प्रारूप में प्राप्त करने के लिए आधारित वजन / भार शुष्क पाउडर अर्क आनुपातिक रूप से किया जा सकता है।	900 मिलीग्राम / दिन, अधिकतम
9.	जिन्कगो बिलोबा के अर्क को जिन्कगो के सूखे पत्तों (जिन्कगो बिलोबा एल) से प्राप्त किया जाता है।	जिन्कगो बिलोबा अर्क	जिन्कगो फ्रलेवन ग्लाइकोसाइड और जिन्कगोलिडस(डाइट्रेपेन लेक्टोन्स)। कुल फ्रलेवेनॉइड सामग्री (20.2 से 27: फ्रलेवेनॉल ग्लाइकोसाइड के रूप में गणना और (5.4: से 12.0:) के लिए कुल ट्रेपेन लेक्टोन्स की उपस्थिति का परीक्षण जिन्कगोलिडस ए, बी, सी के गुणात्मक परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए।	120 - 240 मिलीग्राम / दिन, अधिकतम
10.	ग्लूकोसमाइन हाइड्रोक्लोराइड	ग्लूकोसमाइन	ग्लूकोसमाइन सामग्री	1500-3000 मिलीग्राम / दिन, अधिकतम
11.	ग्लूकोसमाइन सल्फेट	ग्लूकोसमाइन	ग्लूकोसमाइन सामग्री	2500 - 5000 मिलीग्राम / दिन, अधिकतम
12.	जिमनेमा सिल्वेस्टर का अर्क पाउडर	गुडमार अर्क	जिमनेमिक अम्ल सामग्री	500 - 1,500 मिलीग्राम / दिन, अधिकतम
13.	लैक्टोज (β - ग्लक्टोसिडस) ' -	-	एंजाइम गतिविधि	3,000 - 9,000 आइयू (या एफसीसी इकाइयां) / दिन, अधिकतम
14.	पेनाक्स जिंगसेन (साइन, कोरियाई जिंगसेन) अर्क - (0.6 से 2.0 ग्राम जिंगसेन की जड़ से प्राप्त होने वाला सार तत्व, (पेनाक्स जिंगसेन .सी ए मेयर, एरालिएसिया)	जिनसिंग अर्क	0.7 से 3: से लेकर जिन्सेनोसाइड सामग्री।	90 - 400 मिलीग्राम / दिन, अधिकतम
15.	स्पेरुलिना प्लांटेसिस से फाइकोसाइनिन (एथ्रोस्पेरा	स्पेरुलिना	प्रोटीन: 50-70%; कार्बोहाइड्रेट: 20-40%; खनिज (ऐश) 5.0 - 15%; नमी: 3.0 - 6.0:	50 - 250 मिलीग्राम / दिन,

भाग ए				
क्र. सं.	न्यूट्रास्यूटिकल्स सामग्री	सामान्य नाम	शुद्धता मानदंड	अनुमत स्तर
	प्लांटेसि) का सूखा पाउडर			अधिकतम
16.	पाइपर नाइग्रम/ पाइपर लोंगम अर्क तत्व	पिपर / पिपली	पिपेराइन सामग्री	15 मिलीग्राम / दिन के पिपेरिन, अधिकतम (उपयोग की अवधि: अधिकतम 30 दिन)
17.	क्वार्सेटिन खट्टे फल और अन्य सब्जियों के अर्क से प्राप्त	—	क्वार्सेटिन सामग्री	100 मिलीग्राम / दिन, अधिकतम
18.	सिजांड्रा बेरी का अर्क	पांच स्वाद वाले बेरी	सिजेड्रिन बेरी में 2.5–3.0: सिजेड्रिन उपस्थित होता है	1.0 ग्राम – 3.0 ग्राम / दिन, अधिकतम
19.	स्कूटेलेरिया बाइकलेन्सिस	स्कल्कैप	मानकीकृत बिसालिन सामग्री (एनएलटी 50:) का स्कूटेलेरिया बेसालेनसिस अर्क	250 – 1,000 मिलीग्राम / दिन, अधिकतम
20.	सेलेनियम यीस्ट	—	सेलेनियम सामग्री और यीस्ट की गिनती की संख्या ; बनिधद	सेलेनियम के 2 मिलीग्राम / दिन, अधिकतम
21.	साइबेरियाई जिनसेंग को- 0.6 से 2.0 ग्राम जिनसेंग जड़ से प्राप्त (एकथोपेनेक्स सेन्टिकोसस, पेनेक्स प्रकार से संबंधित, सी ए मेयर, आरालिएसी)	जिनसेंग अर्क	रेलेयूथ्रोसाइड सामग्री	100 -450 मिलीग्राम / दिन, अधिकतम
22.	सिलीबम मेरिएनम अर्क (सिलिमरिन अर्क)	दुग्ध रोम	मानकीकृत अर्क – सिलिमरिन सामग्री	250 – 1000 मिलीग्राम / दिन
23.	स्पेरुलिना (शैवाल) स्पेरुलिना प्लाटेन्सिस से (एथ्रोस्पेरा प्लाटेन्सिस)	स्पेरुलिना	(प्रोटीन (न्यूनतम) – 1.55; कार्बोहाइड्रेट (अधिकतम) –30; वसा (लिपिड) से अधिक नहीं – 10; खनिज (राख) –5–10; नमी–3–6: (यह भी फेटी एसिड पैकेज पर प्रोफाइल का उल्लेख किया जा सकता है)	500 – 3000 मिलीग्राम / दिन
24.	वासिनियम माइरस्टिलस अर्क	बिलबेरी अर्क	एंथोसायनिन सामग्री	50 – 600 मिलीग्राम / दिन, अधिकतम

भाग बी		
क्र. सं.	न्यूट्रास्यूटिकल्स / सामग्री	सामान्य नाम
1.	(+) हाइड्रोक्सीसिट्रिक अम्ल	
2.	एलियम सतीवम – बल्ब सूखे पाउडर / अर्क पाउडर का मानकीकरण	लहसुन
3.	एलोवेरा – रस / सांद्रित / रस का पाउडर / जैल	भारतीय एलोय, घृत कुमारी
4.	अल्फा एमाइलेज*	—
5.	अल्फा मन्नोस्टिन	—
6.	अल्फा-ग्लूकोसाइडस*	—
7.	अल्फा लिपोइक अम्ल	—
8.	ट्रमरंथस ट्राईकलर – पत्ते का पाउडर / अर्क	—
9.	एमाइलेज*	—
10.	एमाइलोग्लूकासाइड*	—
11.	एंथेम ग्रावियोलिन्स एल – बीज और तेल	दिल
12.	एंथोसायनिन	—

भाग बी		
क्र. सं.	न्यूट्रास्यूटिकल्स / सामग्री	सामान्य नाम
13.	एराबिनोग्लाक्टन	—
14.	एराकिडोनिक अम्ल	—
15.	एस्पारागस डेन्सीफ्रलोरस- अर्क	एस्परेगस
16.	बाकोपा मोन्नेरी- पत्ते का अर्क	ब्राह्मी
17.	जौ के बीज का पाउडर	जौ
18.	बैरबैरिस वेल्गारिस - तने/जड़ का अर्क	बारबेरी
19.	बीटा कैरोटीन - मानकीकृत तरल सान्द्रण / पायसीकृत सान्द्रण / पाउडर	—
20.	बीटा एकेडाएस्टेरॉन	—
21.	बीटा ग्लूकेन्स	—
22.	बीटा वूलगारिस -जड़ का अर्क	चुकंदर
23.	बीटा सिटोस्टेरोल	—
24.	बेटूला प्लाट्राफाइला - छाल निकालने	बिर्च
25.	बायोटा ट्रोयिन्द्रालिस - बीज पाउडर	बायोटा
26.	काले/हरी चाय का अर्क, मानकीकृत पाउडर	—
27.	बोरागो ऑफिसिनालिस-तेल	बोरेज
28.	कपेस्टेनॉल	—
29.	कपेस्ट्रिओल	—
30.	कैपस्किम एनम - अर्क / मानकीकृत कैपस्किम सामग्री	लाल मिर्च
31.	कारिकस पपाया - पत्तों का अर्क	पपीता
32.	कैरोटोनॉयड (प्राकृतिक स्रोतों सहित शैवाल मिश्रित)	—
33.	कैसिइन और कैसिइनेट	—
34.	काउलोफाइलम थालिकट्रोइड्स - जड़ों का अर्क	ब्लू कोहोस
35.	सैल्यूलोज*	—
36.	सन्टेला एसीटिका - पत्ती / ऊपरी भागों का मानकीकृत अर्क	मंडुकपर्णी / गोटू कोला
37.	मैट्रिकारिया कामोमिला (मैट्रिकारिया रेक्यूटिटा) - ऊपरी भागों का अर्क	कैमोमाइल
38.	क्लोरेला प्लार्टेंसिस - सूखा पाउडर	हरी शैवाल
39.	क्लोरोजेनिक अम्ल और काफिक अम्ल	—
40.	कॉद्रोइटिन सल्फेट	कॉद्रोइटिन
41.	सिचोरियम इनटाइबस - भुनी हुई जड़ों का पाउडर	चिकोरी
42.	सिनामोन वेरम - छाल पाउडर / अर्क	दालचीनी
43.	सिट्रूलिन	—
44.	साइट्रस - ओरेंटियम छाल का अर्क / मानकीकृत बायोफ्रलेवोनॉइड	बिटर ऑरेंज
45.	साइट्रस नारिनजिनिन	—
46.	साइट्रस नारिनलिनाइन	—
47.	लौंग का पाउडर	लौंग
48.	स्नीकस बेनेडिक्टस -ऊपरी भागों का अर्क निकालने / जड़ों का अर्क	ब्लेस्ड थीस्ल
49.	कोकोआ (चॉकलेट) बीन - अर्क	—
50.	कोकसिनिया ग्रानडिस (एल) वोइट - अर्क	इवी लौकी
51.	कोलेजन हाइड्रोलाइस्ड	—
52.	संयुग्मित सान्द्रित लिनोलिक अम्ल	—
53.	क्रस्टेशियन शैल	—
54.	क्यूमिनियम साइमिनम एल - तेल / अर्क	जीरा
55.	कुरकुमा लोंगा - कंद पाउडर / मानकीकृत अर्क	हल्दी
56.	कुरकुमिनाईड - तरल अर्क / पाउडर और कुरकुमिन कॉम्प्लैक्स	—
57.	साइप्रस रोटेंडस - अर्क	नीरगुंडी
58.	डाइहाइड्रोपिएनड्रोस्टेरोन (डीएचईए) और 7-कीटो डीएचईए	—

भाग बी		
क्र. सं.	न्यूट्रास्यूटिकल्स / सामग्री	सामान्य नाम
59.	डाइस्टेस*	—
60.	डी-पिनिटोल	—
61.	खाद्य फलियां (बीज पाउडर), फली प्रोटीन (प्रोटीन ट्राइसोलेट्रस / सान्द्रित / हाइड्रोलाइसाइट्रस)	—
62.	एललगिक अम्ल	—
63.	एम्बलिका ऑफिसिनालिस— सूखे फल का अर्क / सूखा स्प्रे लुगदी पाउडर	भारतीय करौदा / अमला
64.	इरोसिट्रिन (खट्टे फलों से)	—
65.	इवनिंग प्रिमरोज का तेल	—
66.	फागोप्ररम एस्कुलेंटम – बीज	एक प्रकार का अनाज
67.	मछली का तेल	—
68.	फोएनिकुलम बुलगारे – फल – तेल / अर्क	सौंफ
69.	फ्रीज सूखा केला पाउडर	—
70.	ग्लाक्टोबमन्नान	—
71.	गैलिक अम्ल	—
72.	गामा लिनोलेनिक अम्ल (जीएलए)	—
73.	गामा औरजानॉल	—
74.	गार्सीनिया गुम्मी – गट्टी और गार्सीनिया कामबोजिया – मानकीकृत फलों के छिलके का अर्क हाइड्रॉक्सिल साइट्रिक अम्ल, पाउडर)	कोकम / ब्रिन्दल बेरी / मालाबार इमली
75.	गार्सीनिया मैनगोस्ट्राना – मानकीकृत बीज अर्क	मैगोस्टीन
76.	ग्लूकोमाइलेस*	—
77.	ग्लूकोमन्नान	—
78.	ग्लाइराइजा ग्लबरा – अर्क	लिकोराइज
79.	अंगूर के बीज का अर्क	—
80.	कॉफी फली पाउडर / अर्क सहित ग्रीन कॉफी बीज अर्क डिकैफ़िनेट्रेड मानकीकृत	—
81.	ग्रिफोला फ्रोनडोसा – मानकीकृत अर्क	माइटेक मशरूम
82.	ग्वार गम और गम अरेबिक और फाइबर के एक स्रोत के रूप में उसके डेरिवेटिव तथा अन्य खाद्य स्रोत से प्राप्त रेशे	—
83.	हेमीसेल्यूलोज*	—
84.	हेमीस्पीरिडिन	—
85.	उच्च ट्रोपिक सूरजमुखी फूल का तेल और उच्च ओलिक सामग्री के साथ अन्य वनस्पति तेल	—
86.	हैप्पोफेरह एबिनोइड – फल सूखे पाउडर / अर्क / रस	सीबकथोन
87.	हैमूलुस लुपुलुस एल – पाउडर / अर्क	हॉप्स
88.	हाइड्रोलाइज्ड मट्टा पेप्ट्राइड	मट्टा
89.	हाइपरसम पेरफोराटम – उपरी भागों का मानकीकृत अर्क	सेंट जॉन वर्ट
90.	इनुला रेसमोसा – जड़ों का अर्क	पुष्कारमूला
91.	इनवर्ट्रेस*	—
92.	आइसोफ्रलेवन्स (जेनिस्ट्राइन, डाइडजेन)	—
93.	कैल्प (भूरे शैवाल)	—
94.	क्रिल तेल – डीएचए / ईपीए के लिए मानकीकृत	—
95.	लेक्टालबुमिन	—
96.	लैक्टोफेरिन	—
97.	लेक्टोपेराक्सीडेज*	—
98.	लेगेरस्ट्रोमिया स्पेसिओसा एल (पत्तों का अर्क)	बनाबा
99.	लेसिथिन्स	—
100.	लिंगनानस	—

भाग बी		
क्र. सं.	न्यूट्रास्यूटिकल्स / सामग्री	सामान्य नाम
101	लिनम यूसिट्राट्रिससिमम - बीज पाउडर और तेल	सन का बीज
102	लाइपेस*	-
103	ल्युटिन	-
104	ल्युटिन / जेएक्सथिन कॉम्प्लैक्स	-
105	लइकोपीन	-
106	लाइकम एलेएगस - फल - सूखे पाउडर / मानकीकृत सान्द्रण	गोजी बेरी (वुल्फ बेरी)
107	माल्टेज*	-
108	मेडिकागो सटाइवा अर्क	अल्फला
109	मध्यम शृंखला ट्राइग्लिसराइड्स	-
110	मेन्यन्थ एस्ट्रिफोलिएटा - पत्तों का पाउडर	बकबीन / बोगबीन
111	बाजरा और उनके पाउडर	-
112	मोमोरडिका चारान्शिया - फल / बीज अर्क	कडवा तरबूज (करेला)
113	मोनोडोरा माइरिस्टिका (ग्रेटेन) डुनल- तेल / अर्क	जायफल
114	मोरिंडा सिट्रिफोलिया अर्क	नोनी
115	मोरिंगा ओलिफेरा की पत्ती / फली / बीज अर्क पाउडर	मोरिंगा / ड्रम स्टिक
116	शहतूत चाय - पत्ती / फल अर्क	शहतूत
117	मसइरिका सेरिफेरा - छाल का अर्क	बेबेरी
118	मारिस्टिका फ्रेग्रेंस	मेक
119	एन एसिटिल डी-ग्लूकोसामाइन	-
120	नस्टूरशियम ऑफिसिनेल - अर्क	वाटरक्रेस
121	नेटोकिनास एंजाइम (सोया बीन फाइबरनेस के रूप में)	-
122	ओसिमम टन्यूफ्लोरम / ओसिमम सेनक्टम - ऊपरी भाग / बीज अर्क	बेसिल / तुलसी
123	ओमेगा -3 फैटी एसिड (1कासाहेक्सानोइक अम्ल - इकोसापेटाइनोइक अम्ल - अल्फा - लिनोलेनिक अम्ल)	-
124	ओमेगा -6 फैटी एसिड (लिनोलेनिक अम्ल, आरकिडोनिक अम्ल और संयुग्मित लिनोलेनिक अम्ल)	-
125	ओएस्ट्रर शैल का पाउडर	-
126	पेनक्रेटिन*	-
127	पेनक्रेलिपेस*	-
128	पपेन*	-
129	पासिफलोरा फोट्रिडा - अर्क	पेशन फूल
130	आरकिस हाइपोगिया - (भुना हुआ) पाउडर	मूंगफली
131	पेक्टिन	-
132	पेप्सिन*	-
133	फैलोडेनड्रोन एम्यूरेन्स की पत्ती का तेल	फैलोडेन्डोन
134	फाइलन्थस एमारुसा / फोस्फालिपिडस	-
135	फाइलन्थस एमारुसा - अर्क	भुइमालाइका
136	फाइटेस*	-
137	पिक्रोरिजा (पिक्रोरिजा कुररोवा) - अर्क	कुरची
138	पिमेन्टो ऑफिसिनोलिस एल - अर्क / पाउडर	ऑलस्पाइस
139	पाइनस जेराडियाना - छाल का अर्क	पाइन नट
140	पाइपर लोंगम - अर्क	लांग पीपर (पीपली)
141	पाइपर नाइग्रम - हरा अर्क	हरी मिर्च
142	पाइपर नाइग्रम - पाउडर / मानकीकृत अर्क	काली मिर्च
143	पोलिकोसानॉल	-
144	प्रोटीज*	-

भाग बी		
क्र. सं.	न्यूट्रास्यूटिकल्स / सामग्री	सामान्य नाम
145	ग्रीनससेरोटिना – अर्क	काली चेरी
146	सिलियम (ट्राइस्पाघुला) – बीज भूसी	इसाफगुल
147	कदू के बीज का तेल / भोजन	—
148	पुनिका ग्रान्टम – फल / बीज / छाल अर्क / पाउडर	अनार / दादीमा
149	रोफानस सैटाइवस वर.नाइजर – जड़ का पाउडर / अर्क	काली मूली
150	रेड वाइन – अर्क / सान्द्रण	—
151	लाल खमीरी चावल	—
152	रेस्वेराट्रॉल	—
153	रोडोडेन्ड्रोन आरबोरेटम – रस / अर्क	रोडोडेन्ड्रॉन
154	चावल की भूसी	—
155	चावल की भूसी आरबिनोक्सलाइन यौगिक	—
156	रोज हिप्स	—
157	रोसमारिनस ट्रॉफिसिनालिस – पत्तियों / नीडल्स का अर्क / तेल	रोजमैरी
158	शाही जैली	—
159	फल के छिलके से रुटिन	—
160	साल्विया ऑफिसिनालिस – पत्तों का अर्क	सेज
161	साम्बाकस नाइग्रा – अर्क	एल्डरबेरी/ काले एल्डरबेरी
162	शार्क कॉट्रिलेज/ स्काव्लिन का तेल	—
163	शीटेक मशरूम – अर्क	—
164	सोलेनम लाइकोपर्सियम – फल पाउडर / अर्क	टमाटर
165	सोया अंकुरित – सूखा पाउडर	—
166	सोया प्रोटीन आइसोलेट / खाद्य फली बीज प्रोटीन आइसोलेट	—
167	पुदीना – पत्ती और आसुत	—
168	स्टेनोल्स और कोलेस्ट्रॉल सहित स्टेरॉल	—
169	टागेट्स स्पी. – पेटल्स ओलिया रेसिन/ अर्क	गेंदे का फूल
170	चाय कैटाचिन्स (एपीगाला कैटाचिन्स गैलेट, एपीकैटाचिन्स, कैटाचिन्स गैलेट्स)	—
171	टेरामिनालिया अर्जुन – छाल / पत्तों का अर्क (मानकीकृत अर्क)	अर्जुन
172	अेरामिनालिया बेलेरिका – फल अर्क	हरड़ / बहेड़ा
173	अेरामिनालिया चेबुलिया – फल अर्क	हरड़ / बहेड़ा
174	थाइफ्रलेविन	—
175	थाइनाइन	—
176	थियोब्रोमाइन	—
177	टोकोफेरॉल्स	—
178	टाइगोनेलां-फोएनम-ग्रेकम – बीज का अर्क	मेंथी
179	ट्रिटिकम साटाइवम – चोकर	गेहूँ
180	ट्राप्सिन*	—
181	वेक्सिनियम कोराइबोसम – फल – सूखे पाउडर / मानकीकृत सान्द्रण	ब्लूबेरी
182	वेक्सिनियम ऑक्सीकोक्कस – फल – सूखे पाउडर / मानकीकृत सान्द्रण	क्रैनबेरी
183	विटिस अल्बा और विटिस विनीफेरा – फल – सूखे पाउडर / मानकीकृत सान्द्रण	ब्लू अंगूर
184	गेहूँ के जर्म	—
185	जियाक्सथिन (अधिकतम 4 मिलीग्राम / दिन)	—
186	जिन्जाजिबेरा ऑफिसिएनल – कंद मानकीकृत राइजोबम	अदरक
187	अल्फा-ग्लक्टोसाइडेज*	—

टिप्पण :- * एंजाइम – ऊपर उल्लेखित तालिका में सूचीबद्ध एंजाइम मुख्य रूप से संसाधन सहायता के रूप में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यह भी न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पादों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

अनुसूची – VII

[विनियम 3.(13), 6.(2)(i), 7.(2)(i), 8.(2)(i), 9.(2)(i) और 10.(1)(i) देखें]

प्रोबायोटिक्स के रूप में स्ट्रेंस (लाइव सूक्ष्मजीव)

क्र.सं.	सूक्ष्मजीवों के नाम
1	लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस
2	लैक्टोबेसिलस प्लेनाट्रम
3	लैक्टोबेसिलस रियटेरी
4	लैक्टोबेसिलस रैमनोसस
5	लैक्टोबेसिलस स्लीवेरीयस
6	लैक्टोबेसिलस कैसई
7	लैक्टोबेसिलस बेरिविस
8	लैक्टोबेसिलस जोन्सोनी
9	लैक्टोबेसिलस डेलब्रूएस्की सब-एसपी. बुलगारिकस
10	बेसिलस कोएग्यूलेंस
11	लैक्टोबेसिलस फर्मेटिस
12	लैक्टोबेसिलस कोकेसियम
13	लैक्टोबेसिलस हेलवीटक्स
14	लैक्टोबेसिलस लेक्टिस
15	लैक्टोबेसिलस एमाइलोवोरस
16	लैक्टोबेसिलस गैलानेरम
17	लैक्टोबेसिलस डीब्रुसकी
18	बाइफिडोबैक्टिरियम बाइफिडम
19	बाइफिडोबैक्टिरियम लैक्टिस
20	बाइफिडोबैक्टिरियम ब्रीव
21	बाइफिडोबैक्टिरियम लौंगम
22	बाइफिडोबैक्टिरियम एनीमेलिस
23	बाइफिडोबैक्टिरियम इंफेंटिस
24	स्ट्रेपटोकोक्स थर्मोफिलस
25	सैक्रोमाइसिस बोरलारडी
26	सैक्रीमाइसिस सेरेविसिए
27	लैक्टोबैस्सिलस पाराकैसी
28	लैक्टोबैस्सिलस गैसेरी

टिप्पण:

(1) ये सूक्ष्मजीवों का प्रयोग या तो एकल में या समिश्रण में होना चाहिए परंतु इसकी घोषणा लेबल पर पूरी जानकारी के साथ की जानी चाहिए और यह गैर- जीएमओ होनी चाहिए।

(2) सूक्ष्म जीवाणु का कोई नया स्ट्रेंस, जैविक अनुकूल गुण, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उचित वैज्ञानिक आकलन और अनुसूची में सूचीबद्ध करने के बाद स्वीकृत हो सकता है।

अनुसूची –VIII

[विनियम 3.(13), 6.(2)(i), 7.(2)(i), 8.(2)(i), 9.(2)(i) और 11.(1)(i) देखें]

प्रीबायोटिक रसायनों की सूची

क्र. सं.	प्रीबायोटिक रसायन
1	पालीडेक्सट्रोज
2	सोयाबीन ओलिगोसैकराइड्स
3	आइसोमाल्टो-ओलिगोसैकराइड्स
4	फ्रक्टो-ओलिगोसैकराइड्स
5	ग्लको-ओलिगोसैकराइड्स
6	ज़ाइलो-ओलिगोसैकराइड्स
7	इनुलीन
8	आइसोमालटूलोस
9	जैनिटियो-ओलिगोसैकराइड्स
10	लैक्टूलोज
11	लैक्टोफिरीन
12	शर्करा मदिरा जैसे कि लैक्टिटोल, सारबिटोल, माल्टिटोल, इनोसिटोल, आइसोमाल्ट
13	ग्लैक्टो- ओलिगोसैकराइड्स

टिप्पण: खाद्य प्राधिकरण द्वारा उचित वैज्ञानिक आकलन और अनुसूची में सूचीबद्ध करने के बाद कोई विशिष्ट प्रीबायोटिक स्वीकृत हो सकता है।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/352/16(187)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2016

No. 1-4/ Nutraceutical/ FSSAI-2013.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Food or Health Supplements, Nutraceuticals, Foods for Special Dietary Uses, Foods for Special Medical Purpose, Functional Foods, and Novel Food) Regulations, 2015, was published as required by sub-section(1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India No. 1-4/ Nutraceutical/ FSSAI-2013, dated the 30th July, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 11th September, 2015;

And whereas objections and suggestions received from the public within the specified period on the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92, read with sub-section (1) of section 22 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations, namely:-

Regulations

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional Food and Novel Food) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 1st January, 2018.

2. Definitions.- In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) “**Act**” means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);
- (b) “**Food Authority**” means the Food Safety and Standards Authority of India established under section 4 of the Act;
- (c) “**food for special dietary use**” shall have the meaning assigned to it in section 22 of the Act;
- (d) “**food for special medical purpose**” means food intended for -
 - (i) particular dietary use specially processed or formulated;
 - (ii) the dietary management of persons and used only under medical advice;
 - (iii) the exclusive or partial feeding of persons with a limited, impaired or disturbed capacity to take, digest, absorb, metabolize or excrete ordinary foodstuffs or certain nutrients contained therein or metabolites; or
 - (iv) other medically determined nutrient requirements, whose dietary management cannot be achieved only by modification of the normal diet, by food for specific nutritional use, or a combination of them;
- (e) “**food with added prebiotic ingredients**” means food that contains added prebiotic ingredients which are non-viable food components that confer health benefits to the consumer by modulation of gut microbiota;
- (f) “**food with added probiotic ingredients**” means food with live micro-organisms beneficial to human health, which when ingested in adequate numbers as a single strain or as a combination of cultures, confer one or more specified or demonstrated health benefits in human beings;
- (g) “**functional food**” shall have the meaning assigned to it in section 22 of the Act;
- (h) “**health supplements**” shall have the meaning assigned to it in section 22 of the Act;
- (i) “**non-food**” means an ingredient or a substance which is not a ‘food’ as referred to in clause (j) of section 3 of the Act;
- (j) “**novel food**” shall have the meaning assigned to it in section 22 of the Act;
- (k) “**nutraceuticals**” shall have the meaning assigned to it in section 22 of the Act;
- (l) “**nutritional ingredients**” means the ingredients specified in **Schedules** other than the food additives specified in **Schedule VA to Schedule VF**, packed and made available in a form not for retail-consumer use, but meant for use in formulating a product falling under various categories of these regulations or other categories specified in the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011;
- (m) “**nutrient ingredients**” means vitamins, minerals, and amino acids as specified in **Schedule I and Schedule II**;
- (n) “**pre-mixes**” means a combination of two or more ingredients specified in the Schedules in a specific proportion with or without additives, packed and meant for use in formulating a product falling under any category of these regulations or under the categories specified in the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011;
- (o) “**specialty food containing plant or botanical ingredients**” means food which is shown to be containing plant or botanical ingredients with a history of safe usage; and
- (p) “**Schedules**” means the Schedules to these regulations.

3. General requirements.- (1) The articles of food sold in capsule format, hard or soft or vegetarian, shall comply with the general monograph and quality requirements specified for them in Indian Pharmacopoeia:

Provided that the food business operator may use the approved colours and additives permitted in **Schedule VF**;

Provided further that the food business operator may use the natural flavors or nature identical flavours or synthetic flavors in accordance with the provisions of regulation 3.3.1 of Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

- (2) For the purposes of sub-regulation (1) the food business operator may declare the addition of flavour on labels of such products in accordance with the provisions of Food Safety and Standards (Labelling and Packaging) Regulations, 2011.
- (3) The tablets, capsules and syrups shall fulfil the general quality requirements and standards as specified in Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia or United States Pharmacopoeia.
- (4) The quantity of nutrients added to the articles of food shall not exceed the recommended daily allowance as specified by the Indian Council of Medical Research and in case such standards are not specified, the standards laid down by international food standards body, namely, Codex Alimentarius Commission, shall apply.

- (5) In case of food products falling under health supplement categories, the individual nutrient content shall not be less than fifteen per cent of the recommended daily allowance where a nutrient content claim is being made:
Provided that, if claim of higher nutrient content is made, the nutrient content shall not be less than thirty per cent of the recommended daily allowance.
- (6) For the articles of food specified in these regulations, the Food Authority may permit the food business operator to add food colours subject to the level restrictions as mentioned in Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011.
- (7) The articles of food with standard nutrient or nutritionally complete formulation shall consist of a composition delivering the desired level of energy, protein, vitamins and minerals, and other essential nutrients required for respective age group, gender and physiological stage in accordance with the guidelines made by the Indian Council of Medical Research.
- (8) The purity criteria for the ingredients used in the categories of articles of food covered under these regulations shall be as determined and notified in the official gazette by the Food Authority from time to time.
- (9) In case such standards are not specified, the purity criteria generally accepted by pharmacopoeias, namely, Indian Pharmacopoeia, Ayurvedic Pharmacopoeia of India, relevant Bureau of Indian Standards Specifications, Quality Standards of Indian Medicinal Plants, Indian Council of Medical Research, British Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia, Food Chemical Codex, Joint Food and Agriculture Organization or World Health Organisation Expert Committee on Food Additives or CODEX Alimentarius may be adopted by food Business operators.
- (10) The food business operator shall intimate the purity criteria adopted for ingredients to the Food Authority including any change when adopted.
- (11) The tolerance limit for variation in case of articles of food covered in these regulations during analysis of samples of finished products, shall not be more than (-) ten per cent from the declared value of the nutrients or nutritional ingredients on the label .
- (12) The manufacturing of ingredients and products covered under these regulations shall be carried out in compliance with the established good manufacturing practices.
- (13) For purposes of these regulations, any of the ingredients specified in **Schedule I, Schedule II, Schedule III, Schedule IV, Schedule VI, Schedule VII, and Schedule VIII** may be used in food in accordance with the provisions of these regulations, and for the said purpose, may use additives as applicable to categories specified in **Schedule VA to Schedule VF**.

Explanation 1.- For the purposes of these regulations food or ingredients referred to in Food Safety and Standards Regulations, 2011, and for which standards are provided, and the plants and botanicals specified in **Schedule IV** of these regulations offered in normal or naturally occurring forms shall not constitute a health supplement or nutraceutical, or food for special dietary use or food for special medical purpose.

Explanation 2.- Mere food forms such as vegetables, namely, bhindi, karela and other vegetables; cereals, namely, ragi, jowar, millets and other cereals; legumes, namely, rajmah and other legumes; spices, namely, pepper, jeera, turmeric and other spices; fruits, namely, amla, jamun, grapes and other fruits; and other plants or botanicals, minimally processed (cleaned, de-weeded, sorted, dried or powdered), in either as juice or cooked form, shall not constitute 'health supplement' or 'nutraceutical' or 'food for special dietary use' or 'food for special medical purpose'.

(14) The formulation of articles of food shall be based on the principles of sound medicine or nutrition and supported by validated scientific data, wherever required.

(15) No hormones or steroids or psychotropic ingredients shall be added in any of the articles of food specified in these regulations.

(16) The label on articles of food shall specify the purpose, the target consumer group and the physiological or disease conditions which they address, recommended duration of use, and the specific labelling requirements as mentioned against each type of article of food.

(17) The label, accompanying leaflet or other labelling and advertisement of each type of article of food, referred to in these regulations shall provide sufficient information on the nature and purpose of the article of food and detailed instructions and precautions for its use, and the format of information given shall be appropriate for the intended consumer.

(18) An article of food which has not been particularly modified in any way but is suitable for use in a particular dietary regimen because of its natural composition, shall not be designated as 'health supplement' or 'special dietary' or 'special dietetic' or by any other equivalent term, and such food may bear a statement on the label that 'this food is by its nature X' ('X' refers to the essential distinguishing characteristic as demonstrated by the generally accepted scientific data), provided that the statement does not mislead the consumer.

(19) The Food Authority may suspend or restrict sale of such articles of food as have been placed in the market that are not clearly distinguishable from articles of food for normal consumption and are not suitable for their claimed nutritional purpose, or may endanger human health, in accordance with the provisions of the Act.

(20) The Food Authority may, at any time, direct a food business operator manufacturing and selling such special type of article of food, to furnish details regarding the history of use of the novel or modified ingredients added and their safety evaluation.

(21) The mere combination of vitamins and minerals formulated in tablets, capsules, syrup formats shall not be covered in any of the categories of these regulations except when vitamins and minerals are added to an article of food or in a food format.

(22) The labelling on the article of food shall be in accordance with the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, and the specific labelling requirements provided in these regulations.

(23) The articles of food shall conform to the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011.

(24) No person shall manufacture, pack, sell, offer for sale, market or otherwise distribute or import any food products referred to in these regulations unless they comply with the requirements laid down in these regulations.

(25) Whoever contravenes the provisions of these regulations shall be liable for punishment provided under Chapter IX of the Act.

4. Claims. – (1) Every food business operator may make nutritional or health claims in respect of an article of food.

(2) For the purposes of sub – regulation (1), a nutritional claim shall consist of the ‘Ingredients (nutrient or nutritional) content’ of an article of food which shall be subject to the nutritional supplement requirements specified in **Schedule I, Schedule II, Schedule III, Schedule IV, and Schedule VI.**

(3) For the purposes of these regulations, health claim means any representation in respect of an article of food that states, suggests or implies that a relationship exists between the constituent of that nutrient or nutritional, health, and specific disease conditions.

(4) The health claim in respect of an article of food consists of the following two essential components, namely:-

- (i) nutrient or nutritional ingredients; and
- (ii) health related benefits.

(5) The health claim in respect of an article of food may include the following types, but not limited to

- (i) ingredients (nutrient or nutritional) function claims;
- (ii) enhanced function claims;
- (iii) disease risk reduction claims;
- (iv) health maintenance claims;
- (v) immunity claims – increased resistance (excluding vaccines); and
- (vi) anti-ageing claims.

(6) The other claims in an article of food that are not drug claims may be allowed subject to prior approval of the Food Authority.

(7) The health claims in respect of an article of food shall be commensurate with the adequate level of documentation and valid proof made available for review by the Food Authority when called for.

(8) To claim ingredients, nutrient or nutritional, in respect of an article of food for enhanced function and disease risk reduction, regard shall be had to-

- (i) claims that led to ingredients (nutrient or nutritional);
- (ii) available scientific literature including official traditional texts and post market data or consumer studies or cohort or retroactive studies based on eating pattern and health benefits, epidemiological international and national data, and other well documented data;
- (iii) consensual, congruent and concurrent validity studies;
- (iv) health promotive and disease risk reduction based on proof from literature and human data of efficacy and safety of the nutrient;
- (v) not only controlled clinical trials for efficacy and safety data; but also nutraepidemiological data;

- (vi) qualified structure function claims for specific organ or function which are comprehensible to consumer;
 - (vii) prohibition of implied claims for curing disease or claims of drug like efficacy such as '*Prevents bone fragility in post menopausal women*';
 - (viii) prohibition of implied cure for disease claims by the name of the product such as cancer cure or througha pictures, vignettes or symbols, namely, electrocardiogram tracing, lipid profile; and
 - (ix) for structure-function claims, a case-to-case basis consumer information for specific age or gender or vulnerable population.
- (9) (i) For the product led claims in respect of an article of food based on human studies with evidence based data, regard shall be had to-
- (a) valid data and suitable statistical design proving the benefit for disease risk reduction, that is, human intervention studies;
 - (b) ingredient, that is, nutrient or nutritional;
 - (c) the product compatibility for the proposed claim benefit and suitable qualifiers such as *heart healthy* claim on polyunsaturated fatty acids;
 - (d) the use of word "shown" as depicted in the example below when a single human intervention study shows significant benefit:

"Product <Name of the Product> is 'shown' to be helping in <keeping your heart healthy> or <heart healthy>:"
 - (e) the use of word "Proven" as depicted in the example below when more than one human intervention studies or epidemiological evidence on Indian population have been provided with concurrent validity:

"Product <Name of the Product> is 'proven' <to make you lose weight>:"
- (ii) For health claims where scientific support does not exist, or if a novel ingredient is to be introduced, there shall be a prior approval of the Authority which shall be based on adequate scientific evidence.
- (iii) If the health claims are product led, the food business operator shall notify to the Food Authority before putting the same in the market, by submitting relevant documents along with a copy of the label.
- 5. General principles for query or challenge.-**The food business operator shall-
- (i) prepare and make available the comprehensive product information, safety and claims support data and shall periodically get it reviewed and scrutinised by a scientist or expert with relevant qualifications and experience;
 - (ii) attach the scientific view of the reviewer on claims and its veracity along with the qualification and experience of the reviewer as an essential part of the document;
 - (iii) clarify, in case of a technical query from the Food Authority or on a public complaint lodged with the Food Authority, and assist the Food Authority to examine or authorise an appropriate expert group to review the case; and
 - (iv) alter or modify or stop claim when directed by the Food Authority which shall be based on the opinion of an expert group.
- 6. Health supplements.-** (1) (i) Health supplements may be used to supplement the normal diet of a person above the age of five years.
- (ii) the health supplements shall contain concentrated source of one or more nutrients, namely, amino acids, enzymes, minerals, proteins, vitamins, other dietary substances, plants or botanicals, prebiotics, probiotics and substances from animal origin or other similar substances with known and established nutritional or beneficial physiological effect, which are presented as such and are offered alone or in combination, but are not drugs as defined in the clause (b) of section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and the rules made thereunder.
- (iii) the health supplements shall be marketed in single use packaging as appropriate to maintain integrity and quality of the product, or in dosage forms namely, capsules, tablets, pills, sachets; jelly or gel, semi-solids and other similar forms or any other forms of liquids and powders designed to be taken in measured unit quantities.
- (iv) the health supplements shall not include any of the food products or categories of articles of food for which specific standards have been laid down in any other parts of these regulations.

- (2) (i) The health supplements shall contain any of the ingredients specified in **Schedule I** or **Schedule II** or **Schedule IV** or **Schedule VII** or **Schedule VIII** or enzymes only of **Schedule VI**.
- (ii) The ingredients specified in the Schedules referred to in clause (i) of sub-regulation (2) may be used in manufacturing of health supplements without prejudice to modifications for one or more of these nutrients rendered necessary by the intended use of the product.
- (iii) The quantity of nutrients added to the articles of food shall not exceed the recommended daily allowance as specified by the Indian Council of Medical Research and in case such standards are not specified, standards laid down by the international food standards body, namely, Codex Alimentarius Commission shall apply.
- (iv) The food business operator shall apply to the Food Authority for inclusion of any new nutrient or other substance with a nutritional or physiological function, which has no history of use in India or that without evidence, establishing that the nutrient may result in certain nutritional and physiological benefits with justification for approval.
- (v) The Food Authority may, after proper scientific evaluation, specify the nutrients approved by it from time to time.
- (3) (i) The labelling, presentation and advertisement shall not claim that the health supplement has the property of preventing, treating or curing a human disease, or refer to such properties;
- (ii) The statement by the food business operator relating to the structure or function or the general well being of the body may be allowed by the Food Authority if the statement is supported by the generally accepted scientific data;
- (iii) Every package of health supplement shall carry the following information on the label, namely.-
- the words "HEALTH SUPPLEMENT";
 - the common name of the health supplement, or a description sufficient to indicate the true nature of the health supplement including the common names of the categories of nutrients or substances that characterise the product;
 - a declaration as to the amount of the nutrients or substances with a nutritional or physiological effect present in the product;
 - an advisory warning 'NOT FOR MEDICINAL USE' prominently written;
 - the quantity of nutrients, where applicable expressed in terms of percentage of the relevant recommended daily allowances as specified by the Indian Council of Medical Research and bear a warning, "Not to exceed the recommended daily usage";
 - a statement that the health supplement is not to be used as a substitute for a varied diet;
 - a warning or any other precautions to be taken while consuming, known side effects, if any, contraindications, and published product or drug interactions, as applicable; and
 - a statement that the product is required to be stored out of reach of children.
- (4) No food business operator shall use additives for health supplement formulation except those specified in **Schedule VA** or **Schedule VE** or **Schedule VF**.

7. Nutraceuticals.—(1)(i) The nutraceuticals shall provide a physiological benefit and help maintain good health.

- (ii) A food business operator may extract, isolate and purify nutraceuticals from food or non-food sources, that is preparing amino acids and their derivatives by bacterial fermentation under controlled conditions.
- (iii) A food business operator may prepare and sell the nutraceuticals in the food-format of granules, powder, tablet, capsule, liquid, jelly or gel, semi-solids and other formats and may be packed in sachet, ampoule, bottle, and in any other format as measured unit quantities except those formats that are meant for parenteral administration.
- (2) (i) The nutraceuticals shall contain any of the ingredients specified in **Schedule I** or **Schedule II** or **Schedule IV** or **Schedule VI** or **Schedule VII** or **Schedule VIII**.
- (ii) A food business operator may use ingredients specified in the Schedules referred to in clause (i) of sub-regulation (2) in manufacturing an article of food containing nutraceuticals without prejudice to modifications for one or more of these nutrients rendered necessary by the intended use of the product;
- (iii) The quantity of nutrients added where applicable, shall not exceed the recommended daily allowance as specified by the Indian Council of Medical Research and in case such standards are not specified, the standard laid down by international food standards body, namely Codex Alimentarius Commission shall apply;
- (iv) A nutraceutical which is not provided in these regulations but its safety has been established in India or in any other country, shall be manufactured or sold in India only on prior approval of the Food Authority;

- (v) For the purposes of clause (iv), a food business operator shall apply to the Food Authority for approval which shall be accompanied by documented history of usage of at least fifteen years in India, or thirty years in the country of origin;
- (vi) The Food Authority may from time to time specify the nutraceuticals as approved by it after undertaking proper scientific evaluation.
- (3) (i) No ingredient other than those specified in **Schedule VI** shall be used as nutraceutical with standardisation to marker compounds specified and at daily usage levels specified therein;
- (ii) The ingredient for which the standardisation of the marker compound has not been specified shall comply with manufacturer specifications or quality requirements and purity criteria as specified in regulation 3;
- (iii) For the ingredient for which the daily minimum and maximum usage levels have not been specified, the food business operator shall adopt the usage level based on relevant scientific data and retain the documentary evidence of such data;
- (iv) For the purpose of clause (iii), the food business operator shall submit the documented scientific data to the Food Authority as and when called for;
- (v) No food business operator shall use the extract of ingredient as nutraceutical other than that specified in **Schedule IV**;
- Provided that the ingredient of plant or botanical origin specified in **Schedule IV** and **Schedule VI** may be used either in the given form, or their extract, subject to the extractive ratios in relation to the daily usage value.
- (4) (i) The labelling, presentation and advertisement shall not claim that the nutraceutical has the property of preventing, treating or curing a human disease, or refer to such properties;
- (ii) The statement by the food business operator relating to the structure or function or the general well-being of the body may be allowed by the Food Authority, if the statement is supported by the generally accepted scientific data;
- (iii) Every package of food containing nutraceutical shall carry the following information on the label, namely:-
- (a) the word “NUTRACEUTICAL”;
- (b) the common name of the nutraceutical;
- (c) a declaration as to the amount of each nutraceutical ingredient in the product that either has a nutritional or physiological effect;
- (d) where it is appropriate, the quantity of nutrient shall be expressed in terms of percentage of the relevant recommended daily allowances as specified by the Indian Council of Medical Research even when the nutrient is present along with a nutraceutical as an adjunct and shall bear an advisory warning ‘not to exceed the stated recommended daily usage’;
- (e) an advisory warning for ‘recommended usage’;
- (f) an advisory warning ‘NOT FOR MEDICINAL USE’ prominently written;
- (g) an advisory warning in cases where a danger may exist with excess consumption;
- (h) an advisory warning or any other precautions to be taken while consuming, known side effects, if any, contraindications, and product-drug interactions, as applicable;
- (i) a statement that the product is required to be stored out of reach of children;
- (5) No food business operator shall use additives for nutraceutical formulation except those specified in **Schedule VA** or **Schedule VE** or **Schedule VF**.
- 8. Food for special dietary use, other than infants, and those products intended to be taken under medical advice.** – (1) No food business operator shall manufacture, formulate or process an article of food for special dietary use unless-
- (i) specially processed or formulated to satisfy particular dietary requirements which may exist or arise because of certain physiological or specific health conditions, namely:-
- (a) low weight, obesity, diabetes, high blood pressure;
- (b) pregnant and lactating women; and
- (c) geriatric population and celiac disease and other health conditions.
- (ii) The food business operator shall clearly indicate on the label whether or not the food for special dietary use is to be taken under medical advice;
- (iii) A food business operator may manufacture or sell an article of food for special dietary use in single use packaging or in dosage form, namely, granules, capsules, tablets, pills, jelly, semi-solid and other similar forms,

- sachets of powder, or any other similar forms of liquids and powders designed to be taken in measured unit quantities with a nutritional or physiological effect;
- (iv) A food business operator may formulate an article of food for special dietary use in formats meant for oral feeding through a enteral tubes but shall not be used for parenteral use;
- (v) An article of food for special dietary use shall not include the normal food which is merely enriched or modified with nutrients and meant for mass consumption, intended for improvement of general health for day to day use and do not claim to be targeted to consumers with specific disease conditions and also not include the article of food intended to replace complete diet covered under food for special medical purpose specified in regulation 9.
- (2) (i) The articles of food for special dietary use shall contain any of the ingredients specified in **Schedules I or Schedule II or Schedule III or Schedule IV or Schedule VI or Schedule VII or Schedule VIII.**
- (ii) A food business operator may use the ingredients specified in the Schedules referred to in clause (i) of sub-regulation (2) in manufacturing food for special dietary use without prejudice to modifications for one or more of these nutrients rendered necessary by the intended use of the product.
- (iii) For any new nutrient, which has no history of use in India or that without a proof establishing that the nutrient may result in certain nutritional and physiological benefits, the food business operator shall apply to the Food Authority with justification for approval, and the Food Authority may, from time to time specify the nutrients approved by it after proper scientific evaluation.
- (iv) A food business operator may add the quantity of the nutrients at a level higher than the recommended daily allowance, but not exceeding the limits of vitamins and minerals specified in **Schedule III.**
- (v) (i) The articles of food used as a formula food presented as a replacement for all meals of the daily diet for slimming, weight management and weight control purposes shall comply with the following, namely:-
- (a) provide energy not less than 800 kcal (3,350 kJ) and not more than 1,200 kcal (5,020 kJ);
- (b) the individual portions or servings contained in the formula food shall provide approximately one-third or one-fourth of the total energy of the food in the pack depending on whether the recommended number of portions or servings per day is three or four, as the case may be, respectively.
- (ii) A formula food presented as a replacement for one or more meals of the daily diet shall comply with the following, namely:-
- (a) provide energy not less than 200 kcal (835 kJ) and not more than 400 kcal (1,670 kJ) per meal;
- (b) when such products are presented as a replacement for the major part of the diet, the total energy intake shall not exceed 1,200 kcal (5,020 kJ).
- (iii) Not less than twenty five per cent and not more than fifty per cent of the energy available from the food, when ready-to-serve, shall be derived from its protein content and the total amount of protein shall not exceed 125 g per day.
- (iv) The quality of protein shall have-
- (a) the protein digestibility corrected amino acid score of 1.0 known as, the reference protein;
- (b) the protein digestibility corrected amino acid score where less than 1.0, the minimum level shall be increased to compensate for the lower protein quality;
- (c) the protein with a protein digestibility corrected amino acid score of 0.8 or more shall be used in a formula food for use in a weight control diet; and
- (v) For improving the protein quality, the food business operator shall add only L- forms of essential amino acids except for methionine where DL form is allowed.
- (vi) Not more than thirty per cent of the energy available from fat and not less than three per cent of the energy from linoleic acid in the form of a glyceride.
- (vii) A formula food represented as a replacement for all meals per day, shall not have less than a hundred per cent of the recommended daily allowance of vitamins and minerals in the daily intake.
- (viii) The formula food for special dietary use shall have adequate dietary fiber.
- (3) (i) No statement or claim shall be made on the label implying prevention, cure or treatment of any specific disease or its diagnosis or otherwise preventing or interfering with the normal operation of a physiological function, whether permanently or temporarily, unless otherwise approved by the Food Authority;
- (ii) The statement by the food business operator relating to the structure or function or the general well-being of the body may be allowed by the Food Authority, if the statement is supported by the generally accepted scientific data;
- (iii) Every package containing food for special dietary use shall carry the following information on the label, namely:-

- (a) the words “FOOD FOR SPECIAL DIETARY USE” followed by “Food for.....” (mentioning the particular physiological or health condition)”;
- (b) a statement “For weight control and management” in close proximity to the name of the articles of food specially prepared for weight management and control;
- (c) a statement that the product is not to be used by pregnant, nursing and lactating women or by infants, children, adolescents and elderly, except when medically advised;
- (d) a statement on the target consumer group, rationale for use of the product and a description of the properties or characteristics that make it useful;
- (e) if the product has been formulated for a specific age group, a prominent statement to that effect;
- (f) a statement specifying the nutrient which is reduced, deleted, increased or otherwise modified, relating to normal requirement, and the rationale for the reduction, deletion, increase or other modification;
- (g) an advisory warning ‘NOT FOR MEDICINAL USE’ prominently written;
- (h) a warning in cases where a danger may exist with excess consumption;
- (i) a warning that the product is not for parenteral use;
- (j) a warning or any other precautions to be taken while consuming, known side effects, if any, contraindications, and product-drug interactions, as applicable;
- (k) the quantity of nutrients expressed in terms of percentage of the recommended daily allowance where it is appropriate;
- (l) information on osmolality or osmolarity or on acid-base balance where appropriate; and
- (m) a statement that the product shall be stored out of reach of children.

(4) No food business operator shall use additives for food for special dietary uses, except those specified in **Schedule VB** or **Schedule VE** or **Schedule VF**.

9. Food for special medical purpose.- (1) (i) Food for special medical purpose shall include food specially prepared for weight reduction and intended as total replacement of normal diet.

(ii) A food business operator may formulate food for special medical purpose in format meant for oral feeding through a enteral tubes.

(iii) The articles of food for special medical purpose shall not be used for parenteral use.

(iv) The articles of food for special medical purpose, other than those intended for infants, may either be nutritionally complete food which, when used in accordance with the manufacturer's instructions, shall constitute the sole source of nourishment for the persons for whom they are intended or nutritionally incomplete food with formulation specific for a disease, disorder or medical condition, but are not suitable to be used as the sole source of nourishment.

(v) For the purposes of these regulations, the food for special medical purpose may be classified in to following three categories, namely:-

(a) ‘nutritionally complete food with a standard nutrient formulation’, which when used in accordance with the manufacturer's instructions, may constitute the sole source of nourishment for the persons for whom they are intended;

(b) ‘nutritionally complete food with a nutrient-adopted formulation specific for a disease, disorder or medical condition’, which when used in accordance with the manufacturer's instructions, may constitute the sole source of nourishment for the persons for whom they are intended; and

(c) ‘nutritionally incomplete food with a standard formulation or a nutrient-adopted formulation specific for a disease, disorder or medical condition’, which is not suitable to be used as the sole source of nourishment.

Note.- the food specified in sub-clauses (b) and (c) of clause (v) may be used as a partial replacement or as a supplement to the person’s diet.

(2) (i) Food for special medical purpose shall contain any of the ingredients specified in **Schedule I** or **Schedule II** or **Schedule III** or **Schedule IV** or **Schedule VII** or **Schedule VIII** or enzymes only of **Schedule VI** .

(ii) A food business operator shall use only the ingredients specified in the Schedules referred to in clause (i) of sub-regulation (2) in manufacturing food for special medical purpose without prejudice to modifications for one or more of these nutrients rendered necessary by the intended use of the product.

(iii) A food business operator may apply to the Food Authority for any new nutrient, which has no history of use in India or those without proof establishing that the nutrient may result in certain nutritional and physiological benefits with justification for approval and the Food Authority may from time to time specify the nutrients approved by it after proper scientific evaluation.

- (iv) The articles of food specially prepared for weight reduction and intended as total replacement of complete diet shall, apart from complying with **Schedule III**, shall also ensure the following, namely:-
- (a) that a formula food for very low energy diet is prepared according to instructions, with a daily energy intake of 450-800 kcal as the only source of energy;
 - (b) that not less than 50 g protein with a protein digestibility corrected amino acid score of 1 is present in the recommended daily intake of energy, and essential amino acids may be added to improve protein quality only in amounts necessary for this purpose;
 - (c) for the purposes of clause (b) the food business operator shall add only L- forms of essential amino acids except for methionine where DL form is allowed.
 - (d) very low energy diet provides not less than-
 - (I) 3 g of linoleic acid; and
 - (II) 0.5 g α -linolenic acid in the recommended daily intake with the α -linoleic acid and linolenic acid ratio between 1:5 and 1:15;
 - (e) very low energy diet provides not less than 50 g of available carbohydrates in the recommended daily intake of energy;
 - (f) that the formula food for special medical purpose have adequate dietary fiber.
- (v) In food for special medical purpose, nutrients may be added at levels higher than the recommended daily allowance, but not exceeding the limits of vitamins and minerals as specified in **Schedule III**.
- (3) Every package of food for special medical purpose shall carry the following information on the label, namely:-
- (a) the words 'FOOD FOR SPECIAL MEDICAL PURPOSE' printed in the immediate proximity of the name or brand name of the product;
 - (b) an advisory warning "RECOMMENDED TO BE USED UNDER MEDICAL ADVICE ONLY" appearing on the label in bold letters in an area separated from other written, printed or graphic information;
 - (c) the statement "For the dietary management of _____" (*with the blank to be filled in with the specific disease, disorder or medical condition for which the product is intended, and for which it has been shown to be effective*) supported by appropriate scientific, and clinical or epidemiological data, and subject to its approval by the Food Authority;
 - (d) a statement 'NUTRITIONALLY COMPLETE' if the food is intended to be used as a nutritionally complete food;
 - (e) a statement on the rationale for use of the product by the target consumer group and a description of the properties or characteristics that make it useful;
 - (f) a statement if the product has been formulated for a specific age group;
 - (g) a statement specifying the nutrient which have been reduced, deleted, increased or otherwise modified, relating to normal requirements, and the rationale for the reduction, deletion, increase or other modification;
 - (h) the quantity of nutrients expressed in terms of percentages of the recommended daily allowances, where it is appropriate;
 - (i) information on osmolality or osmolarity, Renal Solute Load, Potential Renal Solute Load or acid-base balance, wherever applicable;
 - (j) instructions for appropriate preparation, feeding, use and storage of the product after the opening of the container;
 - (k) a warning that the product is not for parenteral use; and
 - (l) a statement that the product required to be stored out of reach of children.
- (4) No food business operator shall use additives for food for special medical purpose except those specified in **Schedule VC** or **Schedule VD** or **Schedule VE** or **Schedule VF**.
- (5) No food business operator shall advertise the food for special medical purpose for use by general public.
- 10. Food with added probiotic ingredients.** – (1) (i) No food business operator shall use probiotic ingredients in food except the probiotic culture of the microorganisms specified in **Schedule VII** or those probiotic microorganisms approved by the Food Authority from time to time. Probiotic preparations may contain added prebiotics permitted under these regulations.
- (ii) The viable number of organisms in food with added probiotic ingredients shall be $\geq 10^8$ CFU/g;

Provided that a lower viable number may be specified with proven studies on health benefits with those numbers subject to the prior approval of the Food Authority.

- (iii) The Food Authority may, from time to time, specify the probiotic microorganisms approved by it after proper scientific evaluation:

Provided that the presence of the commonly used starter cultures of lactic acid producing bacteria such as *Lactococcus spp.*, earlier known as *Streptococcus spp.*, *Lactobacillus spp.* and other such microorganisms used in the preparation of fermented milk (dahi) and related products shall not be considered as probiotics, if the probiotic properties have not been substantiated.

Note.- The guidelines issued by the Indian Council of Medical Research and Department of Biotechnology with respect to probiotics provide additional information on their use.

- (2) (i) The labelling, presentation and advertisement shall not claim that the probiotic food has the property of preventing, treating or curing a human disease, or refer to such properties.
- (ii) The statement by the food business operator relating to structure or function or the general well-being of the body may be allowed by the Food Authority, if the statement is supported by the generally accepted scientific data.
- (iii) Every package of probiotic food shall carry the following information on the label, namely:-
- (a) the words “PROBIOTIC FOOD”;
 - (b) genus and species including strain designation or culture collection number, where applicable, in brackets where probiotics are mentioned in the list of ingredients;
 - (c) viable numbers at the end of the shelf-life of probiotic strain corresponding to the level at which the efficacy is claimed;
 - (d) the recommended serving size which shall deliver the effective viable dose of probiotics related to health claims and recommended duration of use, proper storage temperature conditions, and time limit for ‘Best Use’ after opening the container;
 - (e) an advisory warning ‘NOT FOR MEDICINAL USE’ prominently written; and
 - (f) a warning or any other precaution to be taken while consuming, known side effects, if any, contraindications, and product-drug interactions, as applicable.
- (3) No food business operator shall use additives in probiotic preparations except those specified in **Schedule VA to Schedule VF**.

11. Food with added prebiotic ingredients.- (1) (i) No food business operator shall use prebiotics in manufacturing food containing prebiotics except those specified in **Schedule VIII** or those prebiotics approved by the Food Authority from time to time.

- (ii) The prebiotic component, not an organism, to which the claim of being made, shall be characterised for a given product by providing the source, origin, purity, chemical composition and structure, vehicle, concentration and amount in which it is to be delivered to the host.
- (2) (i) The labelling, presentation and advertising shall not claim that the prebiotic has the property of preventing, treating or curing a human disease, or refer to such properties.
- (ii) The statement by the food business operator relating to structure or function or the general well-being of the body may be allowed by the Food Authority, if the statement is supported by the generally accepted scientific data.
- (iii) Every package of food containing prebiotics shall carry the following information on the label, namely:-
- (a) the words “PREBIOTIC FOOD”;
 - (b) name of prebiotic;
 - (c) the suggested or recommended serving size which shall deliver the effective dose of prebiotic related to the health claim;
 - (d) an advisory warning ‘NOT FOR MEDICINAL USE’ prominently written;
 - (e) a warning or any other precautions to be taken while consuming, known side effects, if any, contraindications, and product-drug interactions, as applicable.
- (3) No food business operator shall use additives in prebiotic preparations except those specified in **Schedule VA to Schedule VF**.

12. Specialty food containing plant or botanical ingredients with safe history of usage.- (1) (i) A food business operator shall use only plant or botanical ingredients specified in **Schedule IV** for the preparation of specialty food containing plant or botanical ingredients.

- (ii) The plant or botanical ingredient which is not specified in these regulations but its safety has been established in India or in any other country, may be manufactured or sold in India only after taking prior approval of the Food Authority.
- (iii) The application for approval to the Food Authority shall be accompanied by documented history of usage of at least fifteen years in India, or thirty years in the country of origin.
- (2) The health supplement or nutraceutical or food for special dietary use or food for special medical purpose may contain the ingredient as specified in **Schedule IV**, formulated either alone or in combination of ingredients or botanicals or their extracts either in unprocessed or in approved processed forms, formulated in a regular or conventional food format such as liquid or syrup, suspension or powder, granule, tablet or capsule or any other format approved by the Food Authority.
- (3) (i) Every manufacturer or importer shall prepare and maintain a product information file, which shall contain information on the ingredients from **Schedule IV** used, finished product quality confirmation, and the test methods to demonstrate the presence of the active ingredient in the food.
- (ii) The usage level of the specialty food containing plant or botanical ingredients shall not exceed those levels specified in **Schedule IV**:
Provided that the usage level may be distributed or provided, or formulated for delivery in one portion daily, or distributed in more than one portion to be taken in a day.
- (iii) To use any other plant or botanical ingredient, which is not specified in **Schedule IV**, the food business operator shall seek prior approval of the Food Authority by submitting-
- a product information file containing information on the material used;
 - quality confirmation, test methods to demonstrate the presence of the ingredient in the food;
 - relevant published literature providing scientific and technical information of the material or product related to safety and health benefits; and
 - any human intervention study published or conducted, and other relevant information.
- (iv) The product information file shall be produced for inspection and review by the Food Authority as and when called for.
- (v) The product information file shall primarily consist of technical and scientific information covering the following, namely:-
- information on quality of all raw ingredients with official scientific or botanical name;
 - details of formulation or block diagram and brief description of the processing methods or steps adopted;
 - shelf life study data;
 - quality specifications and test methods for analysis of the finished product;
 - safety and pharmacological information, literature base, and additional study, if any conducted;
 - information on human studies, if any;
 - regulatory status in other countries, if any; and
 - any other relevant product information.
- (4) No food business operator shall use additives for preparation of specialty food containing plant or botanical ingredients except those specified in **Schedule VE** or **Schedule VF**.
- 13. Novel food.**— (1)(i) For the purposes of these regulations novel food is a food that-
- may not have a history of human consumption; or
 - may have any ingredient used in it which or the source from which it is derived, may not have a history of human consumption; or
 - a food or ingredient obtained by new technology with innovative engineering process, where the process may give rise to significant change in the composition or structure or size of the food or food ingredients which may alter the nutritional value, metabolism or level of undesirable substances.
- (ii) No novel food shall be manufactured or imported for commercial purpose without the prior approval of the Food Authority by filing an application along with all relevant documents and details as specified by the Food Authority from time to time.
- (2) The labelling of novel food shall be-
- in accordance with the specific labelling requirements, if any; or
 - specific to claims relating to the novel product; or
 - as per the category notified by the Food Authority in the specific regulations.

Schedule – I

[See regulations 3.(13), 4.(2), 6.(2)(i), 7.(2)(i), 8.(2)(i) and 9.(2)(i)]

List of vitamins and minerals and their components

S.No.	Vitamins and Minerals		Components
A.	Vitamins-		
1.	Vitamin A	(i)	Retinol – all trans retinol
		(ii)	Retinyl acetate
		(iii)	Retinyl palmitate
2.	Provitamin A	(i)	Beta-Carotene
3.	Vitamin B₁	(i)	Thiamine chloride hydrochloride
		(ii)	Thiamine mononitrate
4.	Vitamin B₂	(i)	Riboflavin
		(ii)	Riboflavin 5'- phosphate, sodium
5.	Vitamin B₆	(i)	Pyridoxine hydrochloride
		(ii)	Pyridoxal 5'-phosphate
6.	Vitamin B₁₂	(i)	Cyanocobalamin
		(ii)	Hydroxocobalamin
7.	Vitamin C	(i)	L-ascorbic acid
		(ii)	Sodium-L-ascorbate
		(iii)	Calcium-L-ascorbate
		(iv)	Potassium-L-ascorbate
		(v)	6-palmitoyl-L-ascorbic acid
		(vi)	Ascorbyl palmitate
8.	Vitamin D	(i)	Vitamin D ₃ (cholecalciferol) – Animal source
		(ii)	Vitamin D ₂ (ergocalciferol) – Plant source
9.	Vitamin E	(i)	D-alpha-tocopherol
		(ii)	DL-alpha-tocopherol
		(iii)	D-alpha-tocopheryl acetate
		(iv)	DL-alpha-tocopheryl acetate
		(v)	D-alpha-tocopheryl acid succinate
		(vi)	DL-alpha-tocopheryl acid succinate
		(vii)	DL-alpha-tocopheryl polyethylene glesol succinate
10.	Vitamin K₁	(i)	Phylloquinone
		(ii)	Phytomenadione (2-methyl 3-phytyl-1)
		(iii)	1,4-napthoquinone
		(iv)	Phytonamidione
11.	Vitamin K₂ (MK-7)	(i)	Menaquinone
12.	Vitamin K₂ (MK-4)	(i)	Menatetrenone
13.	Biotin	(i)	D-biotin
14.	Folic Acid	(i)	n-pteroyl-l-glutamic acid
15.	Niacin	(i)	Nicotinic acid
		(ii)	Nicotinamide
		(iii)	Nicotinic acid amide
16.	Pantothenic acid	(i)	D-pantothenate, calcium

S.No.	Vitamins and Minerals		Components
		(ii)	D-pantothenate, sodium
		(iii)	D-panthenol
		(iv)	DL- pantholnol
		(v)	Sodium-D-pantothenate
Note.- Addition of appropriate overages to ensure adequate availability of vitamins in the products shall be permitted based on scientific rationale. However, the maximum proportion of overages shall not exceed as given in the Table 'C', below, unless scientifically justified. Labels of such products shall make a declaration of the same as "appropriate overages added" in the composition declaration Panel.			
B.	Minerals (Chemical sources)		
1.	Calcium	(i)	Calcium carbonate
		(ii)	Calcium chloride
		(iii)	Calcium salts of citric acid
		(iv)	Calcium gluconate
		(v)	Calcium glycerophosphate
		(vi)	Calcium orthophosphate
		(vii)	Calcium hydroxide
		(viii)	Calcium oxide
		(ix)	Calcium phosphate, monobasic
		(x)	Calcium phosphate, dibasic
		(xi)	Calcium phosphate, tribasic
		(xii)	Calcium sulphate
		(xiii)	Calcium from algal source (<i>Algae calcarius</i>)
		(xiv)	Calcium lactate
2.	Chloride	(i)	Calcium chloride
		(ii)	Choline chloride
		(iii)	Magnesium chloride
		(iv)	Manganese chloride
		(v)	Potassium chloride
		(vi)	Sodium chloride
3.	Chromium	(i)	Chromium (III) chloride
		(ii)	Chromium (III) sulphate
4.	Copper	(i)	Cupric carbonate
		(ii)	Cupric citrate
		(iii)	Cupric gluconate
		(iv)	Cupric sulphate
		(v)	Copper lysine complex
5.	Iodine	(i)	Sodium iodide
		(ii)	Sodium iodate
		(iii)	Potassium iodide
		(iv)	Potassium iodate
6.	Iron	(i)	Ferrous succinate
		(ii)	Ferrous citrate
		(iii)	Ferric ammonium citrate
		(iv)	Ferrous gluconate
		(v)	Ferrous fumarate
		(vi)	Ferric sodium di-phosphate
		(vii)	Ferrous lactate

S.No.	Vitamins and Minerals		Components
		(viii)	Ferrous sulphate
		(ix)	Ferric di-phosphate
		(x)	Ferric saccharate
		(xi)	Ferrous bis glycinate
		(xii)	Hydrogen reduced iron
		(xiii)	Sodium iron EDTA
		(xiv)	Carbonyl iron
		(xv)	Ferrous orthophosphate
		(xvi)	Ferrous sodium pyrophosphate
		(xvii)	Elemental iron
		(xviii)	Electrolytic iron
7.	Magnesium	(i)	Magnesium aspartate
		(ii)	Magnesium carbonate
		(iii)	Magnesium chloride
		(iv)	Magnesium gluconate
		(v)	Magnesium phosphate dibasic (Magnesium hydrogen phosphate)
		(vi)	Magnesium phosphate tribasic (Trimagnesium phosphate)
		(vii)	Magnesium oxide
		(viii)	Magnesium sulphate
8.	Manganese	(i)	Manganese carbonate
		(ii)	Manganese chloride
		(iii)	Manganese citrate
		(iv)	Magnanese sulphate
		(v)	Magnanese gluconate
		(vi)	As amino acid chelate
9.	Molybdenum	(i)	Ammonium molybdate (Molybdenum (VI))
		(ii)	Sodium molybdate (Molybdenum (VI))
		(iii)	As amino acid chelate
10.	Phosphorous	(i)	Potassium glycerophosphate
		(ii)	Potassium phosphate, monobasic
		(iii)	Potassium phosphate, dibasic
11.	Potassium	(i)	Potassium bicarbonate
		(ii)	Potassium carbonate
		(iii)	Potassium chloride
		(iv)	Potassium citrate
		(v)	Potassium gluconate
		(vi)	Potassium glycerophosphate
		(vii)	Potassium lactate
		(viii)	Potassium monobasic phosphate
		(ix)	Potassium dibasic phosphate
12.	Selenium	(i)	Sodium selenate
		(ii)	Sodium selenite
		(iii)	Sodium hydrogen selenite
		(iv)	Selenomethionine
13.	Sodium	(i)	Sodium bicarbonate

S.No.	Vitamins and Minerals		Components
		(ii)	Sodium carbonate
		(iii)	Sodium chloride
		(iv)	Sodium citrate (Trisodium citrate)
		(v)	Sodium gluconate
		(vi)	Sodium lactate
		(vii)	Sodium phosphate monobasic (Sodium dihydrogen phosphate)
		(viii)	Sodium phosphate dibasic (disodium hydrogen phosphate)
		(ix)	Sodium sulphate
14.	Zinc	(i)	Zinc acetate
		(ii)	Zinc chloride
		(iii)	Zinc citrate
		(iv)	Zinc gluconate
		(v)	Zinc lactate
		(vi)	Zinc oxide
		(vii)	Zinc carbonate
		(viii)	Zinc sulphate
15	Boron	(i)	Boron proteonate

Note- Suitable esters and salts of vitamins and salts and chelates of minerals may be used

Table C. Permissible overages*		
S.No.	Micronutrient	Overage (per cent)
1.	Vitamin A	30
2.	Vitamin C	20
3.	Vitamin D	30
4.	Vitamin E	10
5.	Thiamine (vitamin B ₁)	25
6.	Riboflavin (vitamin B ₂)	25
7.	Niacin (vitamin B ₃)	10
8.	Vitamin B ₆	25
9.	Vitamin B ₁₂	25
10.	Folic acid	25
11.	Pantothenic acid	10
12.	Vitamin K ₁	30
13.	Minerals	10
14.	Iodine	20

* Overage means the amount of excess nutrients added above label claim during manufacture as a means of maintaining at least the claimed amount of the ingredient(s) for the normal shelf life of the product to compensate for the expected manufacturing / storage loss and to allow for variation in assay performance. Where overages are more than those listed in **Schedule I, Table C**, the same shall be scientifically substantiated.

Schedule – II

[See regulations 3.(13), 4.(2), 6.(2)(i), 7.(2)(i), 8.(2)(i) and 9.(2)(i)]

List of amino acids and other nutrients

A. Essential Amino Acids			
(i)	L-Histidine	(xii)	L-Aspartic acid
(ii)	L-Histidine hydrochloride	(xiii)	L-Argine L-aspartate
(iii)	L-Isoleucine	(xiv)	L-Threonine
(iv)	L-Isoleucine hydrochloride	(xv)	L- Alanine
(v)	L-Leucine	(xvi)	L-Phenylalanine
(vi)	L-Leucine hydrochloride	(xvii)	L-Cyststeine hydrochloride
(vii)	L-Lysine	(xviii)	L-Tyrosine
(viii)	L-Lysine hydrochloride	(xix)	L-Arginine
(ix)	DL-Methionine	(xx)	L-Tryptophan
(x)	L-Cysteine	(xxi)	L-Valine
(xi)	L-Cysteine hydrochloride	(xxii)	L-Arginine hydrochloride
B. Non- Essential Amino Acids			
(i)	L-Carnitine	(xv)	L- Proline
(ii)	L-Carnitine hydrochloride	(xvi)	L-Lycine-L-glutamate dihydrate
(iii)	Carnitine, acetyl-L	(xvii)	Megnesium L- aspartate
(iv)	L-Glutamic acid	(xviii)	Calcium L- glutamate
(v)	L-Glutamine	(xix)	Potassium – L- glutamate
(vi)	Glycine	(xx)	Carnitine tartrate
(vii)	L-Hydroxylysine	(xxi)	Taurine
(viii)	L-Hydroxyproline	(xxii)	Choline
(ix)	L-Lycine acetate	(xxiii)	Choline chloride
(x)	N-acetyl-L-cysteine	(xxiv)	Choline citrate
(xi)	L- Ornithine	(xxv)	L-Serine
(xii)	L-Ornithine mono hydrochloride	(xxvi)	Tyrosine, acetyl-L
(xiii)	L-Lycine –L- aspartate	(xxvii)	Choline hydrogen tartrate
(xiv)	L-Citruline	(xxviii)	Myo-inositol
C. Nucleotides			
(i)	Adenosine 5-monophosphate (AMP)	(v)	Disodium uridine 5-monophosphate
(ii)	Cystidine 5-mono phosphate (CMP)	(vi)	Disodium guanosine 5-mono phosphate
(iii)	Guanosine 5-mono phosphate (GMP)	(vii)	Disodium ionosine 5-mono phosphate
(iv)	Inosine 5-mono phosphate (IMP)		

Note.- Suitable esters and salts of amino acids may be used.

Schedule – III

[See regulations 3.(13), 4.(2), 8.(2)(i), 8.(2)(iv), 9.(2)(i), 9.(2)(iv) and 9.(2)(v)]

Values for vitamins, minerals and trace elements allowed to be used in food for special dietary use and food for special medical purpose (other than those intended for use in infant formula)**1. Vitamins**

Vitamins	RDA for Vitamins			
	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimum	Maximum*	Minimum	Maximum*
Vitamin A (µg RE)	8.4	43	35	180
Vitamin D (µg)	0.12	0.65 (0.75) ¹	0.5	2.5 (3) ¹
Vitamin K (µg)	0.85	5	3.5	20
Vitamin C (mg)	0.54	5.25	2.25	22
Thiamin (mg)	0.015	0.12	0.06	0.5
Riboflavin (mg)	0.02	0.12	0.08	0.5
Vitamin B ₆ (mg)	0.02	0.12	0.08	0.5
Niacin (mg NE)	0.22	0.75	0.9	3
Folic acid (µg)	2.5	12.5	10	50
Vitamin B ₁₂ (µg)	0.017	0.17	0.07	0.7
Pantothenic acid (mg)	0.035	0.35	0.15	1.5
Biotin (µg)	0.18	1.8	0.75	7.5
Vitamin E (mg α-TE)	0.5/g of polyunsaturated fatty acids expressed as linoleic acid but in no case less than 0.1 mg per 100 available kJ	0.75	0.5/g of polyunsaturated fatty acids expressed as linoleic acid but in no case less 0.1 mg per 100 available kcal	3

⁽¹⁾: For products intended for children of 1 to 10 years of age; NE – Niacin equivalent;

TE – Tocopherol equivalent.

* When no upper safe level (maximum permissible level higher than 1 (100 percent) RDA) has been specified for a particular vitamins and minerals, the content of such nutrient shall not exceed NOAEL (No observed adverse effect level) or one tenth of LOAEL (Lowest observed adverse effect level)

2. Minerals

Minerals	RDA for Minerals			
	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimum	Maximum*	Minimum	Maximum*
Sodium (mg)	7.2	42	30	175
Chloride (mg)	7.2	42	30	175
Potassium (mg)	19	70	80	295
Calcium (mg)	8.4 (12) ¹	42 (60) ¹	35 (50) ¹	175 (250) ¹
Phosphorus (mg)	7.2	19	30	80
Magnesium (mg)	1.8	6	7.5	25
Iron (mg)	0.12	0.5	0.5	2.0
Zinc (mg)	0.12	0.36	0.5	1.5
Copper (µg)	15	125	60	500
Iodine (µg)	1.55	8.4	6.5	35
Selenium (µg)	0.6	2.5	2.5	10
Manganese (mg)	0.012	0.12	0.05	0.5
Chromium (µg)	0.3	3.6	1.25	15
Molybdenum (µg)	0.72	4.3	3.5	18

⁽¹⁾: For products intended for children of 1 to 10 years of age;

*When no upper safe level (maximum permissible level higher than 1 (100 per cent) RDA) has been specified for a particular nutrient the content of such nutrient shall not exceed NOAEL (No observed adverse effect level) or one tenth of LOAEL (Lowest observed adverse effect level)

Schedule – IV

[See regulations 3.(13), 4.(2), 6.(2)(i), 7.(2)(i), 7.(3)(v), 8.(2)(i), 9.(2)(i), 12.(1)(i), 12.(2), 12.(3)(i), 12.(3)(ii) and 12.(3)(iii)]

List of plant or botanical ingredients

S. No.	Botanical name and part used	Common name	Permitted range of usage for adults per day (given in terms of raw herb/ material)
1	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench.		
	Fruit/Root	Bhindi	5-10 g (as powder)
2	<i>Abies spectabilis</i> (D.Don) / <i>A. pindrow</i> Royle		
	Leaves	Talis patra / Talis bhed	2-4 g (as powder)
3	<i>Asculus indica colebs.</i> / <i>A. hippocastanum</i>		
	Fruit /kernel	Indian Horse Chestnut/ kanar	10-20 g
4	<i>Abelmoschus moschatus</i>		
	Seed	<i>Lata kasturi</i>	3-5 g
5	<i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet ssp. <i>Indicum</i> / <i>A. fruticosum</i>		
	Seed/Root	Atibala	5-10 g (as powder)
6	<i>Acacia arabica</i> Willd. (Now known as <i>Acacia nilotica</i> (L.) Willd. ex Del. ssp. <i>indica</i> (Benth.) Brenan)		
	Gum	Babbula	5-10 g
	Stem bark	Babbula	5-10 g
7	<i>Acacia catechu</i>		
	Extract	Katha/khair	1-3 g
8	<i>Achyranthes aspera</i> (L.) / <i>A. bidentata</i>		
	Seed/Plant	Chirchida	3-5 g (as powder)
9	<i>Adhatoda zeylanica</i> / <i>A. vasaka</i>		
	Leaf/Root/Flower	Adusa/Vasa	5-10 g
10	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Corr.		
	Unripe fruit pulp	Bael	5-10 g
	Ripe fruit	Bael	50-100 g (as pulp)
	Leaves/Bark	Bael Pather/Bael chhal	5 -10 g (as pulp)
11	<i>Ajuga bracteosa</i> wall		
	Plant	Neel Kanthi	2-3 g
12	<i>Alangium salvifolium</i> (L.f.) Wang. ssp. <i>salvifolium</i>		
	Fruit	Ankota	10-20 g (as powder)
13	<i>Albizia lebbek</i> (L.) Benth/A. <i>Procera</i> /A. <i>odoratissima</i>		
	Flower	Siris	3-6 g (as powder)
	Seed	Siris	1-3 g (as powder)
	Stem bark	Siris	3-6 g
	Leaf	Siris	3-6 g (as powder)
14	<i>Alpinia galanga</i>		
	Rhizome	Kulanjan	2-4 g
15	<i>Allium cepa</i> L.		
	Bulb	Pyaja	10-20 ml (as juice)
	Seed	Pyaja	1-3 g (as powder)

	Leaf	Pyaja	20-40 g (as vegetable)
16	<i>Allium sativum</i> L.		
	Bulb	Lahsuna	3-6 g (Not recommended during pregnancy)
	Leaf	Lahsuna	20-40 g (as vegetable)
17	<i>Allium stracheyi</i> Bakerno		
	Whole plant	Farana	2-3 g
18	<i>Alocasia indica</i> Spach (Now known as <i>Alocasia macrorhiza</i> (L.) G. Don)		
	Tuber	Mankanda	5-10 g
19	<i>Aloe barbadensis</i> Mill. / <i>A. Ferox</i> / <i>A. vera</i>		
	Leaf	Ghikvar	5-10 g
	Dry leaf juice	Elua - Mussabar	0.5 -1 g
20	<i>Althaea officinalis</i> Linn		
	Flower/Root	Resh-Khatmi	5-10 g (as powder)
21	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br. ex DC.		
	Whole plant	Gudarisaga	3-5 g (as powder)
22	<i>Amaranthus gangeticus</i> L. (Now known as <i>Amaranthus tricolor</i> L.) / <i>Amaranthus blitum</i> L.		
	Aerial part	Lal marsa – Sag marsa	10-20 g (as leafy vegetable)
23	<i>Amaranthus spinosus</i> L. / <i>A. paniculatus</i> L. (<i>A. hybridus</i> L.)		
	Whole plant	Chaulai Kateli / Jal Chaulai	20-30 g (as leafy vegetable)
24	<i>Amomum aromaticum</i> Roxb. / <i>A. aromaticum</i>		
	Seed	Bangiya Ela	2-4 g (as powder)
25	<i>Amomum subulatum</i> Roxb./ <i>A. aromaticum</i>		
	Fruit	Badi Elaichi	1-3 g (as powder)
	Seed	Badi Elaichi	1-2 g (as powder)
26	<i>Amorphophallus campanulatus</i> (Roxb.) Blume ex Decne		
	Corm	Jimikanda	20-50 g (as vegetables)
27	<i>Anacardium occidentale</i> L.		
	Fruit Kernel	Kaju	10-20 g
28	<i>Anacyclus pyrethum</i> DC.		
	Root	Akarkara	100 - 250 mg (as powder) (Not recommended for children below 5 years)
	Seed	Akarkara	100 - 250 mg (as powder) (Not recommended for children below 5 years)
29	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Pineapple	50-100 g (as fruit) 50-100 ml (as juice) (Not recommended during pregnancy)
30	<i>Anethum sowa</i> Roxb. ex Flem. (Now known as <i>Anethum graveolens</i> L.)		
	Fruit	Sowa	3-6 g (as powder (fruit))
	Leaf	Sowa	10-20 g (as powder (leaf))
31	<i>Angelica glauca</i> Edgew./ <i>Angelica archangelica</i> L.		
	Root and Root stock	Chora	1-3 g (as powder)
32	<i>Annona squamosa</i> L./ <i>A. reticulata</i> / <i>A. muricata</i> / <i>A. Cherimola</i>		

	Fruit pulp	Shareefa / Shareefa bhed	20-30 g (as fruit pulp)
	Leaf	Shareefa	3-5 g (as powder) (Not recommended for children below 16 years)
33	<i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) Muell. / <i>A. Graveolens</i> Linn.		
	Fruit	Ajamod / Ajmoda bhed	1-3 g (as powder)
34	<i>Arachis hypogaea</i> L.		
	Seeds	Chinia Badam / Mungphali	10-20 g
	Seed oil	Mungaphali tail	5-10 ml
35	<i>Areca catechu</i> L.		
	Seed	Supari	1-2 g (as powder) (only to be used after shodhana (purification)) (Not recommended for children below 5 years)
36	<i>Artemisia absinthium</i> Linn /		
	Whole plant	Afsantin / Astimisia / Chauhar /	3-6 g
37	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.		
	Ripe / unripe fruit	Katahal	20-50 g
	Seeds	Katahal	5-10 g
38	<i>Artocarpus lakoocha</i> Roxb.		
	Ripe Fruit / unripe fruit	Badhal	20-30 g
	Seed	Badhal	5-10 g
39	<i>Arnebia nobilis/A. benthamii</i>		
	Root	Ratanjot	2-4 g
40	<i>Asparagus adscendens</i> Roxb.		
	Tuberous root	Safed musali	3-6 g (as powder)
41	<i>Asparagus officinalis</i> L.		
	Root	Shatavar bhed	3-6 g (as powder)
	Tender Shoots	Shatavar bhed	20-50 g
42	<i>Asparagus racemosus</i> Willd.		
	Tuberous root	Sitawar	3-6 g (as powder)
	Tender Shoots	Sitawar	20-50 g
43	<i>Asparagus sarmentosus</i> Linn.		
	Tuberous root	Badi Shataver	3-6 g (as powder)
44	<i>Avena sativa</i> L.		
	Seed	Oat	10-30 g (as powder)
45	<i>Averrhoa carambola</i> L.		
	Fruit	Kamarakh	10-20 g
46	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.		
	Leaf	Neem	1-3 g (as powder) (Not recommended for males and females planning to conceive)

	Fruit	Neem	1-2 g (as pulp) (Not recommended for males and females planning to conceive) (Not recommended for children below 5 years)
	Flower	Neem	2-4 g (as powder)
	Root bark	Neem	3-6 g (as powder)
47	<i>Bambusa arundinacea</i> (Retz.) Willd.		
	Tender shoots (Young leaf)	Bansh	20-30 g (as vegetable)
	Seed	Bansh chaval	20-30 g (as powder)
	Crystals	Bansalochan	0.5-2g (as powder)
48	<i>Bacopa monnieri</i>		
	Whole plant	Brahmi	5-10 g (as powder)
	Extract	<i>Brahmigha</i>	1-2 g
49	<i>Basella alba</i> L.		
	Leaf	Poyi Saag	20-30 g (as vegetable)
50	<i>Bauhinia variegata</i> L. / <i>Bauhinia purpurea</i> L. / <i>B. tomentosa</i> . Linn		
	Stem bark	Kachnar / Sona	3-6 g
	Flower / Buds	Kachnar / Sona	10-20 g (as juice)
51	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.		
	Fruit	Petha, Bhatua	30-50 g (as vegetable)
52	<i>Berberis aristata</i> DC./ <i>B. asiatica</i> / <i>B. lycium</i> / <i>B. vulgaris</i>		
	Fruit	Daruhaldi	5-10 g (as fruit)
	Stem extract	Rasaunt	0.5-1 g
53	<i>Beta vulgaris</i> L.		
	Tuber	Chukandar	10-20 ml (as juice)
54	<i>Boerhaavia diffusa</i> L. (Now known as <i>Boerhaavia repens</i> L. var. <i>diffusa</i> (L.) Hook.f.) / <i>B. verticillata</i>		
	Aerial part	Saag itsit	20-30 g (as aerial parts)
	Root	Vishkhaprs	10-15 g (as root)
55	<i>Bombax ceiba</i> L.		
	Stem bark	Semal	5-10 g
	Flower	Semal	10-20 ml (as juice)
	Gum	Semal	1-3 g (as powder)
	Root	Semal Musali	5-10 g (as powder)
56	<i>Bombax malabarica</i> / <i>Salmalia malabarica</i>		
	Fruit/Flower/Root	Semal/Semar	10-20 g
57	<i>Boswellia serrata</i> Roxb.		
	Oleoresin	Salai guggal	2-4 g
58	<i>Borassus flabellifer</i> L.		
	Dried inflorescence	Tarkul/Taad	1-3 g (as powder)
	Seed pulp of unripe fruit	Tarkul/Taad	10-30 g
	Exudate of stem / sap	Tarkul/Taad	100-200 ml (as juice)
59	<i>B. verticillata</i> Root		
			10-15 g
60	<i>Brassica campestris</i> L. (Now known as <i>Brassica rapa</i> L. sp. <i>campestris</i> (L.) Clapham)		
	Seed	Sarson	10-20 g (as paste)

	Seed oil	Sarson	10-20 ml
	Leaf	Sarson	10-30 g (as leafy vegetable)
61	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.		
	Seed	Rai	1-2 g
	Leaf	Rai	10-20 g (as leafy vegetable)
62	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch.		
	Seeds	Banarasi rai	0.5-1 g
63	<i>Brassica rapa</i> L.		
	Tuber	Shalgam	20-40 g
	Leaf	Shalgam	20-30 g (as vegetable)
64	<i>Buchanania lanzan</i> Spreng.		
	Seed	Cherounjee	5-10 g (as powder)
65	<i>Butea monosperma</i>		
	Seed/Gum/Root/Bark	Dhark	3-6 g
66	<i>Bixa orellana</i>		
		Annato Plant	1-3 g
67	<i>Caesalpinia bonducella</i> (L.) Flem. (Now known as <i>Caesalpinia bonduc</i> (L.) Roxb.)		
	Leaf	Karanjuva	2-3 g
	Seed	Karanjuva	2-3 g
68	<i>Cajanus cajan</i> (Linn.) Millsp.		
	Seed	Arahar / Tuvar	30-50 g
69	<i>Camellia sinensis</i>		
	Tea leaf / extract	Chaya / Tea extract	1-2 g
	Tea catechins	Green tea catechins	0.5-1 g
70	<i>Canavalia ensiformis</i> sensu Baker (Now known as <i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.)		
	Seed	Sema	5-10 g
71	<i>Canscora decussata</i> (Roxb.) J.F. and J.H. Schult.		
	Leaf	Bangiya Sankhapuspi	2-4 g (as powder)
72	<i>Capparis decidua</i> (Forssk.) Edgew.		
	Fruit	Kareer / Dela	10-20 g
73	<i>Capsicum annum</i> L. var. <i>annum</i>		
	Unripe fruit	Hari Mircha	1-2 g (Not recommended for children below 5 years)
	Ripe fruit	Lal Mircha	0.5-1.0 g (as powder) (Not recommended for children below 5 years)
74	<i>Capsicum frutescens</i> L.		
	Fruit	Simla Mirch	30-50 g (as vegetable)
75	<i>Carica papaya</i> L.		
	Ripe fruit	Papita	50-100 g (as ripe fruit)
	Unripe fruit	Papita	30-50 g (as unripe fruit)
76	<i>Carissa carandas</i> L.		
	Fruit	Karounda	5-10 g
77	<i>Carissa spinarum</i> L.		
	Fruit	Karawan	5-10 g
78	<i>Carthamus tinctorius</i> L.		

	Flower Head	Barre	2-4 g (as powder)
	Seed	Barre	2-4 g (as powder)
	Seed oil	Barre -tail	5-10 ml
79	<i>Carum carvi</i> L.		
	Fruit	Syaha jeera	1-3 g (as powder)
80	<i>Cassia absus</i> L.		
	Seed	Chaksu	2-5 g
81	<i>Cassia occidentalis</i> L.		
	Leaf	Kasoundi	5-10 g
	Seed	Kasoundi	1-3 g
82	<i>Cassia tora</i> L.		
	Leaf	Chakvad / Chakarmard	10-20 g
	Seed	Chakwad	3-5 g (as powder)
83	<i>Cassia fistula</i>		
	Fruit pulp	Amaltas	10-20 g (as pulp)
	Seed	Amaltas	2-5 g (as seed)
84	<i>Cassia angustifolia</i> / <i>C. acutifolia</i>		
	Seed/leaves	Sanay / Senna	3-6 g
85	<i>Cedrus deodar</i> Roxb.		
	Seed/Wood/Oil	Devdar	5-10 g /2-4 ml
86	<i>Celosia argentea</i> L. var. <i>argentea</i>		
	Seed	Surwali / Safed murga	3-6 g
87	<i>Celastrus paniculatus</i>		
	Seed/Oil	Malkanguni	5-10 g, (as powder (seed)) 2-4 ml (as oil)
88	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban		
	Leaf/Whole Plant	Brahmi (Galpatri)	20-30 g (as vegetable)
	Extract	Brahmi (Galpatri)	1-3 g
89	<i>Centratherum anthelminticum</i>		
	Fruit/Seed	Kali-jirii / Van-jirii	3-6 g
90	<i>Chenopodium album</i> L.		
	Whole plant/leaves	Bathua	20-30 g (as leafy vegetable)
	Seed	Bathua	2-5 g
91	<i>Chlorophytum borivillianum</i> / <i>C. arundinaceum</i> / <i>C. tuberosum</i>		
		Musali	5- 10 g
92	<i>Cicca acida</i> (L.) Merrill		
	Fruit	Harfa rewadi	10-20 g
93	<i>Cicer arietinum</i> L.		
	Tender leaf	Chana / Kalachana	30-50 g (as leafy vegetable)
	Seed	Chana / Kalachana	20-30 g
94	<i>Cichorium endivia</i>		
	Seed	kasani	5-10g
95	<i>Cinnamomum tamala</i> Nees and Eberm. / <i>C. wightii</i>		

	Leaf	Tejapatra	2-3 g
96	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume (Now known as <i>Cinnamomum verum</i> J. S. Presl.)		
	Stem bark	Dalchini (Ceyloni)	1-2 g (Not recommended during pregnancy)
97	<i>Cissampelos pareria</i> L. var. <i>hirsuta</i> (Buch.-Ham. ex DC.) Forman.		
	Leaf / Plant	Padhi	10-20 g (as powder)
98	<i>Cissus quadrangularis</i> L.		
	Aerial part	Hadjod	10-20 g (as wet chutney (paste))
	Stem	Hadjod	3-6 g
99	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schard.		
	Fruit	Indarun / Indrayan	0.25-0.5 g (as powder) (Not recommended during pregnancy)
100	<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad. ex Eckl. and Zeyh. var. <i>fistulosus</i> (Stocks) Stewart		
	Fruit	Tinda	20-40 g (as vegetable)
101	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsura and Nakai		
	Fruit pulp	Tarbuj	50-100 g
	Seed	Tarbuj	3-6 g
	Seed oil	Tarbuj	1-3 ml
102	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm. and Panz.) Swingle		
	Fruit	Nimbu	3-5 ml (as juice)
103	<i>Citrus limon</i> (Linn.) Burm.f.		
	Fruit	Jameerinibu	5-10 ml (as juice)
104	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.		
	Fruit	Chakotara	5-10 ml (as juice) 30-50 g (as fruit)
105	<i>Citrus medica</i> L. var. <i>medica</i>		
	Fruit	Bijoura	5-10 ml (as juice)
106	<i>Citrus reticulata</i> Blanc.		
	Fruit	Narangi	30-50 ml (as juice)
107	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck		
	Fruit	Mousami	50-100 ml (as juice)
108	<i>Clerodendrum phlomidis</i>		
	Whole plant	Arani	10-20 g
109	<i>Clerodendrum serratum</i>		
	Whole plant	Bharangi	10-20 g
110	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt. / <i>C. indica</i>		
	Leaf	Kundru phal / Kuntru shak	5-10 g (Not recommended for children below 5 years)
	Stem	Kundru	3-6 g (as powder)
	Whole plant	Kundru	3-6 g (as powder) 5-10 ml (as juice)
	Fruit	Kundru	20-50 g (as vegetable)
111	<i>Cocos nucifera</i> L.		
	Endosperm	Nariyal	10-20 g
	Water	Nariyal jala	100-200 ml
	Flower	Nariyal	5-10 g
112	<i>Cocculus hirsutus</i> (L.) Theob.		

	Leaf	Jalajamani	10-20 g
113	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.		
	Seed	Gargri	10-20 g
114	<i>Coffea arabica</i>		
	Seed/Dry/Green	Coffea	3-5 g (Not recommended for children below 5 years)
115	<i>Coleus forskohlii</i> / <i>C.aromaticus</i>	Pathachoor, Parn-yavani	5-10 g (Not recommended for children below 5 years)
116	<i>Colocasia antiquorum</i> Schott. (Now known as <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott.)		
	Rhizome	Arui	20-30 g (as vegetable) (Not recommended for children below 16 years)
117	<i>Commelina bengalensis</i> L.		
	Whole plant	Kausar	3-6 g
118	<i>Commiphora wightii</i>		
	Oleoresin	Guggal	2-4 g (Not recommended for children below 5 years)
119	<i>Commiphora myrrha</i>		
	Oleoresin	Hirabol	2-4 g (Not recommended for children below 5 years)
120	<i>Convolvulus pluricaulis</i>		
	Whole plant	Shankh-pushpi	10-20 g
121	<i>Corchorus acutangulus</i> Lam. (Now known as <i>Corchorus aestuans</i> L.)		
	Aerial part	Chench	10-20 ml
122	<i>Corchorus capsularis</i> L.		
	Aerial part	Narcha	10-20 ml (as juice)
123	<i>Corchorus olitorius</i> L.		
	Aerial part	Palva Saag	10-20 ml (as juice)
124	<i>Cordia dichotoma</i> Forst. f.(<i>Cordia wallichii</i> G.Don)		
	Fruit	Lisora	10-20 g
125	<i>Cordia rosthii</i> Roem. and Schult. (Now known as <i>Cordia gharaf</i> (Forssk.) Ehrenb and Asch.		
	Fruit	Chhota Lisora	10-20 g
126	<i>Coriandrum sativum</i> L.		
	Fruit	Dhaniya	1-3 g (as powder)
	Aerial part	Dhaniya	10-20 ml (as juice)
127	<i>Costus speciosus</i>	Kemuk	2-4 g (as powder) (Not recommended for children below 5 years)
128	<i>Crataeva nurvala</i>		
	Fruit/Bark/leaf	Varana	10-20 g
129	<i>Crocus sativus</i> L.		
	Style and Stigma	Kumkum (Kesar)	25-50 mg (Not recommended for children below 16 years)

130	<i>Cucumis melo</i> L.		
	Fruit	Kharbooja	50-100 g
	Seed	Kharbooja	1-3 g (as powder)
131	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>momordica</i> Duthie and Fuller		
	Fruit	Phoot	40-50 g (as vegetable)
132	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>utilissimus</i> (Roxb.)Duthie and Fuller		
	Seed	Kakri	3-6 g
	Fruit	Kakri	50-100 g (as vegetable)
133	<i>Cucumis sativus</i> L.		
	Seed	Khira	3-6 g (as powder)
	Fruit	Khira	50-100 g (as vegetable)
134	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. ex Lam.		
	Seed	Kashiphal	5-10 g
	Fruit	Kashiphal	50-100 g (as vegetable)
135	<i>Cucurbita pepo</i> L.		
	Fruit	Safed Kaddu / safed petha	50-100 g (as vegetable)
	Seed	Safed petha	5-10 g (as powder)
136	<i>Cuminum cyminum</i> L.		
	Fruit	Jeera	1-3 g (as powder)
137	<i>Curculigo orchioides</i> Gaertn.		
	Tuber	Kalimushli	3-5 g
138	<i>Curcuma amada</i> Roxb.		
	Rhizome	Amahaldi	5-10 g (as fresh) 2-4 g (as powder)
139	<i>Curcuma angustifolia</i>		
	Root	Tavkshir	2-5 g
140	<i>Curcuma longa</i> L.		
	Rhizome	Haldi	2-5 g (as powder)
	Fresh Rhizome	Haldi	5-10 ml (as juice)
141	<i>Curcuma zedoaria</i> Roxb. (Now known as <i>Curcuma aromatica</i> Salisb.)		
	Rhizome	Kachur	2-5 g (as powder)
142	<i>Cyamopsis tetragonoloba</i>		
	Pod/Seed/Gum	Guar, Guar gum	20-30 g (as powder: pod/seed) 5-10 g (as powder: gum)
143	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf		
	Whole plant	Harichaya	1-3 g
144	<i>Cymbopogon coloratus</i> Stapf		
	Aerial part	Manjan pullu	1-3g
145	<i>Cymbopogon jwarankusa</i> (Jones) Schult.		
	Root	Lamajjaka	1-3 g
146	<i>Cymbopogon martini</i> (Roxb.)Wats.		
	Whole plant	Rosha ghas	1-3 g
147	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.		
	Leaf	Duba	3-5 g
148	<i>Cyperus rotundus</i> L.		
	Rhizome	Nagarmotha	2-5 g
149	<i>Daucus carota</i> L.		
	Tuberous root	Gajar	50-100 g (as vegetable)

			50-100 ml (as juice)
	Seed	Gajar	1-2 g (as powder) (Not recommended during pregnancy)
150	<i>Desmodium gangeticum / D. latifolium</i>		
	Whole plant	Sarvan	5-10 g
151	<i>Dillenia indica</i> L.		
	Fleshy fresh sepals (Fruit)	Chalta	40-50 g (as vegetable)
152	<i>Dioscorea alata</i> L. / <i>D. deltoidea</i>		
	Tuber/Corm	Kathalu	10-20 g
153	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.		
	Tuber	Genthi / Taradi	20-30 g (as vegetable) 5-10 g (as powder)
	Extract	Genthi / Taradi	1-2 g (as extract)
154	<i>Dioscorea esculenta</i> (Lour.) Burkill		
	Tuber	Suthani	5-10 g
155	<i>Dioscorea pentaphylla</i> L.		
	Tuber	Kantalu	5-10 g
156	<i>Diplezia maxima</i>		
	Tender shoots	Lungru	30-50 g
157	<i>Diospyros peregrina</i> Gurke (Now known as <i>Diospyros malabarica</i> (Desr.) Kostel)		
	Ripe fruit	Gab	50-100 g
	Unripe fruit	Gab	4-8 g (as powder)
158	<i>Dolichos biflorus</i> L. (Now known as <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.)		
	Seed	Kulathi	30-50 g
159	<i>Dolichos lablab</i> L. (Now known as <i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet)		
	Seed	Sem	20-40 g (as seed)
	Tender Pod	Sem	30-40 g (as vegetable)
160	<i>Echinochloa frumentacea</i> Link		
	Fruit	Sanwa	50-100 g
161	<i>Eclipta prostata</i> L.		
	Whole plant	Bhangra	3-6 g (as powder)
162	<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton		
	Seed	Choti elaichi	250-500 mg (as powder)
163	<i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn. ssp. <i>coracana</i>		
	Caryopsis	Madua	20-50 g
164	<i>Emblica officinalis</i> Gaertn. (Now known as <i>Phyllanthus emblica</i> L.)		
	Fruit	Anwala / Amla	20-30 g (as fresh fruit) 3-6 g (as powder) 5-10 ml (as juice)
	Extract		2-4 g (as extract)
165	<i>Embelia ribes</i> Burm. f.		
	Fruit	Bhabhiranga	1-2 g (Not recommended for females planning to conceive)
166	<i>Encostemma littorale</i> Blume		
		Mamejwa	2-3 g
167	<i>Ephedra gerardiana</i> Wall.		
	Leaves/Whole plant	Somlata	2-5g
168	<i>Euphorbia nerifolia/ E. pilosa</i>		

	Stem (tender) after boiling / Leaf	Thuhar	10-20 g (as stem) 3-5 g (as leaf) (Not recommended for children below 5 years)
169	<i>Euryale ferox</i> Salisb.		
	Seed	Makhana	20-30 g (as seed) 3-5 g (as powder)
170	<i>Evolvulus alsinoides</i>		
	Plant	Vishnukranta	10-20 g
171	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench.		
	Seed	Kottu	50-100 g
172	<i>Ferula asafoetida</i> L.		
	Oleo-gum resin	Hing	125 mg, Max (as powder)
173	<i>Ficus benghalensis</i> L.		
	Fruit / Shoots	Baragad	40-50 g (as fruit)/ 5-10 g (as shoots)
174	<i>Ficus carica</i> L. / <i>F. palmata</i> / <i>F. lacor</i>		
	Fruit / Leaf	Anjeer	20-30 g
175	<i>Ficus glomerata</i> Roxb. (Now known as <i>Ficus racemosa</i> L.)		
	Fruit / Leaf	Gular	20-30 g (as vegetable)
176	<i>Ficus hispida</i> L.f.		
	Fruit	Kathgulara (Kakodumba)	10-20 g
	Tender leaf	Kathgulara	20-40 ml (as juice)
177	<i>Ficus religiosa</i> L.		
	Fruit	Pipal	5-10 g
	Tender Leaf	Pipal	5-10 g
178	<i>Flacourtia jangomas</i> (Lour.)Raeusch syn. <i>F. cataphracta</i> Roxb. ex Willd.		
	Fruit	Paniyala	10-20 g
179	<i>Flacourtia ramontchi</i> L'Herit (Now known as <i>Flacourtia indica</i> (Burm.f.) Merr.)		
	Fruit	Katai / Kanghu	5-10 g
180	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.		
	Fruit	Sounf	5-10 g (as powder)
181	<i>Fumaria vaillantii</i> (Lois.) Hook. f. and Thoms. var. <i>indica</i> Haussk. (Now known as <i>Fumaria indica</i> (Haussk.) Pugsley)		
	Leaves	Pittapapda	5-10 g
182	<i>Garcinia indica</i> (Thour.) Choisy / <i>G. cambogia</i>		
	Mature fruit / Butter/ Oil	Kokam	10-20 ml (as juice) 5-10 g (as powder)
183	<i>Garcinia pedunculata</i> Roxb. ex Buch.-Ham.		
	Fruit rind	Amalbeda	5-10 ml/g (as juice/Powder)
184	<i>Gardenia turgida</i> Roxb. (Now known as <i>Ceriscoides turgida</i> (Roxb.) Tirveng.)		
	Gum	Kharahar	1-3 g (as powder)
185	<i>Gisekia pharnaceoides</i> L.		
	Leaf	Baluka Saga	5-10 g
186	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		
	Seed	Soyabean	20-40 g
187	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.		
	Root and Stolon	Mulethi	5-10 g (as powder)

188	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.		
	Fruit	Gamhari	20-30 g
189	<i>Gmelina asiatica</i> L.		
	Fruit	Badhara	20-30 g
190	<i>Gossypium herbaceum</i>		
	Seed/Root	Kapas	10-20g
191	<i>Grewia hirsuta</i> Vahl		
	Root	Gulsakari	5-10 g
192	<i>Grewia populifolia</i> Vahl (Now known as <i>Grewia tenax</i> (Forssk.) Fiori)		
	Stem bark / Fruit	Gangeran	5-10 g (as powder)
193	<i>Grewia tiliaefolia</i> Vahl / <i>G.sclerophylla</i>		
	Fruit	Dhamin	20-30 g
194	<i>Gymnema sylvestre</i>		
	Plant	Gudmar	5-10 g
	Extract	Gudmar	1-2 g
195	<i>Gynandropsis gynandra</i> (L.) Briq. (Now known as <i>Cleome gynandra</i> L.)		
	Seed	Hurhur	1-3 g (as powder)
	Whole plant	Hurhur	10-20 ml (as juice)
196	<i>Habenaria intermedia</i>		
	Root tuber, Rhizome	Ridhi	3-5 g
197	<i>Hedychium spicatum</i> Ham ex Smith		
	Rhizome	Kapur-Kachari	3-5 g
198	<i>Hemidesmus indicus</i>		
	Root / Stem	Anantmula	3-6 g
199	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.		
	Flower	Gudahal	1-3 g (as powder) (Not recommended during pregnancy)
200	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.		
	Leaf	Patawa	5-10 g (as powder)
	Seed	Patawa	1-3 g (as powder)
	Ripe calyx	Patawa	5-10 g (as powder)
201	<i>Hippophae rhamnoides</i> L. / <i>H. salicifolia</i>		
	Fruit / Leaf	Amlavetasa	10-20 g
	Extract	Amalvets	1-3 g
202	<i>Hordeum vulgare</i> L.		
	Fruit	Jaou	100-200 g (as powder)
	Whole plant	Jaou	10-20 g
203	<i>Hygrophila spinosa</i>		Makhana / Tal makhana 20-30 g
204	<i>Hypericum perforatum</i>		
	Leaf	Basant	3-6 g
	Plant extract	Basant	1-1.5 g (as extract)
205	<i>Illicium verum</i> Hook. f.		
	Fruit	Badiyan Khatai	250 - 500 mg As powder -
206	<i>Inula racemosa</i> . Hook		
	Root	Pushkar mool	3- 6 g (as powder)

207	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.		
	Leaf	Kalamisaag	20-30 g
208	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.		
	Tuber	Shakarkand	20-30 g
209	<i>Ipomoea digitata</i> auct. non L. (Now known as <i>Ipomoea mauritiana</i> Jacq.)		
	Root/Tuber	Bilaikand	3-6 g
210	<i>Juglans regia</i> Linn.		
	Fruit/Leaf/Bark	Akhrot	10-20 g
211	<i>Juniperus communis</i>		
	Flower/Leaf	Hauber	5-10 g
212	<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser. (Now known as <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.)		
	Fresh fruit	Alabu	100 -150 g (as vegetable)
	Seed	Alabu	1-3 g (as powder)
213	<i>Lagerstroemia indica</i>		
	Leaf	Jarul	6 - 12 g (as powder)
	Fruit extarct	Frash	1-2 g (as extract)
214	<i>Lagerstroemia parviflora</i>		
	Leaf	Sidh	6-12 g (as powder)
	Fruit extract	Sidh	1-2 g (as extract)
215	<i>Lens culinaris</i> Medik.		
	Seed	Masura	20-40 g (as seed)
216	<i>Lepidium sativum</i> L.		
	Seed	Chansur	3-6 g (as powder) (Not recommended during pregnancy)
	Aerial part	Chansur	50-100 g (as vegetable)
217	<i>Leptadenia reticulata</i> (Retz.)W. and A.		
	Leaf	Dodisaka	20-30 g (as vegetable)
218	<i>Leucas cephalotus</i> (Koenig ex Roth) Spreng.		
	Leaf	Guma	20-30 g
219	<i>Limonia acidissima</i> L.		
	Fruit	Kaith	20- 40 g (as fruit)
220	<i>Linum usitatissimum</i> L.		
	Seed	Atasi	10-20 g
	Seed Oil	Atasi	10-20 ml
221	<i>Litchi chinensis</i> Sonner		
	Fruit	Litchi	50-100 g
222	<i>Luffa acutangula</i> (L.)Roxb.		
	Whole plant	Torai	5 -10 g (as powder)
	Fruit	Torai	30-50 g (as vegetable)
	Seed	Torai	1-3 g (as powder)
223	<i>Luffa cylindrica</i> (L.)M. Roem.		
	Fruit	Nenua	20-40 g (as vegetable)
	Seed	Nenua	1-3 g (as powder)
224	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. (Now known as <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten.)		
	Fruit	Tamatar	20-40 g (as vegetable)
225	<i>Madhuca indica</i> Gmel.(Now known as <i>Madhuca longifolia</i> (Koen.) Macbride var. <i>latifolia</i>)		
	Flower	Mahua	10-15 g (as flower)

	Fruit	Mahua	10-15 g
	Seed oil	Koyna ka tel	2-5 ml
226	<i>Madhuca longifolia</i> (Koenig) Macbride var. <i>longifolia</i>		
	Flower/Fruit	Jal mahua	10-15 g
227	<i>Malva sylvestris</i> L.		
	Fruit	Gulkhair	5-7 g (as powder)
	Leaf	Gulkhair	3-6 g (as powder)
228	<i>Mangifera indica</i> L.		
	Ripe fruit	Aam	50-150 g
	Unripe fruit pulp	Aam	10-30 g
	Seed Kernel	Aam Beej / Majja	1-2 g (as powder)
	Leaf	Aam	3-5 g
	Extract	<i>Amara (ghan)</i>	0.5-1 g
229	<i>Maranta arundinacea</i> L.		
	Rhizome	Ararota	10-30 g (as powder)
230	<i>Marsilea minuta</i> L.		
	Leaf	Chowpatia	20-30 g (as vegetable) 2-4 g (as powder)
	Extract	Chowpatia	1-2 g (as extract)
231	<i>Mentha spicata</i> L. <i>Mentha arvensis</i> L. / <i>M. aquatica</i> Linn.		
	Aerial part	Pudina	5-10 g
232	<i>Mentha piperata</i> L./ <i>Mentha species</i>		Peppermint/Sat pudina
233	<i>Mesua ferrea</i> Linn.		
	Stemen/Flower	Nagkesar	2-5 g
234	<i>Microstylis musifera</i> Ridley		
	Tuber	Jivaka	5-10 g
235	<i>Microstylis wallichii</i> Lindl. (Now known as <i>Malaxis acuminata</i> D. Don)		
	Tuber	Rishabhka	5-10 g
236	<i>Mimosa pudica</i>		
	Whole plant/Seed	Lajwanti	3-6 g
237	<i>Mimusops elengi</i> L.		
	Pericarp	Maulsiri	20-40 g
	Flower	Maulsiri	5-10 g
	Stem bark	Maulsiri	3-5 g
238	<i>Mimusops hexandra</i> Roxb. (Now known as <i>Manilkara hexandra</i> (Roxb.) Dub.)		
	Pericarp	Khirni	20-40 g
239	<i>Momordica charantia</i> L.		
	Fresh fruit / Seed	Karela	30-50 g (as vegetable) 3-5 g (as seed) (Not recommended for females planning to conceive) (Not recommended for children below 5 years)
240	<i>Momordica dioica</i> Roxb. ex Willd.		
	Root	Khekhassa	3-6 g (as powder)
	Fruit	Khekhassa	30-50 g
241	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm.f.) Presl.		

	Rhizome	Indivara	3-6 g
242	<i>Moringa oleifera</i> Lam. / <i>M. concanensis</i> Nimmo		
	Leaf	Sahijan / Muringya / Lal sehanjan	10-20 g (as vegetable or paste)
	Seed	Sahijan / Muringya	2-6 g (as vegetable)
	Pod	Sahijan / Muringya	40-80 g
	Flower	Sahijan / Muringya	10-20 g
	Stem bark	Sahijan / Muringya	10-20 g 2-5 g (as powder)
243	<i>Morus alba</i> L. / <i>M. Indica</i> / <i>M. nigra</i>		
	Fruit / Leaves / Bark / Flower	Shahtoot	20-30 g (as fruit) 3-5 g (as leaf)
244	<i>Moschella esculenta</i> / <i>M. elata</i>		
	Plant	Guchhi	10-30 g
245	<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.		
	Root	Kawach	10-20 g
	Pod	Kawach	20-30 g (as vegetable)
	Seed	Kawach	5-10 g
246	<i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng. / <i>M. exotica</i> Linn (kamini)		
	Leaf / Fruit	Kadhipatta	5-10 g
247	<i>Musa paradisiaca</i> L.		
	Flower	Kela	20-30 g
	Fresh shoot	Kela	20-50 g 10-20 ml (as juice)
	Ripe Fruit	Kela	100-200 g
	Unripe Fruit	Kela	50-100 g
248	<i>Myrica esculenta</i> Buch. Ham. / <i>M. nagi</i> Hook		
	Fruit	Kaiphal	5-10 g
	Stem bark	Kaiphal	2-3 g
249	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.		
	Seed	Jaiphala	0.25- 1.0 g (Caution: excessive use may cause giddiness)
	Aril	Javitri	0.25 -1 g (as powder)
250	<i>Myristica malabarica</i> Lam.		
	Seed	Jangali Jayaphala	0.5 -2 g
	Aril	Jangali javitri	0.25 -1 g
251	<i>Nardostachys jatamansi</i>		Jatamansi 2-5 g
252	<i>Nasturtium officinale</i> / <i>N. aquaticum</i>		Water-cress 20-40 g
253	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.		
	Flower	Kamal	3-6 g (as powder)
	Rhizome	Bhen	30-50 g
	Stalk	Murar	30-50 g (as powder)
	Seed	Kamalgatta	3-6 g (as powder)
254	<i>Nymphaea alba</i> Linn/ <i>N. rubra</i> / <i>N. stellate</i>		

	Rhizome/ Seed/ Flower	Kamlini	10-20 g 3-6 g (as flower)
255	<i>Nigella sativa</i> L.		
	Seed	Kalaunji	5-10 g (Not recommended during pregnancy)
256	<i>Nyctanthes arbortristis</i> L.		
	Flower	Harshringara	1-2 g
	Leaf	Harshringara	1-3 g
257	<i>Nymphaea rubra</i> Roxb. ex Salisb		
	Flower	Lal Kumud	3-6 g (as powder)
258	<i>Nymphaea stellata</i> Willd.		
	Flower	Neelofer	3-6 g (as powder)
259	<i>Ocimum basilicum</i> L.		
	Leaf	(Bhavari Tulsi) Niajboo	3-6 ml (as juice) 1-3 g (as powder)
	Seed	Tulasi (Jangali)	125-250 mg
260	<i>Ocimum gratissimum</i> L.		
	Leaf	Ram Tulasi (Mumbai)	2-4 g (as powder)
261	<i>Ocimum sanctum</i> L. (Now known as <i>Ocimum tenuiflorum</i> L.)		
	Leaf	Tulasi	2-5 g
	Seed	Tulasi	1-2 g
262	<i>Olea europaea</i>		
	Seed/Oil	Jaitun/Tail	10-20 g/ml
263	<i>Onosma bracteatum</i>		
	Whole plant/Leaf	Gaujvan	5-10 g
264	<i>Onosma hispidum</i>		
	Root	Ratanjol	3-5 g
265	<i>Operculina turpethum</i>		
	Root/seed	Nishoth	3-5 g (Not recommended for children below 5 years)
266	<i>Opuntia vulgaris</i> / <i>O. dillenii</i>		
	Fruits	Nagphani	10-20 g
267	<i>Orchis latifolia</i> L. (Now known as <i>Dactylorhiza hatergeria</i> (D. Don) Soo)		
	Tuber	Salampanja	5-10 g (as powder)
268	<i>Origanum majorana</i> L.		
	Leaf	Marubaka	5-10 drops (as juice)
269	<i>Oroxylum indicum</i>		
	Bark/Seed	Shyonok	5-10 g
270	<i>Oryza sativa</i> L.		
	Seed	Chawal - shali	100-200 g (as powder)
271	<i>Oxalis corniculata</i> L.		
	Leaf	Tinpatia	5-10 ml (as juice)
272	<i>Pandanus odoratissimus</i> L.f.		
	Oil / Flower	Kewada	2-5 drops / 2-5 g
273	<i>Panicum miliaceum</i> L.		

	Seed	Cheen	50-100 g
274	<i>Papaver somniferum</i> L.		
	Seed	Postadana	2-5 g (as powder)
275	<i>Parmelia perlata</i>		
	Whole plant	Chharila	3-5 g
276	<i>Paspalum scrobiculatum</i> L.		
	Seed/Caryopsis	Kodo	50-100 g
277	<i>Paspalum scrobiculatum</i>		
	Fruit/Seed	Kodon	30-500 g
278	<i>Pedaliium murex</i>	Bada gokharu	5-10 g
279	<i>Pennisetum typhoideum</i> L. C. Rich. (Now known as <i>Pennisetum americanum</i> (L.) K. Schum.)		
	Seed	Bajra	20-40 g
280	<i>Peucedanum graveolens</i> (L.) Benth. and Hook.f		
	Seed	Shepu	1-3 g
281	<i>Phaseolus aconitifolius</i> Jacq. (Now known as <i>Vigna aconitifolia</i> (Jacq.) Marechal)		
	Seed	Moth	20-50 g
282	<i>Phaseolus aureus</i> Roxb. (Now known as <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek var. <i>radiata</i>)		
	Seed	Jangali moong	20-50 g
283	<i>Phaseolus lunatus</i> L.		
	Pod	Sem	25-50 g (as pulse)
284	<i>Phaseolus mungo</i> L. (Now known as <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper)		
	Seed	Urad	- 20-50 g (as pulse)
285	<i>Phaseolus radiatus</i> L. / <i>P. trilobus</i> sensu		
	Seed	Moong	50-100 g (as pulse)
286	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.		
	Pod	Lobia	10-20 g (as pulse)
287	<i>Phoenix dactilifera</i> L.		
	Fruit	Chuhara / Khajur	20-50 g
288	<i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb. / <i>P. acaulis</i>		
	Fruit	Khajoor	20-50 g
	Nira (Sap)	Khajoor	30-50 ml (as fresh juice)
289	<i>Phyllanthus amarus</i> / <i>P. urinaria</i>		
	Plant	Tamlaki	5-10 g (as plant)
	Extract	Tamlaki	1-2 g (as extract)
290	<i>Physalis alkekengi</i> L.		
	Fruit	Kaknaj	5-10 g
291	<i>Physalis minima</i> L.		
	Fruit	Papoto	10-20 g
292	<i>Physalis peruviana</i> L.		
	Fruit	Rasbhari	10-20 g
293	<i>Pimpinella anisum</i> L.		
	Fruit	Anisoon	1-3 g
294	<i>Pinus excelsa</i>		
	Fruit /Oil	Kail	5-10 g/1-2 ml (Not recommended for children below 5 years)

295	<i>Pinus gerardiana</i> Wall.		
	Endosperm	Chilgoja	5-10 g
296	<i>Pinus roxburghii</i>		
	Fruit /Oil	Chiia	5-10 g / 1-2 ml (Not recommended for children below 5 years)
297	<i>Piper betle</i> L.		
	Leaf	Pana	2-5 g (Not recommended below the age of 5 years)
298	<i>Piper chaba</i> Hunter (non Blume) (Now known as <i>Piper retrofractum</i> Vahl)		
	Leaf	Chabh	1-3 g (as powder)
299	<i>Piper cubeba</i> L.f.		
	Fruit	Kabab chini	1-3 g (as powder)
300	<i>Piper longum</i> L.		
	Fruit	Pipar	0.5-2 g (as powder) (Not recommended for prolonged use)
301	<i>Piper nigrum</i> L.		
	Fruit	Kali Maricha	0.5-2 g
302	<i>Pistacia integerrima</i> Stewart (Now known as <i>Pistacia chinensis</i> Bunge ssp. <i>Integerrima</i> (Stewart) Rech.f.		
	Gall	Kakadasingi	1-2 g
303	<i>Pistacia vera</i> L.		
	Seed	Pista	5-10 g
304	<i>Pisum sativum</i> L.		
	Seed	Matar	50-150 g (as vegetable)
305	<i>Plantago ovata</i> Forssk.		
	Seed / Husk	Isabgol	5-10 g (as vegetable)
306	<i>Polygonatum cirrhifolium</i> (Wall.) Royle		
	Rhizome	Meda	5-10 g
307	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.		
	Rhizome	Mahameda	5-10 g
308	<i>Portulaca oleracea</i> L.		
	Aerial part	Kulpha - sag	20-30 g (as vegetable)
309	<i>Portulaca quadrifida</i> L.		
	Aerial part	Nonia - sag	20-30 g
310	<i>Premna integrifolia</i> / <i>P. latifolia</i>		
	Whole plant / Bark	Agnimanth	5-10g
311	<i>Prunus amygdalus</i> Baill. var. <i>dulchin</i>		
	Kernel	Badama	10-20 g
	Seed oil	Badama ka tel	3-5 ml
312	<i>Prunus armeniaca</i> L.		
	Pericarp	Khumani	10-20 g
	Kernel	Khumani	3-5 g
	Seed oil	Khumani	3-5 ml
313	<i>Prunus cerasoides</i>		
	Wood/Flower	Padamkasht / Pajja	5-10 g
314	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.		
	Pericarp	Adu	10-20 g

315	<i>Psidium guajava</i> L.		
	Fruit	Amruda	20-50 g (as fresh fruit)
	Leaf	Amruda	3-5 g
316	<i>Pterocarpus marsupium</i>		
	Ht. Wood	Vijaysar	5-10 g
317	<i>Pterocarpus santalinus</i>		
	Ht Wood	Lal chandan	5-10 g
318	<i>Pueraria tuberosa</i> (Roxb. ex Willd.) DC.		
	Tuber	Patal Kohda	10-20 g
319	<i>Punica granatum</i> L.		
	Seed	Anar	20-50 g (as seed)
	Fruit rind	Anar	5-10 g (as fruit rind)
320	<i>Putranjiva roxburghii</i>		
	Fruit	Jiya-pota	3-6 g (Not recommended for children below 5 years)
321	<i>Pyrus communis</i> L.		
	Fruit	Nashpaati	50-100 g
322	<i>Pyrus malus</i> L. (Now known as <i>Malus pumila</i> Mill.)		
	Fruit	Seb	100-200 g 20-40 ml (as juice)
323	<i>Raphanus sativus</i> L.		
	Root	Muli	20-50 g
	Leaf	Muli	20-50 g
	Seed	Muli	125-250 mg
324	<i>Reinwardtia indica</i>		
	Whole plant/leaf/ extract	Basanti	5-10 g (as powder) 0.5-1 g (as extract)
325	<i>Rhododendron arboreum</i> Sm. / <i>R. companulatum</i> / <i>R. lepidotum</i> Wall		
	Flower	Buransa	20-30 g (as flower)
	Extract	Buransa	2-3 g (as extract)
326	<i>Rheum emodi</i> Wall. ex Meissn. / <i>R. officinale</i>		
	Leaf	Revand chini	0.5-1 g
327	<i>Rhus parviflora</i> Roxb. ex DC.		
	Fruit	Samakdana	30-75 g
328	<i>Ricinus communis</i>		
	Seed/Root/Leaf	Erand	5-10 g (Not recommended for children below 5 years)
329	<i>Rosa alba</i> L.		
	Flower	Safed gulab	10-20 g
330	<i>Rosa centifolia</i> L.		
	Flower	Gulab	10-20 g (as flower)
	Oil	Gulab	2-5 drop (as oil)
331	<i>Rosa damascena</i> Mill.		
	Flower/oil	Gulab Fasali	10-20 g / 2-5 drops
332	<i>Roscoea procera</i> Wall.		
	Root tuber	Kandamula	5-10 g (as powder)
333	<i>Rubia cordifolia</i>		

	Root/Stem	Manjeeth	3-6 g
334	<i>Rumex vesicarius</i> L.		
	Leaf	Ambat chukka	10-20 g
335	<i>Rumex nepalensis</i> / <i>R.maritimus</i> / <i>R.acetosella</i>	Shak/Fafru	20-40 g (Not recommended for children below 5 years)
336	<i>Saccharum officinarum</i> L.		
	Stem / Juice /Root / Decoction	Ganna	100-200 ml (as juice) (Not recommended for diabetics)
	Sugar	Chini / Shakkar	50-100 g (Not recommended for diabetics)
	Jaggery	Gud	50-100 g (Not recommended for diabetics)
337	<i>Salacia chinensis</i> L. / <i>Salacia oblonga</i> Wall. ex Wight and Arn / <i>Salacia reticulata</i> Wight / <i>S. roxburghii</i> / <i>S. macrosperma</i>		
	Root	Saptrangi	5-10 g
	Stem extract	Saptrangi	0.5-1 g
338	<i>Salvadora persica</i> / <i>S. oleoides</i>		
	Fruit/Leaf	Peelu / Bada pelu	5-10 g
339	<i>Santalum album</i> L.		
	Oil	Chandan ka tel	3-5 drops (as oil)
	Hard wood		1-2 g (as hard wood)
340	<i>Saraca asoca</i>		
	Bark/Leaf	Ashok	5-10 g (Not recommended for children below 5 years)
341	<i>Saussurea lappa</i>		
	Root/Rhizome	Kuth	3-5 g (Not recommended for children below 5 years)
342	<i>Scindapsus officinalis</i>		
	Stem	Gaj pippali	3-5 g
343	<i>Scirpus kysoor</i> Roxb. (Now known as <i>Scirpus grossus</i> (L.f.) Palla)		
	Rhizome	Kasheru	20-50 g (as vegetable)
344	<i>Selinum tenuifolium</i> / <i>S.vaginatatum</i>		
	Rhizome /Root	Bhootkesi	3-5 g
345	<i>Sesamum indicum</i> L. (Now known as <i>Sesamum orientale</i> L.)		
	Seed	Tila	10-20 g
	Oil	Tila	5-10 ml
346	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Poir.		
	Flower	Agathi	10-20 g (as vegetable)
	Leaf	Agathi	10-20 g
347	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.		
	Seed	Kangu	10-50 g
348	<i>Sida cordifolia</i> L. / <i>S. rhombifolis</i> Linn/ <i>S. acuta</i>		
	Whole plant / Extract	Bariyara	10-30 g
	Seed	Bariyara	3-5 g
349	<i>Solanum indicum</i> / <i>S.surattense</i> / <i>S.torvum</i>		

	Whole plant	Kantkari	5-10 g
	Fruit extract	Kateli	1-2 g (as extract)
350	<i>Solanum melongena</i> L.		
	Fruit	Baigan	50-100 g
351	<i>Solanum nigrum</i> L.		
	Leaf / Plant	Choti Makoy	30-60 g
352	<i>Sorghum vulgare</i> Pers.		
	Seed	Jwara	50-100 g
353	<i>Sphaeranthus indicus</i>		
	Flower	Gorakmundi	5-10 g
354	<i>Spinacia oleracea</i> L.		
	Leaf	Palak	50-100 g
355	<i>Spondias mangifera</i> Willd. (Now known as <i>Spondias pinnata</i> (L.f.) Kurz.)		
	Fruit / Leaf	Ambada	20-50 g 1-3 g (as powder)
356	<i>Strychnos potatorum</i> L.		
	Seed	Nirmali	5-10 g (as powder)
357	<i>Swertia chirayita</i> / <i>S.ciliata</i> / <i>S.angustifolia</i>		
	Whole plant	Chiraita	3-5 g (as whole plant)
	Extract	Chiraita	0.5-1 g (as extract)
358	<i>Symplocos racemosa</i>		
	Bark/Leaf	Lodhar	3-5 g
359	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. and L.Perry		
	Flower bud	Laung	0.5-1 g
360	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels		
	Pericarp and mesocarp	Jamun	10-50 g
	Seed	Jamun	5-10 g
361	<i>Tacca aspera</i> Roxb.		
	Tuber	Bhevara ke kand	20-50 g
362	<i>Tamarindus indica</i> L.		
	Fruit pulp	Imali	5-10 g (Not recommended during skin ailments)
	Seed	Imali	5-10 g
363	<i>Tephrosia purpurea</i>		
	Whole plant	Sarponkha	5-10 g
364	<i>Teramnus labialis</i> (L.f.) Spreng.		
	Whole plant	Mashaparni	20-50 g
365	<i>Terminalia arjuna</i>		
	Bark/Leaf/Fruit	Arjun	5-10 g
	Extract	Arjun	0.5 -1 g (as extract)
366	<i>Terminalia belerica</i> (Gaertn.) Roxb.		
	Fruit pericarp	Bahera	3-5 g (as fruit pericarp)
	Extract	Bahera	0.5-1 g (as extract)
367	<i>Terminalia catappa</i> L.		
	Kernel	Desi badama	10-20 g
368	<i>Terminalia chebula</i> Retz.		
	Fruit pericarp	Harad	3-5 g (as powder)

	Extract	Harar	0.5-1 g (as extract)
369	<i>Terminalia tomentosa</i>		
	Stem/Bark/Leaf	Jarandrum / Asan	5-10 g
370	<i>Thymus serpyllum</i> auct. non L. (Now known as <i>Thymus linearis</i> Benth.)		
	Leaf	Ban ajwain	1-3 g (as powder)
371	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague		
	Seed	Ajwain	1-3 g (as powder)
	Leaf	Ajwain	10-20 g
372	<i>Trapa bispinosa</i> Roxb. (Now known as <i>Trapa natans</i> L. var. <i>bispinosa</i> (Roxb.) Makino)		
	Endosperm / Fruit	Singhada	30-60 g
373	<i>Trianthema portulacastrum</i> L.		
	Whole plant	Swet punarnava	10-20 g
374	<i>Tribulus terrestris</i>		
	Fruit/Whole plant	Gokhru	5-10 g
375	<i>Tricholepis glaberrima</i>		
	Plant	Brahm dandi	3-6 g
376	<i>Trichosanthes anguina</i> L.		
	Fruit	Chichinda	30-60 g
377	<i>Trichosanthes dioica</i> Roxb.		
	Fruit/ Leaf	Parawal	30-60 g
378	<i>Trigonella foenum-graceum</i> L.		
	Seed	Methi	5-10 g
	Leaf	Methi	50-100 g
379	<i>Triticum aestivum</i> L.		
	Seed	Gehun	50-100 g
	Tender shoot/spout	Ankurita Gehu	10-50 g
380	<i>Typhonium trilobatum</i> (L.) Schott.		
	Tuber	Konchu	20-50 g
381	<i>Tinospora cardifolia</i> Miers. (<i>menispermaceae</i>) Syn. <i>T. glabra</i> (n. Burm)		
	Roots/stem		5-10 g (as powder) 10-20 ml (as decoction) 400 mg, Max (as sattva)
	Extract		1-2 g
382	<i>Urtica parviflora</i> / <i>U. dioica</i>		
	Tender Leaf	Bicchubuti	10-20 g
383	<i>Uraria picta</i>		
	Whole plant	Pithvin	5-10 g
384	<i>Valeriana jatamansi</i> Jones / <i>V. wallichii</i>		
	Rhizome	Tagar	1-3 g (as powder)
385	<i>Vetiveria zizanioides</i>		
	Whole plant	Khas	10-20 g
386	<i>Vigna trilobata</i> (L.) Verdc.		
	Whole plant	Mugvan	20-50 g
387	<i>Viola odorata</i> / <i>V. pilosa</i> / <i>V. sylvestris</i>		
	Whole plant/Flower	Vanksha	3-5 g (Not recommended for children below 5 years)

388	<i>Vitex agnus-castus</i> Linn.		
	Seed / Leaf	Renuka beej / Sage	3-6 g (Not recommended for children below 5 years)
389	<i>Vitex negundo</i> / <i>V. trifolia</i>		
	Fruit/Seed/Leaves	Nirgundi	3-5 g
390	<i>Vitis vinifera</i> L.		
	Fruit	Munakka	10-30 g
	Seed / Fruit skin	Munakka	1-3 g
391	<i>Wedelia calendulacea</i> (L.) Less. (Now known as <i>Wedelia chinensis</i> (Osbeck) Mer.)		
	Leaf	Pila bhagra	5-10 g (as powder)
392	<i>Withania coagulans</i> (Stocks) Dunal		
	Fruit	Paneer Doda	5-10 g
393	<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal.		
	Root	Asgandh	3-6 g (as powder)
	Extract	Asgandh	0.5-1 g (as extract)
394	<i>Woodfordia fruticosa</i>		
	Flower	Dhay ke phool	5-10g
395	<i>Wrightia tinctoria</i> / <i>W.tomentosa</i>		
	Bark/Leaf/Seed	Meetha kutaj	5-10 g
396	<i>Zanthoxylum alatum</i> Roxb. (Now known as <i>Zanthoxylum armatum</i> DC.)		
	Seed / Stem bark	Timura	1-3 g
397	<i>Zea mays</i> L.		
	Seed	Makka	20-100 g
	Anthers	Makka	5-10 g
398	<i>Zingiber officinale</i> Rosc.		
	Rhizome	Adrakh	5-10 g (Not recommended during hypertension and bleeding disorders)
399	<i>Zizyphus jujuba</i> Lam.		
	Pericarp	Ber	10-50 g
400	<i>Zizyphus nummularia</i> (Burm.f.)W. and A.		
	Pericarp	Jangali Ber / Jhar ber	15-30 g

Note 1.- Ingredients listed in the above Schedule shall be used after due processing or in their extract forms subject to permissible usage range given in the last column of the Table. Offering these ingredients, either alone or in combinations as such or minimally processed (cleaned, de-weeded, sorted, dried or powdered) is/are not permitted.

Note 2.- The ingredients listed above shall comply with Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011.

Note 3.- Permitted range of usage for children between 5-16 years is ½ of the permitted range of usage for adults.

Note 4.- Permitted range of usage for children between 1-5 years is ¼ of the permitted range of usage for adults.

Schedule – VA

[See regulations 3.(13), 6.(4), 7.(5), 10.(3) and 11.(3)]

List of food additives for health supplements, nutraceuticals and food with added probiotics and prebiotics

S. No.	INS No.	Food Additive or Group	Maximum permitted level
1.	950	Acesulfame potassium	2,000 mg/kg
2.	304, 305	Ascorbyl Esters	500 mg/kg
3.	951	Aspartame	5,500 mg/kg
4.	962	Aspartame-Acesulfame salt	2,000 mg/kg
5.	901	Beeswax	GMP
6.	210, 211, 212, 213	Benzoates	2,000 mg/kg
7.	133	Brilliant blue FCF	300 mg/kg
8.	320	Butylated hydroxyanisole (BHA)	400 mg/kg
9.	321	Butylated hydroxytoluene (BHT)	400 mg/kg
10.	902	Candelilla wax	GMP
11.	150c	Caramel III – Ammonia caramel	20,000 mg/kg
12.	150d	Caramel IV – Sulfite ammonia caramel	20,000 mg/kg
13.	903	Carnauba wax	5,000 mg/kg
14.	160a(ii)	beta-Carotenes (vegetable)	600 mg/kg
15.	160a(i), (iii), 160e, 160f	Carotenoids	300 mg/kg
16.	1503	Castor oil	1,000 mg/kg
17.	141(i),(ii)	Chlorophylls and Chlorophyllins, Copper Complexes	500 mg/kg
18.	472e	Diacyltartaric and fatty acid esters of glycerol	5,000 mg/kg
19.	385, 386	Ethylene diamine tetra acetates	150 mg/kg
20.	143	Fast green FCF	600 mg/kg
21.	163(ii)	Grape skin extract	500 mg/kg
22.	132	Indigotine (Indigo carmine)	300 mg/kg
23.	961	Neotame	90 mg/kg
24.	338, 339(i)-(iii), 340(i)-(iii), 341(i)-(iii), 342(i),(ii), 343(i)-(iii), 450(i)-(iii),(v)-(vii), 451(i),(ii), 452(i)-(v), 542	Phosphates	2,200 mg/kg
25.	1203	Polyvinyl alcohol	45,000 mg/kg
26.	900a	Polydimethylsiloxane	50 mg/kg
27.	1521	Polyethylene Glycol	70,000 mg/kg
28.	432-436	Polysorbates	25,000 mg/kg
29.	1201	Polyvinylpyrrolidone	GMP
30.	124	Ponceau 4R (Cochineal red A)	300 mg/kg
31.	310	Propyl gallate	400 mg/kg
32.	101(i)-(iii)	Riboflavins	300 mg/kg
33.	954(i)-(iv)	Saccharins	1,200 mg/kg
34.	904	Shellac, Bleached	GMP
35.	200-203	Sorbates	2,000 mg/kg
36.	960	Steviol Glycosides	2,500 mg/kg
37.	955	Sucralose (Trichlorogalactosucrose)	2,400 mg/kg
38.	474	Sucroglycerides	2,500 mg/kg
39.	110	Sunset yellow FCF	300 mg/kg

Schedule – VB

[See regulations 3.(13), 8.(4), 10.(3) and 11.(3)]

List of food additives for foods for special dietary use and food with added probiotics and prebiotics

S. No.	INS No.	Food Additive or Group	Maximum permitted Level
1.	950	Acesulfame potassium	450 mg/kg
2.	956	Alitame	300 mg/kg
3.	304, 305	Ascorbyl Esters	500 mg/kg
4.	951	Aspartame	1,000 mg/kg
5.	962	Aspartame-acesulfame salt	450 mg/kg
6.	210, 211, 212, 213	Benzoates	2,000 mg/kg
7.	133	Brilliant blue FCF	300 mg/kg
8.	150c	Caramel III – Ammonia caramel	20,000 mg/kg
9.	150d	Caramel IV - Sulfite ammonia caramel	20,000 mg/kg
10.	160a(ii)	Beta-Carotenes (vegetable)	600 mg/kg
11.	160a(i), (iii), 160e, 160f	Carotenoids	300 mg/kg
12.	472e	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol	5,000 mg/kg
13.	163(ii)	Grape skin extract	250 mg/kg
14.	132	Indigotine (Indigo carmine)	300 mg/kg
15.	961	Neotame	65 mg/kg
16.	338, 339(i)-(iii), 340(i)-(iii), 341(i)-(iii), 342(i),(ii), 343(i)-(iii), 450(i)-(iii),(v)-(vii), 451(i),(ii),452(i)-(v), 542	Phosphates	2,200 mg/kg
17.	900a	Polydimethylsiloxane	50 mg/kg
18.	124	Ponceau 4R (Cochineal red A)	300 mg/kg
19.	101(i)-(iii)	Riboflavins	300 mg/kg
20.	954(i)-(iv)	Saccharins	200 mg/kg
21.	200-203	Sorbates	1,500 mg/kg
22.	960	Steviol glycosides	660 mg/kg
23.	955	Sucralose (Trichlorogalactosucrose)	400 mg/kg
24.	110	Sunset yellow FCF	300 mg/kg

Schedule – VC

[See regulations 3.(13), 9.(4), 10.(3) and 11.(3)]

List of food Additives for foods for special medical purpose (other than those products intended for foods for infants) and food with added probiotics and prebiotics

S. No.	INS No.	Food Additive or Group	Maximum Permitted Level
1.	950	Acesulfame potassium	500 mg/kg
2.	951	Aspartame	1,000 mg/kg
3.	962	Aspartame-acesulfame salt	500 mg/kg
4.	210 - 213	Benzoates	1,500 mg/kg
5.	133	Brilliant blue FCF	50 mg/kg
6.	150c	Caramel III – Ammonia caramel	20,000 mg/kg
7.	150d	Caramel IV - Sulfite Ammonia caramel	20,000 mg/kg
8.	160a(ii)	beta-Carotenes (vegetable)	600 mg/kg

S. No.	INS No.	Food Additive or Group	Maximum Permitted Level
9.	160a(i), (iii), 160e, 160f	Carotenoids	50 mg/kg
10.	472e	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol	5,000 mg/kg
11.	163(ii)	Grape skin extract	250 mg/kg
12.	132	Indigotine (Indigo carmine)	50 mg/kg
13.	961	Neotame	33 mg/kg
14.	338, 339(i)-(iii), 340 (i)-(iii), 341(i)-(iii), 342 (i),(ii), 343(i), (iii), 450 (i)-(iii), (v)-(vii), 451(i), (ii), 452(i)-(v), 542	Phosphates	2,200 mg/kg
15.	900a	Polydimethylsiloxane	50 mg/kg
16.	432 - 436	Polysorbates	1,000 mg/kg
17.	124	Ponceau 4R (Cochineal red A)	50 mg/kg
18.	477	Propylene glycol esters of fatty acids	5,000 mg/kg
19.	101(i)-iii)	Riboflavins	300 mg/kg
20.	954 (i)-(iv)	Saccharins	200 mg/kg
21.	200-203	Sorbates	1,500 mg/kg
22.	960	Steviol glycosides	350 mg/kg
23.	955	Sucralose (Trichlorogalactosucrose)	400 mg/kg
24.	474	Sucroglycerides	5,000 mg/kg
25.	110	Sunset yellow FCF	50 mg/kg

Schedule – VD

[See regulations 3.(13), 9.(4), 10.(3) and 11.(3)]

List of food additives for foods for special medical purpose (other than those intended for infant foods); formula for slimming purpose and weight reduction and food with added probiotics and prebiotics

S. No.	INS No.	Food Additive or Group	Maximum permitted Level
1.	950	Acesulfame potassium	450 mg/kg
2.	304, 305	Ascorbyl Esters	500 mg/kg
3.	951	Aspartame	800 mg/kg
4.	962	Aspartame-acesulfame salt	450 mg/kg
5.	210 - 213	Benzoates	1,500 mg/kg
6.	133	Brilliant blue FCF	50 mg/kg
7.	150c	Caramel III – Ammonia caramel	20,000 mg/kg
8.	150d	Caramel IV - Sulfite Ammonia caramel	20,000 mg/kg
9.	160a(ii)	Beta-Carotenes (vegetable)	600 mg/kg
10.	160a(i), (iii), 160e, 160f	Carotenoids	50 mg/kg
11.	472e	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol	5,000 mg/kg

S. No.	INS No.	Food Additive or Group	Maximum permitted Level
12.	163(ii)	Grape skin extract	250 mg/kg
13.	132	Indigotine (Indigo carmine)	50 mg/kg
14.	961	Neotame	33 mg/kg
15.	338, 339(i)-(iii), 340(i)-(iii), 341(i)-(iii), 342(i),(ii), 343(i)-(iii), 450 (i)-(iii),(v)-(vii), 451(i),(ii), 452(i)-(v), 542	Phosphates	2,200 mg/kg
16.	900a	Polydimethylsiloxane	50 mg/kg
17.	432 - 436	Polysorbates	1,000 mg/kg
18.	124	Ponceau 4R (Cochineal red A)	50 mg/kg
19.	477	Propylene glycol esters of fatty acids	5,000 mg/kg
20.	101(i)-iii)	Riboflavins	300 mg/kg
21.	954 (i)-(iv)	Saccharins	300 mg/kg
22.	200-203	Sorbates	1,500 mg/kg
23.	960	Steviol Glycosides	270 mg/kg
24.	955	Sucralose (Trichlorogalactosucrose)	320 mg/kg
25.	474	Sucroglycerides	5,000 mg/kg
26.	110	Sunset yellow FCF	50 mg/kg

Schedule – VE

[See regulations 3.(13), 6.(4), 7.(5), 8.(4), 9.(4), 10.(3), 11.(3) and 12.(4)]

List of food additives to be used (at GMP levels) for-

- (I) Nutraceuticals,
- (II) Foods for special dietary use other than foods for infants,
- (III) Foods for special medical purpose,
- (IV) Foods with added probiotic ingredients and prebiotic ingredients,
- (V) Specialty foods containing plant or botanical ingredients, and
- (VI) Health supplements

S. No.	INS No.	Additive	Functional Class
1.	260	Acetic acid, glacial	Acidity regulator, Preservative
2.	472a	Acetic and fatty acid esters of glycerol	Emulsifier, Sequestrant, Stabilizer
3.	1422	Acetylated distarch adipate	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
4.	1417	Acetylated distarch phosphate	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
5.	1451	Acetylated oxidized starch	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
6.	1401	Acid treated starch	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
7.	406	Agar	Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Stabilizer, Thickener
8.	400	Alginic acid	Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Foaming agent, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, Thickener
9.	1402	Alkaline treated starch	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
10.	1100 (i)	alpha-Amylase from <i>Aspergillus oryzae</i>	Flour treatment agent
11.	1100 (vi)	Carbohydrase from <i>Bacillus licheniformis</i>	Flour treatment agent

S. No.	INS No.	Additive	Functional Class
12.	1100 (iv)	alpha-Amylase from <i>Bacillus megaterium</i> expressed in <i>Bacillus subtilis</i>	Flour treatment agent
13.	1100 (ii)	alpha-Amylase from <i>Bacillus stearothermophilus</i>	Flour treatment agent
14.	1100 (v)	alpha-Amylase from <i>Bacillus stearothermophilus</i> expressed in <i>Bacillus subtilis</i>	Flour treatment agent
15.	1100 (iii)	alpha-Amylase from <i>Bacillus subtilis</i>	Flour treatment agent
16.	264	Ammonium acetate	Acidity regulator
17.	403	Ammonium alginate	Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Foaming agent, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, Thickener
18.	503(i)	Ammonium carbonate	Acidity regulator, Raising agent
19.	510	Ammonium chloride	Flour treatment agent
20.	503(ii)	Ammonium hydrogen carbonate	Acidity regulator, Raising agent
21.	527	Ammonium hydroxide	Acidity regulator
22.	328	Ammonium lactate	Acidity regulator, Flour treatment agent
23.	300	Ascorbic acid, L.	Acidity regulator, Anti-oxidant, Flour treatment agent
24.	162	Beet red	Colour
25.	1403	Bleached starch	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
26.	1101(iii)	Bromelain	Flavour enhancer, Flour treatment agent, Stabilizer
27.	629	Calcium 5'-guanylate	Flavour enhancer
28.	633	Calcium 5'-inosinate	Flavour enhancer
29.	634	Calcium 5'-ribonucleotides	Flavour enhancer
30.	263	Calcium acetate	Acidity regulator, Preservative, Stabilizer
31.	404	Calcium alginate	Anti-foaming agent, Bulking agent, Carrier, Foaming agent, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer
32.	302	Calcium ascorbate	Anti-oxidant
33.	170(i)	Calcium carbonate	Acidity regulator, Anti-caking agent, Carrier, Firming agent, Flour treatment agent, Stabilizer
34.	509	Calcium chloride	Firming agent, Stabilizer, Thickener
35.	623	Calcium di-L-glutamate	Flavour enhancer
36.	578	Calcium gluconate	Acidity regulator, Firming agent, Sequestrant
37.	526	Calcium hydroxide	Acidity regulator, Firming agent
38.	327	Calcium lactate	Acidity regulator, Flour treatment agent
39.	352(ii)	Calcium malate, DL-	Acidity regulator
40.	529	Calcium oxide	Acidity regulator, Flour treatment agent
41.	282	Calcium propionate	Preservative
42.	552	Calcium silicate	Stabilizer
43.	516	Calcium sulfate	Firming agent, Flour treatment agent, Sequestrant, Stabilizer
44.	150a	Caramel I – plain caramel	Colour
45.	290	Carbon dioxide	Carbonating agent, Packaging gas, Preservative, Propellant
46.	410	Carob bean gum	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
47.	407	Carrageenan	Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Gelling agent,

S. No.	INS No.	Additive	Functional Class
			Glazing agent, Humectant, Stabilizer, Thickener
48.	427	Cassia gum	Emulsifier, Gelling agent, Stabilizer, Thickener
49.	140	Chlorophylls	Colour
50.	1001	Choline salts and esters	Emulsifier
51.	330	Citric acid	Acidity regulator, Anti-oxidant, Sequestrant
52.	472c	Citric and fatty acid esters of glycerol	Anti-oxidant, Emulsifier, Flour treatment agent, Sequestrant, Stabilizer
53.	466	Cross carmellose sodium	Binder, Thickening agent, Disintegrant
54.	468	Cross-linked sodium carboxymethyl cellulose (Crosslinked- cellulose gum)	Stabilizer, Thickener
55.	424	Curdlan	Firming agent, Gelling agent, Stabilizer, Thickener
56.	457	Cyclodextrin, alpha-	Stabilizer, Thickener
57.	458	Cyclodextrin, gamma-	Stabilizer, Thickener
58.	1504 (i)	Cyclotetraglucose	Carrier, Glazing agent
59.	1504 (ii)	Cyclotetraglucose syrup	Carrier
60.	1400	Dextrins, roasted starch	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
61.	628	Dipotassium 5'-guanylate	Flavour enhancer
62.	627	Disodium 5'-guanylate	Flavour enhancer
63.	631	Disodium 5'-inosinate	Flavour enhancer
64.	635	Disodium 5'-ribonucleotides	Flavour enhancer
65.	1412	Distarch phosphate	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
66.	315	Erythorbic Acid (Isoascorbic acid)	Anti-oxidant
67.	968	Erythritol	Flavour enhancer, Humectant, Sweetener
68.	462	Ethyl cellulose	Bulking agent, Carrier, Glazing agent, Thickener
69.	467	Ethyl hydroxyethyl cellulose	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
70.	297	Fumaric acid	Acidity regulator
71.	418	Gellan gum	Stabilizer, Thickener
72.	575	Glucono delta-lactone	Acidity regulator, Raising agent, Stabilizer
73.	1102	Glucose oxidase	Anti-oxidant
74.	620	Glutamic acid, L(+)-	Flavour enhancer
75.	422	Glycerol	Humectant, Thickener
76.	626	Guanylic acid, 5'-	Flavour enhancer
77.	412	Guar gum	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
78.	414	Gum arabic (Acacia gum)	Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Glazing agent, Stabilizer, Thickener
79.	507	Hydrochloric acid	Acidity regulator
80.	463	Hydroxypropyl cellulose	Bulking agent, Emulsifier, Foaming agent, Glazing agent, Stabilizer, Thickener
81.	1442	Hydroxypropyl distarch phosphate	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
82.	464	Hydroxypropyl methyl cellulose	Emulsifier, Glazing agent, Stabilizer, Thickener
83.	1440	Hydroxypropyl starch	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
84.	630	Inosinic acid, 5'	Flavour enhancer
85.	953	Isomalt (Hydrogenated isomaltulose)	Anti-caking agent, Bulking agent, Glazing agent, Sweetener
86.	416	Karaya gum	Emulsifier, Stabilizer, Thickener

S. No.	INS No.	Additive	Functional Class
87.	425	Konjac flour	Carrier, Emulsifier, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Stabilizer, Thickener
88.	270	Lactic acid, L-, D- and DL-	Acidity regulator
89.	472b	Lactic and fatty acid esters of glycerol	Emulsifier, Sequestrant, Stabilizer
90.	966	Lactitol	Emulsifier, Sequestrant, Stabilizer
91.	322(i)	Lecithin (and its salts and esters from soya or other sources)	Anti-oxidant, Emulsifier
92.	1104	Lipases	Stabilizer
93.	160d(iii)	Lycopene, Blakeslea trispora	Colour
94.	160d(i)	Lycopene, synthetic	Colour
95.	160d (ii)	Lycopene, tomato	Colour
96.	504(i)	Magnesium carbonate	Acidity regulator, Anti-caking agent, Colour retention agent
97.	511	Magnesium chloride	Colour retention agent, Firming agent, Preservative
98.	625	Magnesium di-L-glutamate	Flavour enhancer
99.	580	Magnesium gluconate	Acidity regulator, Firming agent, Flavour enhancer
100.	528	Magnesium hydroxide	Acidity regulator, Colour retention agent
101.	504(ii)	Magnesium hydroxide carbonate	Acidity regulator, Anti-caking agent, Carrier, Colour retention agent
102.	329	Magnesium lactate, DL-	Acidity regulator, Flour treatment agent
103.	530	Magnesium oxide	Anti-caking agent
104.	553(i)	Magnesium silicate, synthetic	Anti-caking agent
105.	518	Magnesium sulfate	Firming agent, Flavour enhancer
106.	296	Malic acid, DL-	Acidity regulator
107.	965(i)	Maltitol	Bulking agent, Emulsifier, Humectant, Stabilizer, Sweetener
108.	965(ii)	Maltitol syrup	Bulking agent, Emulsifier, Humectant, Stabilizer, Sweetener
109.	421	Mannitol	Anti-caking agent, Bulking agent, Humectant, Stabilizer, Sweetener
110.	461	Methyl cellulose	Bulking agent, Glazing agent, Humectant, Stabilizer, Thickener
111.	465	Methyl ethyl cellulose	Emulsifier, Gelling agent, Stabilizer, Thickener
112.	460(i)	Microcrystalline cellulose (Cellulose gel)	Anti-caking agent, Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Foaming agent, Glazing agent, Stabilizer, Thickener
113.	471	Mono and di-glycerides of fatty acids	Anti-foaming agent, Emulsifier, Stabilizer
114.	624	Monoammonium L-glutamate	Flavour enhancer
115.	622	Monopotassium L-glutamate	Flavour enhancer
116.	621	Monosodium L-glutamate	Flavour enhancer
117.	1410	Monostarch phosphate	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
118.	941	Nitrogen	Packaging gas, Propellant
119.	942	Nitrous oxide	Anti-oxidant, Foaming agent, Packaging gas, Propellant
120.	1404	Oxidized starch	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
121.	1101(ii)	Papain	Flavour enhancer
122.	440	Pectins	Emulsifier, Gelling agent, Stabilizer, Thickener

S. No.	INS No.	Additive	Functional Class
123.	1413	Phosphated distarch phosphate	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
124.	1200	Polydextroses	Bulking agent, Glazing agent, Humectant, Stabilizer, Thickener
125.	964	Polyglycitol syrup	Sweetener
126.	1202	Poly vinyl pyrrolidone, insoluble, including cross povidone	Colour retention agent, Stabilizer
127.	632	Potassium 5'-inosinate	Flavour enhancer
128.	261	Potassium acetates	Acidity regulator, Stabilizer
129.	402	Potassium alginate	Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Foaming agent, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, Thickener
130.	303	Potassium ascorbate	Anti-oxidant
131.	501(i)	Potassium carbonate	Acidity regulator, Stabilizer
132.	508	Potassium chloride	Flavour enhancer, Gelling agent, Stabilizer, Thickener
133.	332(i)	Potassium dihydrogen citrate	Acidity regulator, Sequestrant, Stabilizer
134.	577	Potassium gluconate	Acidity regulator, Stabilizer
135.	501(ii)	Potassium hydrogen carbonate	Acidity regulator, Raising agent, Stabilizer
136.	351(i)	Potassium hydrogen malate	Acidity regulator
137.	515 (ii)	Potassium hydrogen sulfate	Acidity regulator
138.	525	Potassium hydroxide	Acidity regulator
139.	326	Potassium lactate	Acidity regulator, Anti-oxidant
140.	351(ii)	Potassium malate	Acidity regulator
141.	283	Potassium propionate	Preservative
142.	515(i)	Potassium sulfate	Acidity regulator
143.	460(ii)	Powdered cellulose	Anti-caking agent, Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Foaming agent, Glazing agent, Stabilizer, Thickener
144.	407a	Processed eucheuma seaweed	Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Stabilizer, Thickener
145.	944	Propane	Propellant
146.	280	Propionic acid	Preservative
147.	1101(i)	Protease	Flavour enhancer, Flour treatment agent, 1999 Glazing agent, Stabilizer
148.	1204	Pullulan	Glazing agent, Thickener
149.	470(i)	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium	Anti-caking agent, Emulsifier, Stabilizer
150.	470(ii)	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium	Anti-caking agent, Emulsifier, Stabilizer
151.	551	Silicon dioxide, amorphous	Anti-caking agent, Anti-foaming agent, Carrier
152.	262(i)	Sodium acetate	Acidity regulator, Preservative, Sequestrant
153.	401	Sodium alginate	Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Foaming agent, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, Thickener
154.	301	Sodium ascorbate	Anti-oxidant
155.	500(i)	Sodium carbonate	Acidity regulator, Anticaking agent, Raising agent
156.	466	Sodium carboxymethyl cellulose (Cellulose gum)	Bulking agent, Emulsifier, Firming agent, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Stabilizer,

S. No.	INS No.	Additive	Functional Class
			Thickener
157.	469	Sodium carboxymethyl cellulose, enzymatically hydrolysed (Cellulose gum, enzymatically hydrolyzed)	Stabilizer, Thickener
158.	331(i)	Sodium dihydrogen citrate	Acidity regulator, Emulsifier, Sequestrant, Thickener
159.	350(ii)	Sodium DL-malate	Acidity regulator, Humectant
160.	316	Sodium erythorbate (Sodium isoascorbate)	Anti-oxidant
161.	365	Sodium fumarates	Acidity regulator
162.	576	Sodium gluconate	Sequestrant, Stabilizer, Thickener
163.	500(ii)	Sodium hydrogen carbonate	Acidity regulator, Anti-caking agent, Raising agent
164.	350(i)	Sodium hydrogen DL-malate	Acidity regulator, Humectant
165.	514(ii)	Sodium hydrogen sulfate	Acidity regulator
166.	524	Sodium hydroxide	Acidity regulator
167.	325	Sodium lactate	Acidity regulator, Anti-oxidant, Bulking agent, Humectant, Thickener
168.	281	Sodium propionate	Preservative
169.	500(iii)	Sodium sesquicarbonate	Acidity regulator, Anti-caking agent, Raising agent
170.	-	Sodium starch glycolate	Binder, Thickening agent, Disintegrant
171.	514(i)	Sodium sulfate	Acidity regulator
172.	420(i)	Sorbitol	Bulking agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, Sweetener
173.	420(ii)	Sorbitol syrup	Bulking agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, Sweetener
174.	1420	Starch acetate	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
175.	1450	Starch sodium octenyl succinate	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
176.	1405	Starches, enzyme treated	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
177.	473a	Sucrose Oligoesters, Type I and Type II	Emulsifier, Stabilizer
178.	553(iii)	Talc	Anti-caking agent, Glazing agent, Thickener
179.	417	Tara gum	Gelling agent, Stabilizer, Thickener
180.	957	Thaumatococcus	Flavour enhancer, Sweetener
181.	171	Titanium dioxide	Colour
182.	413	Tragacanth gum	Emulsifier, Stabilizer, Thickener
183.	1518	Triacetin	Carrier, Emulsifier, Humectant
184.	380	Triammonium citrate	Acidity regulator
185.	333(iii)	Tricalcium citrate	Acidity regulator, Firming agent, Sequestrant, Stabilizer
186.	332(ii)	Tripotassium citrate	Acidity regulator, Sequestrant, Stabilizer
187.	331(iii)	Trisodium citrate	Acidity regulator, Emulsifier, Sequestrant, Stabilizer
188.	415	Xanthan gum	Emulsifier, Gelling agent, Stabilizer, Thickener
189.	967	Xylitol	Emulsifier, Humectant, Stabilizer, Thickener

Schedule VF

[See regulations 3.(1), 3.(13), 6.(4), 7.(5), 8.(4), 9.(4), 10.(3), 11.(3) and 12.(4)]

List of food additives to be used in formats such as tablets, capsules and syrups

- (I) Nutraceuticals,
 (II) Foods for special dietary uses other than foods for infants,
 (III) Foods for special medical purpose,
 (IV) Foods with added probiotic ingredients and prebiotic ingredients,
 (V) Speciality foods containing plant or botanical ingredients, and
 (VI) Health supplements

S.No.	Additive (Pharmaceutical Aid)	Functionality	Maximum Permitted Level
1.	Acacia gum	Binding agent	GMP
2.	Acetone	Solvent for coating	GMP (does not remain in the tablet and residual levels to be as per IP)
3.	Ascorbic acid and its esters and salts	Antioxidant	0.5%
4.	Benzoic acid and its salts	Preservative	0.5%
5.	BHA	Antioxidant	0.5%
6.	BHT	Antioxidant	0.5%
7.	Bronopol	Preservative	0.5%
8.	Calcium carbonate	Diluent, Dissintegrant	GMP
9.	Calcium stearate	Lubricant	1%
10.	Carboxymethylcellulose Calcium	Binding agent	5-15%
11.	Carrageenan gum	Binding agent	2%
12.	Cellulose acetate phthalate	Coating agent	2%
13.	Citric acid	Disintegrant	2%
14.	Citric and fatty acid esters of glycerol	Stabilizer	2%
15.	Copovidone	Binding agent	2-5%
16.	Corn oil	Vehicle	GMP
17.	Corn starch	Diluent, Binding agent, Dissintegrant	GMP
18.	Cross carmellose sodium	Disintegrant	2%
19.	Cyclodextrin	Diluent	GMP
20.	Dextrose	Diluent	GMP
21.	Dicalcium phosphate	Diluent	GMP
22.	Ethyl acetate	Solvent for coating	GMP (does not remain in the tablet and residual levels to be as per IP)
23.	Ethyl alcohol	Solvent for coating	GMP (does not remain in the tablet and residual levels to be as per IP)
24.	Ethyl cellulose	Coating agent, Ingredient of capsule shells	GMP
25.	Fructose	Diluent	GMP
26.	Gelatin	Binding agent, Ingredient of capsule shells	GMP
27.	Glycerin	Vehicle, Humectant for capsule shells	GMP
28.	Guar gum	Binding agent	GMP
29.	Hydrogenated castor oil	Lubricant	2%

30.	Hydrogenated vegetable oil	Lubricant	1%
31.	Hydroxy propyl methylcellulose	Coating agent, Ingredient of capsule shells	GMP
32.	Isomalt	Soluble fiber	15%
33.	Kaolin	Diluent	GMP
34.	Lactitol	Diluent	200 mgper capsule
35.	Lactose	Diluent	GMP
36.	Lecithin and its salts/esters from soya or other sources	Emulsifier, Stabilizer	GMP
37.	Light magnesium carbonate	Anticaking agent	0.5%
38.	Light magnesium oxide	Anticaking agent	0.5%
39.	Liquid glucose	Binding agent	GMP
40.	Magnesium carbonate	Adsorbant	0.3%
41.	Magnesium stearate	Antisticking agent, Glidant	2%
42.	Maize Starch	Diluent, Binding agent, Dissintegrant	GMP
43.	Maltitol	Sweetener, Diluent	GMP
44.	Maltodextrin	Diluent	GMP
45.	Maltose	Diluent	GMP
46.	Manitol	Diluent, Sweetner	GMP
47.	Methyl paraben and its salts	Preservative	0.2%
48.	Microcrystalline cellulose	Diluent	GMP
49.	Natural and synthetic colors as per FSSR	Coloring agents	Limits as per FSSR
50.	Peanut oil	Vehicle	GMP
51.	Pectin	Binding agent	GMP
52.	PEG 4000	Diluent for direct compression tablets	GMP
53.	Colors permitted under Rule 127 of Drugs & Cosmetics Rules including lake colours	Coloring agents	GMP
54.	Poly ethylene glycol (PEG)	Vehicle, Humectant for capsule shells	GMP
55.	Povidone	Binding agent	5%
56.	Propyl paraben and its salts	Preservative	0.02%
57.	Propylene glycol	Vehicle, Humectant for capsule shells	GMP
58.	Purified Talc	Glidant, Dusting powder for coating	2%
59.	Saff flower oil	Vehicle	GMP
60.	Sodium alginate	Binding agent	5%
61.	Sodium starch glycolate	Disintegrant, Binder, Thickening agent	2%
62.	Sorbitan crystalline	Diluent	15%
63.	Sorbitan oleate esters (Tweens)	Solubalizers	0.5%
64.	Sorbitol liquid	Vehicle, Humectant for capsule shells	GMP
65.	Starch, pregelatinized	Disintegrant	1%
66.	Stearic acid	Antisticking agent, Glidant	2%
67.	Sucrose	Diluent, Coating agent	GMP

68.	Sunflower oil	Vehicle	GMP
69.	TBHQ	Antioxidant	0.5%
70.	Tocopherol and its esters	Antioxidant	0.5%
71.	Tragacanth gum	Binding agent	GMP
72.	Tribasic calcium phosphate	Diluent, anticaking agent	GMP
73.	Tricalcium phosphate	Diluent	GMP
74.	Vegetable oils	Vehicle	GMP
75.	Xanthan gum	Binding agent	GMP
76.	Xylitol	Diluent, Sweetner	GMP
77.	Zinc stearate	Lubricant	0.5-1.5%

Schedule –VI

[See regulations 3.(13), 4.(2), 6.(2)(i), 7.(2)(i), 7.(3)(i), 7.(3)(v), 8.(2)(i) and 9.(2)(i)]

List of ingredients as nutraceuticals

PART A				
S. No.	Nutraceutical ingredients	Common name	Purity Criteria	Permitted Range
1.	Astaxanthin (from <i>Haematococcus pluvalis</i>), powder or oleoresin	-	Astaxanthin content	4 mg/day, Max
2.	Boswellia serrate - gum resin extract	Salai guggul / Kundru	Total boswellic acids or 11-keto-beta boswellic acids content	250 - 1,500 mg extract/day
3.	Caffiene	Caffiene	Per cent caffiene	Within levels specified in FSS Regulations
4.	Chromium picolinate/ nicotinate	-	Chromium picolinate/ nicotinate content	200 - 400 mcg / day
5.	<i>Cimicifuga racemosa</i> (or <i>Actaea racemosa</i>). Extracted from rhizomes and roots	<i>Black cohosh</i>	Total triterpene glycosides (minimum 0.4%), calculated as 23-epi-26-deoxyactein).	40 - 200 mg /day, Max
6.	<i>Citrus Bioflavonoids</i> (<i>Citrus x paradisi</i> , <i>Citrus reticulata x maxima</i> , <i>C. x sinensis</i> and <i>Citrus limon</i>)	Citrus	<i>Bioflavonoids and total polyphenol content</i>	150 - 600 mg / day, Max
7.	<i>CoQ10 from non GM source</i>	Co enzyme Q10	<i>Ubiquinone and ubiquinol content</i>	100-1,000 mg / day, Max
8.	<i>Echinacea</i> (<i>E. angustifolia</i> , <i>E. purpurea</i> , and <i>E. pallida</i>) Liquid/powder extract	Echinacea	Alkamides (0.25 mg/ml) and cichoric acid (2.5 mg/ml), if the extract used is in liquid form. In case of Hydroethanolic Echinacea extract is in a powdered form computation may be done proportionately to the weight/weight dry powder extract based on liquid extract used to obtain a dry powder format.	900 mg / day, Max
9.	<i>Ginkgo biloba</i> extract obtained from dried leaves of <i>Ginkgo</i> (<i>Ginkgo biloba</i> . L.).	<i>Ginkgo biloba</i> extract	Ginkgo flavone glycosides and Ginkgolides (diterpene lactones). Total flavonoids content (20.2 to 27% calculated as flavanol glycosides and tested for total terpene lactones (5.4% to 12.0%). Presence of Ginkgolides	120-240 mg/ day, Max

PART A				
S. No.	Nutraceutical ingredients	Common name	Purity Criteria	Permitted Range
			A, B, C needs to be tested qualitatively.	
10.	<i>Glucosamine hydrochloride</i>	Glucosamine	Glucosamine content	1,500-3,000 mg/day, Max
11.	<i>Glucosamine sulphate</i>	Glucosamine	Glucosamine content	2,500-5,000 mg/day, Max
12.	<i>Gymnema sylvestre</i> extract powder	Gudmar extract	Gymnemic acid content	500-1,500mg / day, Max
13.	Lactase (β -galactosidase)*	-	Enzyme activity	3,000 – 9,000 IU (or FCC units) / day, Max
14.	Panax ginseng (Syn;Korean Ginseng) extract - (obtained from 0.6 to 2.0 gm of Ginseng root, (<i>Panaxginseng</i> .C A. Meyer, Araliaceae)	Ginseng extract	Ginsenoside content ranging from 0.7 to 3%.	90 - 400 mg /day, Max
15.	<i>Phycocynin from Spirulina plantesis (Aethrospira plantesis) Dried powder</i>	Spirulina	Protein: 50-70 %; Carbohydrates: 20-40%; Minerals (Ash): 5.0 – 15%; Moisture: 3.0 – 6.0 %	50 – 250 mg /day, Max
16.	<i>Piper nigrum / Piper longum extract</i>	Peeper / Pippali	Piperine content	15 mg/day of piperine, Max(Duration of use: maximum 30 days)
17.	Quercetin obtained from extracts of citrus fruits and other vegetables	-	<i>Quercetin content</i>	100 mg / day, Max
18.	<i>Schizandra</i> berry extract	Five-flavor berry	Schizandrin berries containing 2.5-3.0% schizandrin	1 – 3 g / day, Max
19.	<i>Scutellaria bicalensis</i>	Skullcap	Aq. Extract of <i>Scutellaria bicalensis</i> standardized to bicallin content (NLT 50%)	250 – 1,000 mg/ day, Max
20.	Selenium Yeast	-	<i>Selenium content and number of yeast counts (Cfu/g)</i>	2 mg/day of selenium, Max
21.	Siberian ginseng- obtained from 0.6 to 2.0 gm of Ginseng root (<i>Acanthopanax senticosus</i> , belonging to panax type, C A. Meyer, Araliaceae)	Ginseng extract	Releutherosides content	100 – 450 mg / day, Max
22.	<i>Silybum marianum</i> extract (silymarin extract)	Milk Thistle	<i>Standardized extract – silymarin content</i>	250 - 1,000 mg/ day
23.	Spirulina (algae) from <i>Spirulina platensis</i> (<i>Arthrospira platensis</i>)	Spirulina	(Protein (min.) - 55%, carbohydrates (max.)-30%, fats (lipid) – not more than 10%, minerals (ash)-5-10%, moisture- 3-6% (also fatty acid profile to be mentioned on the package)	500 - 3,000 mg / day
24.	<i>Vaccinium myrstillus</i> extract	<i>Bilberry extract</i>	Anthocyanin content	50 - 600 mg / day, Max

Part B		
S.No.	Nutraceuticals / Ingredients	Common name.
1.	(+) Hydroxycitric acid	
2.	<i>Allium sativum</i> – bulbs dried powder / extract powder standardized	Garlic
3.	<i>Aloe vera</i> – juice /concentrate /powder of sap /gel	Indian aloe, Ghrit kumari
4.	Alpha amylase*	-
5.	Alpha mangostin	-
6.	Alpha-galactosidase*	-
7.	Alpha-lipoic acid	-
8.	<i>Amaranthus tricolor</i> – leaf powder / extract	-
9.	Amylase*	-
10.	Amyloglucosidase*	-
11.	<i>Anethum graveolens</i> L. - seeds and oil	Dill
12.	Anthocyanin	-
13.	Arabinogalactan	-
14.	Arachidonic acid	-
15.	<i>Asparagus densiflorus</i> - extract	Asparagus
16.	<i>Bacopa monnieri</i> - leaf extract	Brahmi
17.	Barley seed powder	Barley
18.	<i>Berberis vulgaris</i> – stem/root extract	Berberberry
19.	Beta carotene – standardized soft concentrate / emulsified concentrate / powder	-
20.	Beta ecdysterone	-
21.	Beta glucans	-
22.	<i>Beta vulgaris</i> – root extract	Beet
23.	Beta sitosterol	-
24.	<i>Betula platyphylla</i> - bark extract	Birch
25.	<i>Biota orientalis</i> - seed powder	Biota
26.	Black /green tea extract, standardized powder	-
27.	<i>Borago officinalis</i> - oil	Borage
28.	Campestanol	-
29.	Campesterol	-
30.	<i>Capsicum annum</i> - extract / standardized to capsin content	Cayenne pepper
31.	<i>Caricus papaya</i> – leaf extract	Papaya
32.	Carotenoids (natural mixed, including from algal sources)	-
33.	Casein and caseinates	
34.	<i>Caulophyllum thalictroides</i> - root extract	Blue cohosh
35.	Cellulase*	-
36.	<i>Centella asiatica</i> – leaf/aerial parts standardized extract	Mandukparni / Gotu Kola
37.	<i>Matricaria chamomilla</i> (<i>Matricaria recutita</i>) – aerial parts extract	Chamomile
38.	<i>Chlorella platensis</i> – dried powder	Green algae
39.	Chlorogenic acids and caffeic acid	-
40.	Chondroitin sulphate	Chondroitin
41.	<i>Cichorium intybus</i> – roasted root powder	Chicory
42.	<i>Cinnamomum verum</i> – bark powder / extract	Cinnamon

Part B		
S.No.	Nutraceuticals / Ingredients	Common name.
43.	Citrulline	-
44.	<i>Citrus aurantium</i> – peel extract / bioflavonoids standardized	Bitter orange
45.	Citrus naringenin	-
46.	Citrus naringinine	-
47.	Clove powder	Lavang
48.	<i>Cnicus benedictus</i> – aerial parts extract / root extract	Blessed thistle
49.	Cocoa (chocolate) bean - extract	-
50.	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt - extract	Ivy gourd
51.	Collagen hydrolysed	-
52.	Conjugated linoleic acid concentrate	-
53.	Crustacean shells	-
54.	<i>Cuminum cyminum</i> L – oil / extract	Cumin
55.	<i>Curcuma longa</i> – rhizome powder / extract standardized	Turmeric
56.	Curcuminoids – soft extract / powder and curcumin complex	-
57.	<i>Cyperus rotundus</i> - extract	Nirgundi
58.	Dehydroepiandrosterone (DHEA) and 7-Keto DHEA	
59.	Diastase*	-
60.	D-Pinitol	-
61.	Edible legumes (seed powder), legume proteins (protein isolates/ concentrates/ hydrolysates)	-
62.	Ellagic acid	-
63.	<i>Emblica officinalis</i> – dried fruit extract / spray dried pulp powder	Indian gooseberry/ amla
64.	Eriocitrin (from citrus fruit)	-
65.	Evening primrose oil	-
66.	<i>Fagopyrum esculentum</i> - seed	Buckwheat
67.	Fish oil	-
68.	<i>Foeniculum vulgare</i> - fruit - oil / extract	Fennel
69.	Freeze-dried banana powder	-
70.	Galactomannan	-
71.	Gallic acid	-
72.	Gamma-linoleic acid (GLA)	-
73.	Gamma-oryzanol	-
74.	<i>Garcinia gummi-gatti</i> and <i>Garcinia cambogia</i> – fruit rind extract standardized to hydroxyl citric acid, powder)	Kokum / Brindall Berry / Malabar tamarind
75.	<i>Garcinia mangostana</i> – seed extract standardized	Mangosteen
76.	Glucoamylase*	-
77.	Glucomannan	-
78.	<i>Glycyrrhiza glabra</i> - extract	Licorice
79.	Grape seed extract	-
80.	Green coffee seed extract standardized, including decaffeinated coffee bean powder/extract	-
81.	<i>Grifola frondosa</i> – standardized extract	Maitake mushroom
82.	Guar gum and gum arabic and its derivatives as a source of fibers; and fibers from other food sources	

Part B		
S.No.	Nutraceuticals / Ingredients	Common name.
83.	Hemicellulase*	-
84.	Hesperidin	-
85.	High oleic sun flower oil and other vegetable oils with high oleic content	-
86.	<i>Hippophaerh amnoides</i> – fruit dried powder / extract / juice	Sea buckthorn
87.	<i>Humulus lupulus</i> L – powder / extract	Hops
88.	Hydrolysed whey peptide	Whey
89.	<i>Hypericum perforatum</i> – aerial parts standardized extract	St. Johns Wort
90.	<i>Inula racemosa</i> - root extract	Pushkarmoola
91.	Invertase*	-
92.	Isoflavones (genistein, daidzein)	-
93.	Kelp (brown algae)	-
94.	Krill oil - standardized for DHA / EPA	-
95.	Lactalbumin	-
96.	Lactoferrin	-
97.	Lactoperoxidase*	-
98.	<i>Lagerstroemia speciosa</i> L (leaf extract)	Banaba
99.	Lecithins	-
100.	Lignans	-
101.	<i>Linum usitatissimum</i> - seed powder and oil	Flaxseed
102.	Lipase*	-
103.	Lutein	-
104.	Lutein/zeaxanthin complex	-
105.	Lycopene	-
106.	<i>Lycium eleagnus</i> - fruit - dried powder / concentrate standardized	Goji berry (wolfberry)
107.	Maltase*	-
108.	<i>Medicago sativa</i> extract	Alfalfa
109.	Medium chain triglycerides	-
110.	<i>Menyanth estrifoliata</i> - Leaf powder	Buckbean / bogbean
111.	Milletts and their powder	-
112.	<i>Momordica charantia</i> - fruit / seed extract	Bitter melon (bitter gourd)
113.	<i>Monodora myristica</i> (Gaertn.) Dunal – oil / extract	Nutmeg
114.	<i>Morinda citrifolia</i> extract	Noni
115.	<i>Moringa oleifera</i> leaf / pods / seed extract powder	Moringa / drum stick
116.	Mulberry tea – leaf / fruit extract	Mulberry
117.	<i>Myrica cerifera</i> – bark extract	Bayberry
118.	<i>Myristica fragrans</i>	Mace
119.	N-Acetyl D-glucosamine	-
120.	<i>Nasturtium officinale</i> - extract	Watercress
121.	Nattokinase enzyme (as Soy Bean Fibrinase)	-
122.	<i>Ocimum tenuiflorum</i> / <i>Ocimum sanctum</i> – aerial parts / seed extract	Basil /tulasi
123.	Omega-3 fatty acids (docosahexaenoic acid - eicosapentaenoic acid - alpha - linolenic acid)	-

Part B		
S.No.	Nutraceuticals / Ingredients	Common name.
124.	Omega-6-fatty acids (linoleic acid, arachidonic acid and conjugated linoleic acid)	-
125.	Oyster shell powder	-
126.	Pancreatin*	-
127.	Pancrelipase*	-
128.	Papain*	-
129.	<i>Passiflora foetida</i> - extract	Passion flower
130.	<i>Arachis hypogaea</i> - (roasted) powder	Pea nut
131.	Pectin	-
132.	Pepsin*	-
133.	<i>Phellodendron amurense</i> leaf oil	Phellodendron
134.	Phosphatides /Phospholipids	-
135.	<i>Phyllanthus amarus</i> - extract	Bhuiamalaki
136.	Phytase*	-
137.	<i>Picrorhiza (Picrorhiza kurroa)</i> - extract	Kurchi
138.	<i>Pimento officinalis</i> L. - extract/powder	Allspice
139.	<i>Pinus gerardiana</i> - bark extract	Pine nut
140.	<i>Piper longum</i> - extract	Long pepper (pippali)
141.	<i>Piper nigrum</i> - green extract	Green pepper
142.	<i>Piper nigrum</i> - powder / standardized extract	Black pepper
143.	Policosanol	-
144.	Protease*	-
145.	<i>Prunus serotina</i> - extract	Black cherry
146.	Psyllium (Isphaghula) - seed husk	Isaphgul
147.	Pumpkin seed oil /meal	-
148.	<i>Punica granatum</i> – fruit /seed /skin extract /powder	Pomegranate / dadima
149.	<i>Raphanus sativus var. niger</i> - root powder/ extract	Black radish
150.	Red wine - extract /concentrate	-
151.	Red yeast rice	-
152.	Resveratrol	-
153.	<i>Rhododendron arboretum</i> - juice/extract	Rhododendron
154.	Rice bran	-
155.	Rice bran arabinoxylan compound	-
156.	Rose hips	-
157.	<i>Rosmarinus officinalis</i> – leaves/ needles extract /oil	Rosemary
158.	Royal Jelly	-
159.	Rutin from fruit peels	-
160.	<i>Salvia officinalis</i> – leaf extract	Sage
161.	<i>Sambucus nigra</i> - extract	Elderberry/ Black elderberry
162.	Shark cartilage /squalene oil	-
163.	Shiitake mushroom - extract	-
164.	<i>Solanum lycopersicum</i> – fruit powder/ extract	Tomato
165.	Soy sprouts – dried powder	-

Part B		
S.No.	Nutraceuticals / Ingredients	Common name.
166.	Soya protein isolate/ edible legume seed protein isolate	-
167.	Spearmint – leaf and distillate	-
168.	Stanols and sterols including cholesterol	-
169.	<i>Tagetes sp.</i> – petals oleo resin / extract	Marigold
170.	Tea catechins (epigallo catechin gallate, epicatechin, catechin gallates)	-
171.	<i>Terminalia arjuna</i> - bark /leaf extract (standardized extract)	Arjuna
172.	<i>Terminalia bellerica</i> - fruit extract	Myrobalan / Baheda
173.	<i>Terminalia chebulia</i> - fruit extract	Myrobalan / Harad
174.	Theaflavin	-
175.	Theanine	-
176.	Theobromine	--
177.	Tocopherols	-
178.	<i>Trigonella-foenum-graecum</i> – seeds extract	Fenugreek
179.	<i>Triticum sativum</i> - bran	Wheat
180.	Trypsin*	-
181.	<i>Vaccinium corymbosum</i> - fruit - dried powder / concentrate standardized	Blueberry
182.	<i>Vaccinium oxycoccos</i> - fruit - dried powder / concentrate standardized	Cranberry
183.	<i>Vitis alba and Vitis vinifera</i> - fruit - dried powder / concentrate standardized	Blue grapes
184.	Wheat germ	-
185.	Zeaxanthin (max. 4 mg/day)	-
186.	<i>Zingiber officinale</i> - rhizome standardized extracts	Ginger
187.	α -galactosidase*	-

Note.- *Enzymes- The enzymes listed in this schedule are primarily used as processing aids, but also may be used in nutraceutical products.

Schedule –VII

[See regulations 3.(13), 6.(2)(i), 7.(2)(i), 8.(2)(i), 9.(2)(i) and 10.(1)(i)]

List of strains as probiotics (live micro-organisms)

S. No.	Name of the Microorganism
1.	<i>Lactobacillus acidophilus</i>
2.	<i>Lactobacillus plantarum</i>
3.	<i>Lactobacillus reuteri</i>
4.	<i>Lactobacillus rhamnosus</i>
5.	<i>Lactobacillus salivarius</i>
6.	<i>Lactobacillus casei</i>
7.	<i>Lactobacillus brevis</i>
8.	<i>Lactobacillus johnsonii</i>
9.	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> sub- sp. <i>bulgaricus</i>
10.	<i>Bacillus coagulans</i>
11.	<i>Lactobacillus fermentum</i>
12.	<i>Lactobacillus caucasicus</i>

13.	<i>Lactobacillus helveticus</i>
14.	<i>Lactobacillus lactis</i>
15.	<i>Lactobacillus amylovorus</i>
16.	<i>Lactobacillus gallinarum</i>
17.	<i>Lactobacillus delbrueckii</i>
18.	<i>Bifidobacterium bifidum</i>
19.	<i>Bifidobacterium lactis</i>
20.	<i>Bifidobacterium breve</i>
21.	<i>Bifidobacterium longum</i>
22.	<i>Bifidobacterium animalis</i>
23.	<i>Bifidobacterium infantis</i>
24.	<i>Streptococcus thermophilus</i>
25.	<i>Saccharomyces boulardii</i>
26.	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>
27.	<i>Lactobacillus paracasei</i>
28.	<i>Lactobacillus gasseri</i>

- Note.- (1) These organisms may be used either singly or in combination but shall be declared on the label with full information and has to be Non-GMO.
- (2) The Food Authority may add any new strain of microorganism, possessing probiotic properties, after proper scientific evaluation, and include in this Schedule.

Schedule – VIII

[See regulations 3.(13), 6.(2)(i), 7.(2)(i), 8.(2)(i), 9.(2)(i) and 11.(1)(i)]

List of prebiotic compounds

S. No.	Prebiotic Compounds
1.	Polydextrose
2.	Soybean oligosaccharides
3.	Isomalto-oligosaccharides
4.	Fructo-oligosaccharides
5.	Gluko-oligosaccharides
6.	Xylo-oligosaccharides
7.	Inulin
8.	Isomaltulose
9.	Gentio-oligosaccharides
10.	Lactulose
11.	Lactoferrin
12.	Sugar alcohols such as lactitol, sorbitol, maltitol, inositol, isomalt
13.	Galacto-oligosaccharides

Note.- The Food Authority may add any new specific prebiotic after proper scientific evaluation and include in this Schedule.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./352/16(187)]